



तम्बाकू बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन
2022-23



तम्बाकू बोर्ड भारत

(अंप्रसं 9001:2015 से प्रमाणित संस्था)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार



विश्वसनीय
भारतीय तम्बाकू

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2022-23 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2023 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	11
तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	12
फसल योजना & नियंत्रण	
I. भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II. 2022-23 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III. 2022-23 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टताएँ	14
IV. 2022-23 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टताएँ	14
V. 2022-23 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्रफल तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15-17
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	17
VII. 2022-23 के दौरान पंजीकृत ग्रोयर्स के विवरण	17
VIII. 2022-23 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-19
IX. 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	19-23
X. 2022-23 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री	23
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	24
XII. पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर के पंजीकृत मोबाईल संख्या को अनुज्ञाप्ति की मंजूरी पर ऑन-लाईन सूचना कार्यक्रम	24
XIII. पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन भुगतान के लिए केशलेस लेन देन की सुविधा प्रारंभ	24
XIV. एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर/नर्सरीमेन द्वारा नवीकरण/रिटर्न के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑन-लाईन विकल्प	24-25
XV. न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी)	25
आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	26-27
आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण	28
कर्नाटका में 2022-23 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण	29

विस्तार और परामर्श सेवाएँ

I.	विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	30-33
II.	फार्म यांत्रिकीकरण - लीफ होल्डिंग स्पाईक	34
III.	2022-23 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ	34-38
IV.	तम्बाकू की उपज & गुणता में वृद्धि	38-41
V.	क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय	42-44
VI.	पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय	44-46
VII.	प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	46-52
VIII.	ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण	52-53
IX.	नमूना परियोजना क्षेत्र	53
X.	प्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा यांत्रिकीकरण पर अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ	54-55
	2022-23 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	55
	2022-23 फसल मौसम-विस्तार & विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	56-57
	2022-23 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला एवं अन्य ग्राहकों को कवरेज	58-60
	तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम	61-63

ग्राहक कल्याण पहलू (सूत्रपात)

i)	तम्बाकू बोर्ड ग्राहक कल्याण निधि	64
ii)	किसानों को उत्पादन सम्बन्धित सेवाएँ	64-65
	दि.31/03/2023 तक योजना का आरंभ से अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता को दर्शनेवाले विवरण	66

प्लेटफार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ

I.	आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	67-70
II.	कर्नाटका में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	70-73
III.	आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	73-75
IV.	2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित कुल तम्बाकू का कुल परिमाण	75
	2022-23 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2023 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	76
	2022-23 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2023 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	77
	दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण	78-79
	01/04/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपनी वार एफसीवी खरीदी	80-81

व्यापार स्कंध

- I. प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलरों के रूप में पंजीकरण 82

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

- I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण 83-91
- II. निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ 92-94

राजभाषा कार्यान्वयन

- I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशालाएँ 95-96

वित्त एवं लेखा

- I. आंतरिक संपत्तियाँ 97
- II. बजट अनुमान 98
- दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट 99-101
- III. तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2023 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र 102
- 31 मार्च, 2023 अंत तक अवधि/वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा 103
- उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र) 104-106
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान 107-115
- अनुसूची - 24 : दि.31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 116-121
- अनुसूची - 25 : दि.31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट 121-123
- लेखाओं पर टिप्पणी 124-134
- 2010-11 से 2022-23 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण 135
- संकेताक्षर 136

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2023 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. के.एन. राघवन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री अरविंद धर्मपुरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि से संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ।

श्री प्रवीण कुमार, भा.प्र.से., निदेशक(वाणिज्य से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

डॉ. सी.वनलाल राम संगी, आर्थिक सलाहकार (वित्त से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग ।

श्री मागंटी शेषु माधव, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम ।

श्री एस.जे. सोलंकी, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार ।

डॉ. जी.टी. पुत्रा, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार।

(श्रीमती) डॉ. पूनम मालकोंडय्या, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री वी.वी. देशमुख, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार ।

डॉ. एम. मुत्तु कुमार, निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार ।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री एच.सी. बसवराज, उपाध्यक्ष

श्री मारेडु सुब्रह्मण्येश्वर रेड्डी

श्री पोद वरप्रसाद राव

श्री एच.आर. दिनेश

श्री मिट्टपल्ली रमेश बाबू

श्री कोप्परावुरी रमेश बाबू

श्री विक्रम राज, जी.सी.

श्री बोड्डपाटी ब्रह्मय्या

श्री गुप्ता वासु बाबू

श्री वी. रमेश पाई

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. नादेड्ला विजय लक्ष्मी, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर

वरिष्ठ प्रबंध

अध्यक्ष

कार्यपालक निदेशक

निदेशक (नीलाम)

प्रबंधक (नीलाम) & सचिव (प्रभारी)

प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी)

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

प्रबंधक (उत्पादन) व

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि & दहमि, ओंगोल)

प्रबंधक (विस्तार)

प्रबंधक (ग्रो क नि)

प्रबंधक (तकनीकी)

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर & पेरियपट्टना)

प्रादेशिक प्रबंधक (उहमि, राजमहेन्द्रवरम)

ओ.एस.डी. (सतर्कता दल)

कार्मिक अधिकारी

सहायक प्रबंधक (यो व स)

डॉ. के.एन. राघवन, भा.रा.से.,

डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

श्रीमती एम. अश्वनी नायडू, भा.वि.से.,

श्री डी. वेणुगोपाल

श्रीमती एम. रत्नबायम्मा

श्री बी. श्याम प्रसाद

डॉ. एम. कृष्ण श्री

श्री जी. दामोदर

श्री बी. मारन्ना

श्री एच.के. गोपाल

श्री एम. लक्ष्मण राव

श्री जी.एल.के. प्रसाद

श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव

श्री ए.वी.एस. रामकृष्णा रेड्डी

श्री वाई.वी. नमशिवय्या

कर्मचारी गण

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 67

मध्य श्रेणी प्रबंध : 64

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 146

कुल : 277

डाक पता :

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं.322, श्रीनिवासराव तोटा, जी.टी.रोड, गुण्टूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

दूरभाष सं/फैक्स

0863-2358399/0863-2354232

ई-मेल & वेबसाइट :

info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



डॉ. के.एन. राघवन, भा.रा.से.,
अध्यक्ष



डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक



श्रीमती एम. अश्वनी नायडू, भा.वि.से.,
निदेशक (नीलाम)



डी. वेणुगोपाल
प्रबंधक (नीलाम)/
सचिव (प्रभारी)



बी. श्याम प्रसाद
प्रबंधक
(विपणन & निर्यात)



डॉ. एम. कृष्ण श्री
प्रबंधक
(उत्पादन) और
प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि
& दहमि) ऑगोल



जी. दामोदर
प्रबंधक
(विस्तार)



बी. मारन्ना
प्रबंधक
(ग्रो क नि)



एम. रत्नबायम्मा
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)
(प्रभारी)



एच.के. गोपाल
प्रबंधक (तकनीकी)
नीलाम निदेशालय,
बेंगलूर



एम. लक्ष्मण राव
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर & पेरियपट्टना



जी.एल.के. प्रसाद
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्रवरम

2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारु) प्रणाली का सुनिश्चयन करना है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यिक फसलों में एक हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 46.00 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 9,739.95 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है। भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा बड़ा देश और अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में चौथा बड़ा देश है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त में 125 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहमि) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस), गुणता न्यूट्रल फिल्लर (कहमि & दहमि) और अच्छे फिल्लर (टीबीएस) प्रकारों का उत्पादन होता है। तम्बाकू बोर्ड ने 2022-23 फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 242 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को, जो पूर्व वर्ष की 227 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 15 मि.कि.ग्रा. अधिक निर्धारित किया गया था। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 411.64 लाख की राशि व्यय की है। बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लेटफार्मों में, जो 2021-22 वर्ष के दौरान ₹ 153.89 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में 183.05 मिलियन कि.ग्रा. के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 195.95 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में 193.73 मि.कि.ग्रा. का विपणित किया था। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य के श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करती है। 2021-22 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में, 2022-23 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 1213.37 मिलियन यूएस डालरों से 31% की वृद्धि दर्ज हुई और 2022-23 के लिए निर्धारित निर्यत लक्ष्य को प्राप्त की है।

ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया था और यह प्रमाणपत्र 18/03/2025 तक मान्य है।

2022-23 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2022 से दि. 31/03/2023 तक)

क) सांविधिक बैठकें

तीन बोर्ड की बैठकें और दो समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

1. बोर्ड की 158वीं बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.08 जून, 2022 (बुधवार) को संपन्न हुई।
2. बोर्ड की 159वीं बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.15 जुलाई, 2022 (शुक्रवार) को संपन्न हुई।
3. बोर्ड की 160वीं बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.10 दिसंबर, 2022 (शनिवार) को संपन्न हुई।

गोयरों तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. गोयरों तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 97वीं बैठक दि.15/07/2022 (शुक्रवार) को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 47वीं बैठक दि. 28/09/2022 (बुधवार) को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. नीलामियों को 100 दिनों में समापन करने की सम्भाव्यता को अध्ययन करने व्यापारी & गोयर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.22/04/2022 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।
2. 2021-22 आन्ध्र प्रदेश में चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.30/06/2022 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।
3. 2022-23 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने गोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.26/08/2022 को वीडियो कान्फरेन्स द्वारा संपन्न हुई।
4. 2022-23 कर्नाटका चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.25/10/2022 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई।
5. आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने आन्ध्र प्रदेश के गोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.30/01/2023 को रैतु भवन, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई।

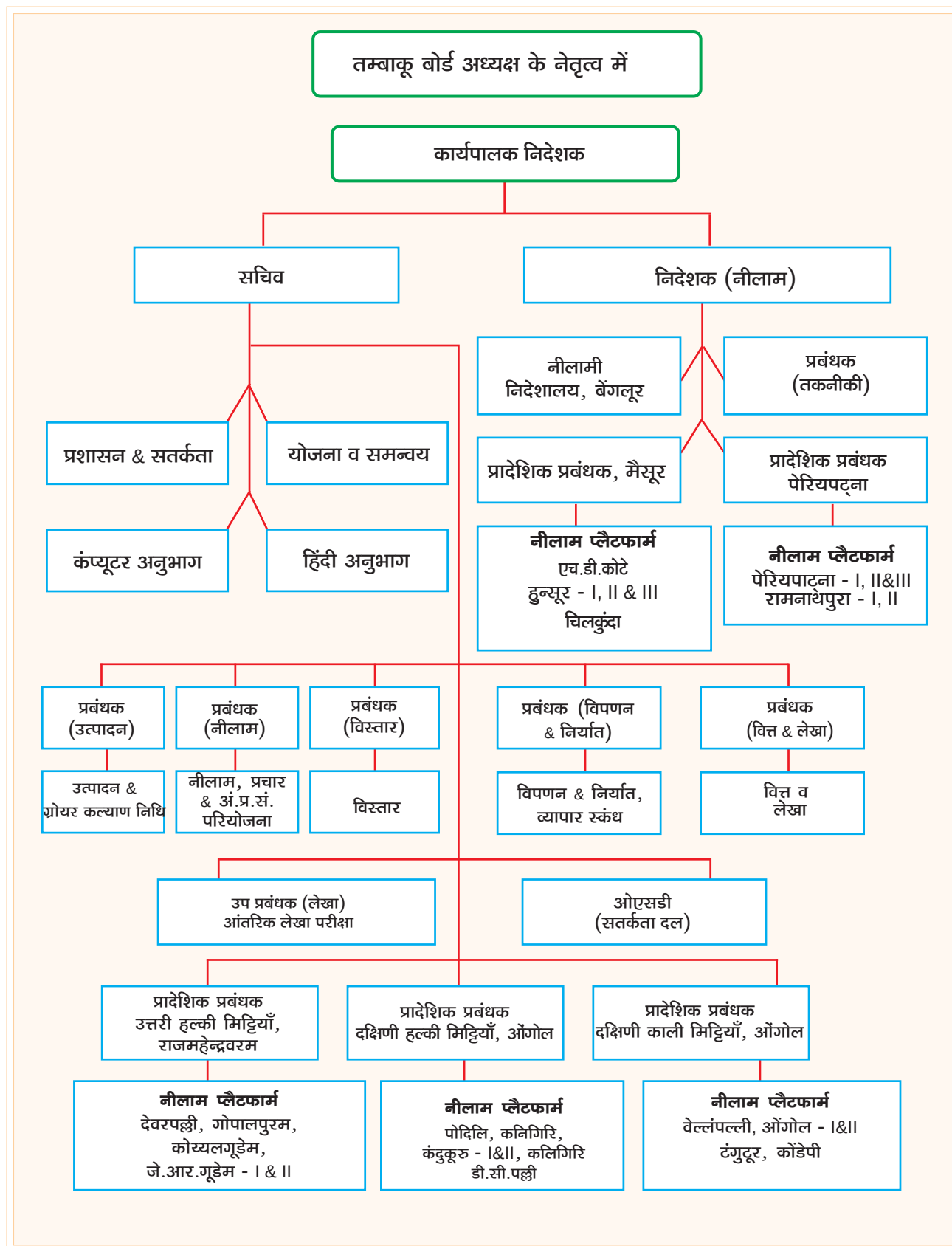


दि. 10/12/2022 को गुण्टूर में संपन्न 160वीं बोर्ड बैठक में डॉ. के.एन. राघवन, भा.रा.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और सदस्य, तम्बाकू बोर्ड, डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यालय निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और बोर्ड के सदस्य भाग लिये थे।

31/03/2023 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	0
2	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	0
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	8
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	46
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	11
9	सांख्यकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	67
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	0
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	41
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	19
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	64
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	16
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उच्च श्रेणी लिपिक (उ.श्रे.लि)	43	16
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	6
28	क्षेत्र सहायक	158	36
29	निम्न श्रेणी लिपिक (नि.श्रे.लि)	52	34
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	11
32	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	23
	उप कुल	503	146
	महायोग	754	277

तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट

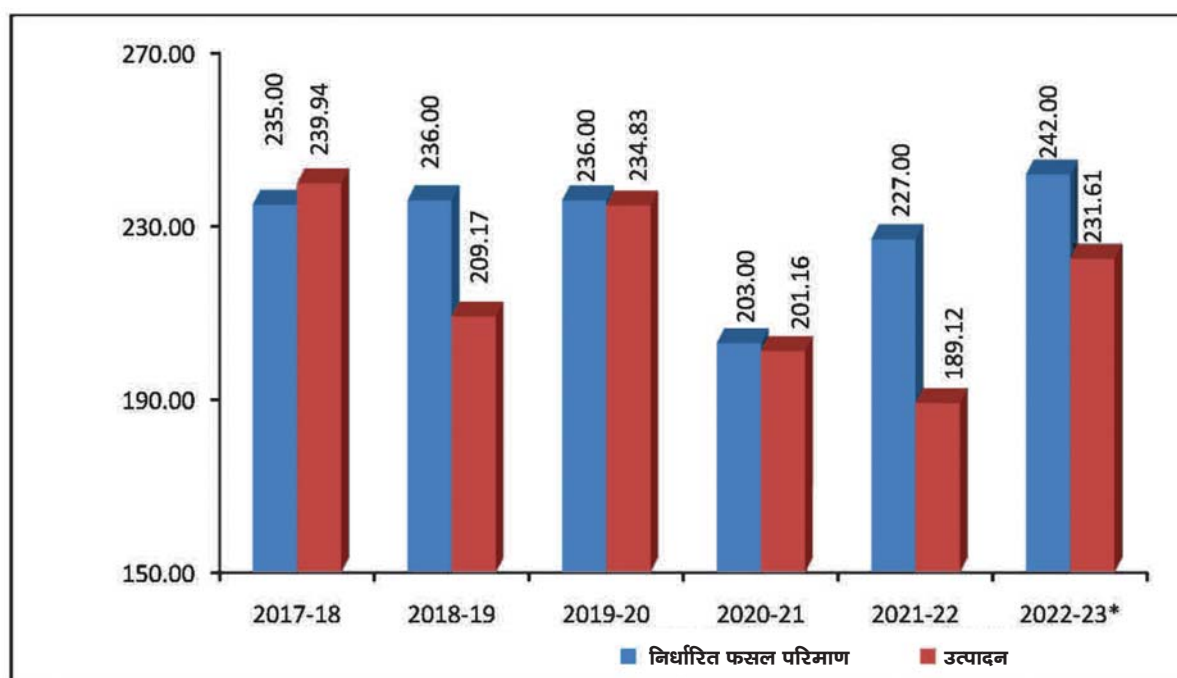


फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छः वर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिर वातावरण उपज पर प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि, को प्रतिबिम्बित करती है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2017-18 से 2021-22 तक) और इस वर्ष 2022-23 के -0.59% को मिलाकर -4.65% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्ज किया है।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)



* अनुमानित उत्पादन

II) 2022-23 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

दि.18/02/2022 को संपन्न अपनी 157वीं बोर्ड बैठक में 2021-22 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 97 मि.कि.ग्रा के लिए, 2022-23 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के लिए 100.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था। दि.15/07/2022 को संपन्न बोर्ड की 159वीं बैठक में आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2021-22 के दौरान निर्धारित 130.00 मि.कि.ग्रा. के लिए 2022-23 फसल मौसम के दौरान, 142.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

तम्बाकू बोर्ड ने, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2021-22 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 227.00 मि.कि.ग्रा के लिए 2022-23 फसल मौसम के दौरान कुल फसल परिमाण 242 मि.कि.ग्रा. को निर्धारित किया। मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2021-22 की तुलना से 2022-23 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	2022-23 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)	2021-22 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)
उहमि क्षेत्र	49.31	44.71
दहमि क्षेत्र	48.16	43.68
दकामि क्षेत्र	41.19	37.46
उकामि क्षेत्र	3.34	4.15
उपयोग	142.00	130.00
कहमि क्षेत्र	100.00	97.00
सर्वयोग	242.00	227.00

III) 2022-23 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतायाँ :

2022-23 फसल मौसम के दौरान उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना इस नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्राहकों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य को सुनिश्चित करा सके।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना। इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राहकों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किये थे और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना।

2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टतायाँ :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे।

- 2021-22 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्राहकों/बखारों को वर्ष 2022-23 में, बशर्ते कि ग्राहक एक फिट बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे।
- नये बखारों को निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्राहक को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा। (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञापति नहीं दिया जायेगा।)

- ग़ोयरोँ, जिन्होंने 2021-22 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बख़ार विवादों में शामिल/अयोग्य बख़ारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेज़ों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
- ग़ोयर आवेदकों, जिन्होंने 2021-22 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग़ोयर आवेदकों, जिन्होंने 2021-22 फसल मौसम के लिए पंजीकृत किये थे, लेकिन फार्म-III रिटर्नों में घोषित कोटा से 25% से कम और 50% कोटा को विक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग़ोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बख़ार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बख़ार को डिसफक्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बख़ार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।
- ग़ोयर आवेदकों, जो अनुज्ञापित क्यूरिंग सुविधा (बख़ार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बख़ार/अयोग्य बख़ार/नये बख़ारों का निर्माण करने अनुज्ञापित के लिए माँग/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2022-23 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- भारत सरकार के पत्र दि.14/06/2021, सं.09/11/2016 - ई.पी. (अग्नी-III) के निदेशों के अनुसार 2022-23 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत बख़ारों को शिफ्टिंग करने के लिए बोर्ड ने अनुमति दी ।

IV) 2022-23 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बख़ार के लिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश :

दि.15/07/2022 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न 97वीं रजिस्ट्रेशन समिति की बैठक में, आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रति बख़ार उत्पादन परिमाण को निम्नानुसार निर्धारित किया और वहीं क्षेत्र के अंतर्गत ग़ोयरोँ को, जिन्होंने पंजीकृत किये थे और फार्म-II रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, को 2021-22 फसल मौसम के समान 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू को रोपित किये थे, को शून्य रोपित ग़ोयर परिमाण और बचे हुए प्राधिकृत फसल को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। रजिस्ट्रेशन समिति के निर्णयानुसार शून्य रोपित ग़ोयर कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को ग़ोयरोँ को, जो वही मिट्टी क्षेत्र में तम्बाकू को रोपित किये थे, को वितरित किया गया था । शून्य रोपित ग़ोयर परिमाण और बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत प्रति बरवार के लिए अंतिम परिमाण विवरण निम्नानुसार रहा है :

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2022-23	2021-22	2022-23		2021-22
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रायर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम कोटा	
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि)	1.60	1.40	3500	3656	3439
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि)	2.90	2.50	3650	3821	3879
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.90	1.70	3550	3570	3510
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.30	1.40	2400	3406	3200

* उहमि में पूहमि भी शामिल है ।

कर्नाटका :

दि.28/02/2022 को नीलाम प्लैटफार्म सं.20, ऑगोल-1 में संपन्न ग्रायरों और अन्यो के रजिस्ट्रेशन समिति की अपनी 96वीं बैठक में 2022-23 फसल मौसम के लिए कर्नाटका में वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रायर के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण और बखारों को प्रचालन करने के लिए अनुसप्ति प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किये गये हैं । रजिस्ट्रेशन समिति ने यह भी निर्णय लिया था कि तीन सालों से अधिक ब्रेक-इन अवधि वाले बखारों से प्राप्त बचा हुआ परिमाण (कोटा) को सभी पंजीकृत ग्रायरों, जो तम्बाकू को रोपित किये थे, को वितरित किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि शून्य रोपित ग्रायर कोटा को प्रगतिशील किसानों को 100 कि.ग्रा/बखार के हिसाब से वितरित किया जायेगा और यदि शून्य रोपित ग्रायर की कोटा बचा हुआ है तो, इसे सभी पंजीकृत ग्रायरों, जिन्होंने 2022-23 कर्नाटका फसल मौसम के लिए तम्बाकू को रोपित किये थे, को पिछले वर्ष की तरह वितरित किया जायेगा ।

रजिस्ट्रेशन समिति ने दि.15/07/2022 को संपन्न अपनी 97वीं बैठक में उक्त विषय पर चर्चा किया और नोट किया था कि 824 प्रगतिशील किसानों, जिन्हें 2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान 'शून्य' रोपित ग्रायर कोटा से 100 कि.ग्रा/बखार का अतिरिक्त कोटा दिया गया था, में से 2021-22 कर्नाटका नीलामियों में 19 ग्रायर तम्बाकू नहीं बेचा था और 92 ग्रायर 50% कोटा से कम बेचा है । समिति कुछ विचार - विमर्श करने के बाद रजिस्ट्रेशन समिति की अपनी 96वीं बैठक में प्रगतिशील किसानों को 100 कि.ग्रा/प्रति बखार के हिसाब से शून्य रोपित ग्रायर कोटा को वितरण और यदि कोई शून्य रोपित ग्रायर कोटा बचा हुआ है तो, सभी पंजीकृत ग्रायरों, जिन्होंने 2022-23 कर्नाटका फसल मौसम के लिए तम्बाकू को रोपित किये थे, को पिछले वर्ष की तरह वितरित करने रजिस्ट्रेशन समिति द्वारा लिया गया निर्णय का कार्यान्वयन पर समुचित निर्णय लेने कार्यपालक निदेशक & समिति के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था । शून्य रोपित ग्रायर कोटा के सभी पंजीकृत ग्रायरों, जिन्होंने 2022-23 कर्नाटका फसल मौसम के लिए तम्बाकू रोपित किये थे, को वितरित किया गया था । 2022-23 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान शून्य रोपित ग्रायर कोटा और तीन वर्षों से अधिक के लिए ब्रेक-इन-रजिस्ट्रेशन वाले बखारों से प्राप्त बचा हुआ कोटा वितरण करने के बाद प्रति बखार के लिए प्राधिकृत अंतिम परिमाण विवरण निम्नानुसार है:

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2022-23	2021-22	2022-23		2021-22
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	बचा हुआ शून्य रोपित ग्रायर्स कोटा वितरण करने के बाद अंतिम कोटा	
सिमप्लेक्स बखार	1.40	1.30	1715	1790	1724
डुप्लेक्स बखार	2.80	2.60	3430	3580	3448

V) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2022-23 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रायर्स को अपील करने के लिए सार्वजनिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, कपड़ों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये थे । 2022-23 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में गाँवों में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 89 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 103 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये थे ।

VI) 2022-23 के दौरान पंजीकृत ग्रायर्स के विवरण :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू की खेती के लिए 90,731 बखारों को कवर करते हुए कुल मिलाकर 83,304 ग्रायर्स ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे । इस में 2021-22 के दौरान पंजीकृत 38,858 बखारों को कवर करते हुए 43,350 ग्रायर्स के लिए आन्ध्र प्रदेश में (दि.20/03/2023 तक) 39,147.54 बखारों को कवर करते हुए 43,097 ग्रायर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 81,635 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 85,764 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था । कर्नाटका में, 51,583 बखारों को कवर करते हुए 40,207 ग्रायर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत प्राधिकृत 72,216 हे. क्षेत्र के लिए 60,782 हे. क्षेत्र में रोपण हुआ था ।

2022-23 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रायर्स के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र और 2021-22 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण पृष्ठ सं. 26 और 29 में दिये गये ।

2022-23 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

नर्सरी बेडों में बीजों की बुआई मार्च, 2022 के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हुई और अप्रैल, 2022 की द्वितीय सप्ताह तक समाप्त हुई । 2022-23 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 594.55 हेक्टा था, जो पूर्व वर्ष की (589.96 हे.) की तुलना में 0.78% अधिक हुई । अधिकाधिक ग्रायर्स पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने के लिए नर्सरी को अपनाये थे । नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था ।

सीएच-3 एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो बोआई नर्सरी क्षेत्र याने., 367.30 हे. से लगभग कुल नर्सरी क्षेत्र में 61.78% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ कंचन और एफसीएच-222 संकर किस्मों क्रमशः 217.17 हे. (36.53%) और 10.08 हे. (1.69%) क्षेत्र में बोआई हुए थे ।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में पूर्व मानसून वर्षा प्राप्त होने के बाद प्रतिरोपण अप्रैल, 2022 की दूसरी पक्ष में शुरू हो गई है और अधिकांश क्षेत्र मई, 2022 के प्रथम सप्ताह के दौरान प्रतिरोपण हुई है। 2022-23 के दौरान, कर्नाटका में कुल 60,782.45 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपण हुआ था, जो पूर्व वर्ष में रोपित 71,877 हे. की तुलना में 15.44% कम रहा है। कुल रोपित क्षेत्र में लगभग 38,272.36 हे. (62.97%) सीएच-3 किस्म के अंतर्गत रहा है, कंचन (35.43%) के अन्तर्गत 21,539.79 हे. और एफसीएच-222 (1.60%) के अन्तर्गत 970.30 हे. क्षेत्र रहा है।

प्लानटेशन स्थिति	2022-23		2021-22	
प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक)	60,747.45	99.94%	67,256.39	93.57%
मध्य प्लानटेशन (15 जून तक)	35.00	0.06%	4,330.70	6.03%
विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद)	0.00	0.00	290.00	0.40%
कुल	60,782.45	100%	71,877.09	100%

प्रारंभ फसल प्रधान क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित हो गई थी। एफसीवी तम्बाकू उत्पाद क्षेत्रों असनी चक्रवात के कारण मई, 2022 की दूसरी सप्ताह के दौरान भारी वर्षा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की वृद्धि स्तंभित हो गई। यह फसल जून, 2022 की प्रथम सप्ताह के दौरान वर्षा को पाप्ति नहीं होने के कारण नमी की कमी को महसूस की थी। यह फसल जून, 2022 की द्वितीय सप्ताह के दौरान प्राप्त वर्षाओं के कारण कुछ सीमा तक रिकवर हो गई। जुलाई, 2022 महीने के दौरान फिर से फसल लगातार वर्षा की स्थिति देखी गयी, जिसके कारण पत्तों की गिरावट और विकास और पत्ता विस्तार कम हो गया। अधिकांश क्षेत्रों में, श्वासावरोधन की स्थिति के कारण जड़ों की अपर्याप्त विकास और पत्ता विस्तार कम पाया गया है। अगस्त महीने में कटाई के समय, एफसीवी तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त हुई, के कारण पत्तों की कटाई करने में विलम्ब और पत्तों की अधिक परिपक्वता देखा गया। इस वर्ष उत्पादन कम होने पर भी, तम्बाकू की गुणवत्ता पिछले फसल मौसम की तुलना में अच्छी रही हैं।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई नोटीस नहीं की गई। कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पूर्व प्रतिरोपण अपनाया था, में पत्ता में कुंचन की उत्पीडन देखी गई। वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लाक शान्ख बीमारी की उत्पीडन की घटना देखी गयी।

फसल & क्यूरिंग :

अधिकांश ग्रायर 6 क्यूरिंगों को अपनाये हैं। पिछले मौसम की तुलना में चमकीला श्रेणी तम्बाकू की मात्रा अधिक रही है। पहले तीन क्यूरिंग अधिकाधिक प्रतिशत चमकीला श्रेणियों के साथ अच्छी रही हैं। 4वीं और 5वीं फसल कटाई के दौरान विरामी वर्षा प्राप्त हुई, जिसके कारण फसल कटाई में देरी हुई और पत्तों की अधिक परिपक्वता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्यूरिंगों में कुछ क्षेत्रों में मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन प्राप्त हुई। क्यूरिंग पत्ता पतली शरीर और नीम्बू रंग के रहे हैं।



पैदावार :

पिछले वर्ष की उत्पादकता 948 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2022-23 के दौरान औसत पैदावार लगभग 987 कि.ग्रा./हे. हुई है। 2021-22 में 32:37:31 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 68.14 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 34:43:23 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 59.98 मिलियन कि.ग्रा. का फसल विपणन हुआ था।

IX. 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नर्सरी की बुआई अगस्त महीने की द्वितीय पक्ष के दौरान प्रारंभ हुए। आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 के दौरान, जो पूर्व वर्ष में बोआई 804.89 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 662.47 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान, कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडलिंगों का मूल्य, नवंबर महीने में प्रारंभ में दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹ 800/- से ₹ 1,200/- प्रति गठरी (6,000 सीडलिंग) के लिए मूल्य रही और दिसंबर महीने के अंत में मान्डूस चक्रवात वर्षा के कारण पुनः रोपण के समय प्रति गठरी ₹1,500/- और ₹2,500/- तक सीडलिंगों का मूल्य बढ़ गई। उहमि क्षेत्र में, प्रति गठरी के मूल्य लगभग ₹ 4,000/- तक रहे।

किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टी और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों के 306.63 हे. में बोयी जाने वाली 'सिरी' एक प्रधान किस्म रही है, जो कुल नर्सरी क्षेत्र में (605.51 हे.) लगभग 50.64% का हिसाब रही है। अन्य बोयी जाने वाली किस्मों में एफसीआर-15 और एन-98 आदि., रहे हैं। उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्र (56.96 हे.) में बोया जाने वाले अन्य किस्म 44.28 हे. के क्षेत्र में और 12.48 हे. के क्षेत्र में एलवी-7 को किस्म बोया गया है।

प्रधान क्षेत्र :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, रोपित 66,265.23 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 85,755.70 हे. क्षेत्र, जो 29.41% अधिक क्षेत्र में रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्टूबर से पहले), मध्य (15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 3:43:54 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दक्षिणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 38,631.40 हे. क्षेत्र में एफसीआर-15 एक प्रधान बोयी जाने वाली किस्म है, जो कुल रोपित क्षेत्र में 45% का हिसाब रही थी। दहमि और दकामि क्षेत्रों में सिरि, सुलक्षणा और जी-11 (हेमा) किस्मों के अन्तर्गत रही थी। उत्तरी हल्की मिट्टियों में एलवी-7 संकर 5,848.23 हे. क्षेत्र में रोपित की गयी। अन्य किस्म 40,910.47 हे. क्षेत्र में रोपित किये गये।

प्लानटेशन स्थिति	2022-23		2021-22	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	2,543.90	3%	2,690.10	4%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	36,614.75	43%	25,822.86	39%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	46,597.05	54%	37,752.27	57%
कुल	85,755.70	100%	66,265.23	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि :



2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में अक्टूबर, 2022 की द्वितीय सप्ताह के दौरान और उकामि क्षेत्र में नवंबर, 2022 महीने की द्वितीय पक्ष में रोपण प्रारंभ हुए। 9-12 दिसंबर, 2022 अवधि के दौरान 'मान्डूस' चक्रवात वर्षा के कारण प्राप्त भारी वर्षाओं से प्रकाशम, नेल्लुरु, बापट्ला और पलनाडू जिलाओं में 25,915.90 हे. के क्षेत्र में प्रतिरोपित फसल को डामेज हो गई। कुछ किसान चक्रवात वर्षाओं के बाद अपने क्षेत्रों में पुनः रोपण प्रारंभ किये थे। पूर्व वर्ष (याने., 66,265.83 हे.) की तुलना में, जो केवल रोपित क्षेत्र में 29.41% की वृद्धि हुई है, भले ही इस वर्ष पूर्व वर्ष फसल परिमाण (याने., 130.00 मि.कि.ग्रा. से 140.00 मि.कि.ग्रा. तक वृद्धि) की तुलना में बोर्ड द्वारा इस वर्ष 7.69% की वृद्धि करने पर भी इस वर्ष कुल रोपण 85,755.70 हे. क्षेत्र में हुआ है।

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 20,997.32 हे. क्षेत्र, जो 2021-22 में रोपित 17,562.32 हे. क्षेत्र की तुलना में 19.55% अधिक रही थी। इस मौसम के दौरान अधिकाधिक फसल मध्यम और देरी दशाओं में रोपित किया गया था। बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की वृद्धि अच्छी रही थी।

दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 37,979.10 हे. के क्षेत्र, जो 2021-22 के दौरान रोपित 28,339.90 हे. क्षेत्र की तुलना में 34.01% की वृद्धि रही थी। अधिकाधिक फसल चक्रवात वर्षा के कारण पुनः रोपित किया गया था। दहमि क्षेत्र में फसल की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकाधिक चमकीला श्रेणियों के साथ अच्छी रही है।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 25,503.45 हे. के क्षेत्र, जो 2021-22 के दौरान रोपित 19,167.81 हे. क्षेत्र की तुलना में 33.05% अधिक रही थी। अधिकाधिक फसल चक्रवात वर्षा के कारण पुनः रोपित किया गया था। दकामि क्षेत्र में फसल की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकाधिक चमकीला श्रेणियों के साथ अच्छी रही है।

2022-23 के दौरान, उत्तरी काली मिट्टियों (एन बी एस) में रोपित कुल 1,275.83 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,195.20 हे. क्षेत्र की तुलना में 6.74% अधिक रही है।

फसल परिणाम :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगो को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 6-8 क्यूरिंगो को अपनाये गये। उहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 44:33:23 रही और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 43:27:30 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है। उकामि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 60:30:10 और 52:33:15 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है।



पैदावार :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 171.63 मिलियन कि.ग्रा रही है। उहमि क्षेत्र में उत्पादन 51.87 मिलियन कि.ग्रा रही है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में उत्पादन क्रमशः 60.93 और 56.04 मिलियन कि.ग्रा. रही है। उकामि क्षेत्र में 2.79 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रही है। दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 1,603 कि.ग्रा./हे. और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में 2,199 कि.ग्रा./ हे., उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,470 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी काली मिट्टी में 2,187 कि.ग्रा./हे. का औसत पैदावार रही थी।

‘मान्डूस’ चक्रवात वर्षा के कारण एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज :

आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 फसल मौसम के दौरान, दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में अक्टूबर, 2022 की प्रथम सप्ताह में और उकामि क्षेत्र में नवंबर, 2022 की द्वितीय सप्ताह में ट्रान्सप्लानटेशन प्रारंभ हुए। ट्रान्सप्लानटेशन के बाद, 9-12 दिसंबर, 2022 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ‘मान्डूस’ चक्रवात के कारण भारी वर्षा संपन्न हुए। आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण हल्की मिट्टी (दहमि) और दक्षिण काली मिट्टी (दकामि) के प्रकाशम, बापट्ला, पलनाडू और एसपीएसआर नेल्लूरु जिलाओं के अन्तर्गत एफसीवी तम्बाकू फसल चक्रवात वर्षाओं के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। दकामि और दहमि क्षेत्र के अंतर्गत एफसीवी तम्बाकू के अधिकाधिक फसल के प्रक्षालन, खड़ी फसल डूब जाने, जल जमावट के परिणाम स्वरूप खड़ी फसल मुरझाने से गंभीर रूप से प्रभावित हुई। वर्षाओं के समापन होने के बाद तुरंत केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (सीटीआआई), राजमहेन्द्री के विशेषज्ञों के साथ तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारी डामेज (क्षति) की प्रकृति और विस्तार को मूल्यांकन करने क्षेत्र को संदर्शन किये और तत्काल नुकसान को कम करने के उपायों के बारे में ग्रोयरो को सूचित किये थे। फसल को प्राप्त डामेज को पता लगाने तम्बाकू बोर्ड के कार्यपालक निदेशक ने संबंधित जिलाधीश और राजस्व मंडल अधिकारी के साथ आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और बापट्ला जिलों के अंतर्गत आने वाले गाँवों को व्यक्तिगत रूप से संदर्शन किया था।



क्षेत्र रिपोर्टों के अनुसार, दि.19/12/2022 तक उक्त जिलों में रोपित कुल 53,498.69 हे. क्षेत्र में से 27,469.94 हे. क्षेत्र में तम्बाकू फसल डामेज हो गयी थी। कुछ किसानों चक्रवात वर्षा के बाद भारी राशि खर्च करके अपने क्षेत्रों में पुनः रोपण प्रारंभ किये थे। आन्ध्र प्रदेश के दकामि और दहमि क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रोयर्स ने फसल डामेज से संबंधित शमन उपायों को करने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड से अनुरोध किये थे।

तम्बाकू बोर्ड ने फसल डामेज पर परिगणना करके प्रभावित ग्रोयर्स को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अन्तर्गत मुआवजा प्रदान करने संबंधित जिला प्रशासकों से अनुरोध किया है। बोर्ड ने सरकार के विशेष प्रधान सचिव (पीएफएस) को पत्र सं.4(9)/2022-23/उत्पादन, दि.19/12/2022 के द्वारा दकामि और दहमि क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू किसानों को वित्तीय भार को कम करने निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित फसल ऋण वितरक बैंकों को सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया था।

फसल डामेज शमन उपाय/पुनः रोपण को अपनाने के लिए प्रति बखार को ₹ 50,000/- की अतिरिक्त फसल ऋण को मंजूर करना।

- एफसीवी तम्बाकू किसानों को ₹ 3.00 लाख तक मंजूर फसल ऋण राशि के लिए राज्य सरकार का 4% ब्याज अनुदान भाग को प्रदान करना।
- एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज का भाग को भुगतान करने पर फसल ऋण को नवीकरण करना।
- एफसीवी तम्बाकू किसानों को मंजूर किये गये फसल ऋणों को पुनः निर्धारित करना।

माननीय वाणिज्य मंत्री की अनुमति से तम्बाकू बोर्ड ने प्रत्येक ग्रोयर सदस्य, जिनका फसल 'मान्डूस' चक्रवात वर्षाओं के कारण डामेज हुआ था, को ब्याज मुक्त फसल डामेज ऋण के रूप में ₹10,000/- और इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्राप्त डामेज से पार करने के लिए किसानों को मदद देने से संबंधित 10,882 ग्रोयर्स को ₹10.882 करोड़ की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया गया था।

आगे दि.14/10/2022 को राष्ट्रीयकृत सभी बैंकों के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया था और सभी बैंकों से प्रत्येक ग्रोयर को वित्तीय श्रेणी को बढ़ाने और एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स को मंजूरी ₹ 3.00 लाख से अधिक फसल ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के लिए अनुरोध किया है। सहायक महा प्रबंधक, राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) से इस विषय पर बैंकों के साथ व्यवहार करने का भी अनुरोध किया गया था। बोर्ड भी सचिव (एफ.एस), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया था कि वित्तीय श्रेणी बढ़ाने और एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स को दिये गये एफसीवी तम्बाकू फसल/इनपुट ऋणों पर ब्याज दर को कम करने संबंधित फसल ऋण वितरण बैंकों को सिफारिश करें।

X. 2022-23 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

सरकार अधिसूचना एस.ओ.सं. 794(ई), एस.ओ.सं. 795(ई), दि.21/02/2023 (कर्नाटका) और एस.ओ.सं. 2939(ई), एस.ओ.सं. 2940(ई), दि.04/07/2023 (आन्ध्र प्रदेश) के अनुसार कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में 2022-22 फसल मौसम के दौरान, पंजीकृत ग्रोयर्स द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक सीमा तक उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयर्स द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर साधारण चालू सेवा प्रभारों को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी गयी थी।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोन्नति :

तम्बाकू बोर्ड ने वैकल्पिक फसलों की ओर एफसीवी तम्बाकू किसानों को शिफ्टिंग करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अन्तर्गत फसल विविधिकरण कार्यक्रम (सीडीपी) योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य कृषि विभागों के साथ समन्वय से काम कर रही है। 2022-23 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ.सं. और आन्ध्र प्रदेश के कृषि विभागों के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के जंगारेड्डिगूडेम, कोय्यलगूडेम, गोपालपुरम, कन्दुकुर, पोदिली, ओंगोल और कोंडेपी और कर्नाटका में एच.डी.कोटे, हुन्सूर, चिलकुंदा, कग्गुन्डी और रामनाथपुरा में वैकल्पिक फसलों के प्रमोशन करने के लिए दहमि क्षेत्र में ग्राहकों के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये गये थे। इस फसल विविधता कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित बोर्ड द्वारा ₹ 0.71 लाख की राशि व्यय हुई थी।

XII. पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के पंजीकृत मोबाईल संख्या को अनुज्ञप्ति की मंजूरी पर ऑन-लाईन सूचना कार्यक्रम :

एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन को ऑफ-लाईन विधान में पेपर मुक्त कार्य करने के लिए पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के पंजीकृत मोबाईल संख्या को बोर्ड द्वारा विकसित एक ऑन-लाईन सूचना संदेश द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी देने का कार्यक्रम को बोर्ड ने 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम से कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम में, नीलाम अधीक्षक द्वारा रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए ग्राहकों का आवेदन प्रोसेस करने के बाद, ग्राहकों की पंजीकृत मोबाईल संख्या को एक संदेश भेजा जायेगा, जिसमें एक टेस्ट संदेश में प्रमाणपत्र डाउनलोड लिंक के साथ संबंधित फसल मौसम के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण स्थिति की जानकारी भी दी जायेगी। ग्राहकों को अपने मोबाईल संख्या को सूचित लिंक में तंबोगोर संख्या और मोबाईल संख्या को दर्ज करने के बाद जेनरेट ओटीपी को उपयोग करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकता है। तम्बाकू बोर्ड नियमों के अनुसार फार्म-2 में (ग्राहकों के रूप में रजिस्ट्रेशन) और फार्म-26 में (बखार प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रेशन) ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। फार्म-2 में शीर्ष दाये कोने पर क्यूआर कोड और रजिस्ट्रेशन विवरण याने., तंबोगोरसं., मोबाईल संख्या, बखारों की संख्या, बखार संख्या, पंजीकृत क्षेत्र और प्राधिकृत परिमाण आदि., का विवरण प्रमाणपत्र प्रमाणिकता के लिए क्यूआर कोड में अंतः स्थापित (एमबेडेड) किया जायेगा।

XIII. पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करने के लिए केशलेस लेन-देन का परिचय :

एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों द्वारा रजिस्ट्रेशन नवीकरण करते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क को भुगतान करने के लिए केशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन करने, 2022-23 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम से बोर्ड ने ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क को वसूल करने के लिए संबंधित प्लैटफार्म के बैंक को भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड विधान की शुरुआत की।

XIV. एफसीवी तम्बाकू गोयर/नर्सरीमेन द्वारा नवीकरण/रिटर्न के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑन-लाईन विकल्प :

व्यापार की सुगमता के अंतर्गत, पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू गोयरों द्वारा विनियमन अनुपालन को कम करने, आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 फसल मौसम से कर्नाटका में 2022-23 फसल मौसम से पंजीकृत गोयरों द्वारा रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञप्ति के 3 संवर्गों और 4 प्रकार रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा एफसीवी तम्बाकू गोयरों/नर्सरीमेन द्वारा नवीकरण/रिटर्न के आवेदन फिल्लिंग करने के लिए एक ऑन-लाईन विकल्प को प्रारंभ किया था ।

विवरण निम्नानुसार है :

रजिस्ट्रेशन / अनुज्ञप्ति	रिटर्न
गोयर रजिस्ट्रेशन नवीकरण	फार्म-II रिटर्न
नर्सरी गोयर रजिस्ट्रेशन	फार्म-III रिटर्न
बखार निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति	फार्म-7 रिटर्न (नर्सरी गोयर)
	फार्म-8 रिटर्न (नर्सरी गोयर)

आगे, रजिस्ट्रेशन की अनुमति/नवीकरण को मेसर्स. कोफोर्जी टीम द्वारा विकसित गोयर और बखार मॉड्यूलों को उपयोग करने के द्वारा और फसल निगरानी मॉड्यूलों को 2022-23 फसल मौसम के दौरान एकत्रित किये गये गोयर डेटा को बेक-अप करने के लिए उपयोग किया गया था ।

XV. न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) :

यह न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) 2022-23 आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका फसल मौसमों के लिए चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणियों के लिए मिट्टी क्षेत्र वार निर्दिष्ट किये गये और यह 3 फसल मौसम याने., 2024-25 तक प्रभावित होते हैं । वे निम्नानुसार है :

श्रेणी	उत्तर हल्की मिट्टी/ कर्नाटका हल्की मिट्टी मूल्य श्रेणी (₹ प्रति कि.ग्रा)		पारंपरिक मूल्य श्रेणी (₹ प्रति कि.ग्रा)	
चमकीला	165.00	175.00	160.00	170.00
मध्यम	135.00	145.00	125.00	135.00
निम्न	80.00	90.00	75.00	85.00

* 'एनओजी' श्रेणी सम्मिलित है

ये मूल्य निम्न शर्तों के अधीन है :

- क) यह एमजीआईपी 'अप्रत्याशित घटना' की स्थिति और व्यापार को वर्तमान कर नीति में बड़े परिवर्तन या प्रतिस्पर्धात्मक देशों में प्रधान मुद्रा उतार-चढ़ाव के मामलों में लागू नहीं है ।
- ख) यह एमजीआईपी निम्न गुणवत्ता तम्बाकू याने., सेलाईन, सीपीए अवशेष और एमटीआरएम दूषित तम्बाकू पर लागू नहीं हैं ।
- ग) एमजीआईपी केवल प्राधिकृत फसल के लिए लागू होती हैं ।
- घ) एमजीआईपी को 3 वर्षों में एक बार समीक्षा की जायेगी ।
- ड.) एमजीआईपी निगरानी फसल स्तर पर होगी, लेकिन समेकित समग्र फसल औसतों के आधार पर व्यक्तिगत प्रतिभागियों के स्तर पर नहीं होगी ।

आन्ध्र प्रदेश में (दि.31/03/2023 तक) 2022-23 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लेटफार्म वार गोयार रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.)			पंजीकृत गोयार			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि क्षेत्र															
देवरपल्ली				1683	1070	2753	1947.17	1117.50	3064.67	3115.47	1452.78	4568.25	2661.05	1275.83	3936.88
ई एल एस	7.49	3.34	10.83	47	0	47	55.00	0.00	55.00	88.00	0.00	88.00	47.00	0.00	47.00
कुल	7.49	3.34	10.83	1730	1070	2800	2002.17	1117.50	3119.67	3203.47	1452.78	4656.25	2708.05	1275.83	3983.88
जंगरेड्डी गुडेम-I	10.46	0.00	10.46	2426	0	2426	2952.00	0.00	2952.00	4723.20	0.00	4723.20	4790.90	0.00	4790.90
जंगरेड्डी गुडेम-II	10.69	0.00	10.69	2715	0	2715	2961.67	0.00	2961.67	4738.67	0.00	4738.67	4365.30	0.00	4365.30
कोय्यलगुडेम	10.41	0.00	10.41	2612	0	2612	2980.90	0.00	2980.90	4769.44	0.00	4769.44	4885.07	0.00	4885.07
गोपालपुरम	10.27	0.00	10.27	2304	0	2304	2780.50	0.00	2780.50	4448.80	0.00	4448.80	4248.00	0.00	4248.00
उप कुल	49.31	3.34	52.65	11787	1070	12857	13677.24	1117.50	14794.74	21883.58	1452.78	23336.36	20997.32	1275.83	22273.15
दकामि क्षेत्र															
वेल्लमपल्ली	3.33	5.21	8.54	1066	1512	2578	878.39	1454.13	2332.52	2546.94	2762.72	5309.66	2537.70	2853.55	5391.25
ऑंगोल-I	2.35	7.19	9.54	1005	1976	2981	672.75	2041.63	2714.38	1810.93	3879.81	5690.74	2416.00	5005.00	7421.00
ऑंगोल-II	0.00	8.08	8.08	0	2016	2016	0.00	2229.33	2229.33	0.00	4236.27	4236.27	0.00	4193.00	4193.00
टंगुदूर	0.00	9.97	9.97	0	2847	2847	0.00	2784.49	2784.49	0.00	5281.80	5281.80	0.00	6004.20	6004.20
कोंडेपी	4.50	5.48	9.98	1953	2020	3973	1203.78	1575.54	2779.32	3459.20	2972.92	6432.12	3813.00	3439.70	7252.70
उपकुल	10.18	35.93	46.12	4024	10371	14395	2754.92	10085.12	12840.04	7617.07	19133.52	26950.59	8766.70	21495.45	30262.15

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)			पंजीकृत गोयरा			वखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
दहमि क्षेत्र															
पोदिली	9.51	0.80	10.31	4208	277	4485	2441.97	211.18	2653.15	7089.36	401.38	7490.74	7229.00	570.00	7799.00
कनिगिरी	4.81	0.00	4.81	1518	0	1518	1246.94	0.00	1246.94	3615.48	0.00	3615.48	3981.00	0.00	3981.00
कंदुकूरु-I	6.58	2.29	8.88	2551	799	3350	1837.43	658.50	2495.93	4893.10	1251.77	6144.87	5560.00	1614.00	7174.00
कंदुकूरु-II	5.73	1.96	7.69	2118	782	2900	1558.15	555.17	2113.32	4386.84	1055.92	5442.76	4518.50	1717.00	6235.50
कलिगिरी	4.78	0.21	4.99	1410	53	1463	1224.97	56.75	1281.72	3553.65	107.84	3661.49	3263.90	107.00	3370.90
डी सी पल्ली	6.55	0.00	6.55	2129	0	2129	1721.70	0.00	1721.70	4992.95	0.00	4992.95	4660.00	0.00	4660.00
उप कुल	37.97	5.25	43.23	13934	1911	15845	10031.16	1481.60	11512.76	28531.38	2816.91	31348.29	29212.40	4008.00	33220.40
महा योग	97.47	44.53	142.00	29745	13352	43097	26463.32	12684.22	39147.54	58232.03	23403.21	81635.24	58976.42	26779.28	85755.70

आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)			गोयों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि क्षेत्र												
देवरपल्ली												
ई एल एस	6.92	4.15	11.07	1715	1217	2932	1985	1270	3255	2779	1777	4556
				46	0	46	52	0	52	73	0	73
कुल	6.92	4.15	11.07	1761	1217	2978	2037	1270	3307	2852	1777	4629
जंगारेड्डी गुडेम-I	9.32	0.00	9.32	2392	0	2392	2917	0	2917	4084	0	4084
जंगारेड्डी गुडेम-II	9.68	0.00	9.68	2696	0	2696	2915	0	2915	4081	0	4081
कोय्यलगूडेम	9.38	0.00	9.38	2546	0	2546	2883	0	2883	4036	0	4036
गोपालपुरम	9.41	0.00	9.41	2331	0	2331	2813	0	2813	3938	0	3938
उप कुल	44.71	4.15	48.86	11726	1217	12943	13565	1270	14835	18891	1777	20768
दकामि क्षेत्र												
वेल्लमपल्ली	3.01	4.79	7.80	1097	1533	2630	871	1455	2327	2178	2474	4651
ऑंगोल-I	2.12	6.52	8.64	960	1961	2921	636	1986	2622	1457	3378	4834
ऑंगोल-II	0.00	7.40	7.40	0	2062	2062	0	2228	2228	0	3788	3788
टंगुटूर-I	0.00	9.04	9.04	0	2841	2841	0	2753	2753	0	4681	4681
कौडेपी	4.06	4.97	9.03	1961	2010	3971	1185	1532	2717	2933	2605	5538
उपकुल	9.20	32.72	41.92	4018	10407	14425	2692	9955	12647	6567	16925	23493
दहमि क्षेत्र												
पोदिली	8.59	0.69	9.28	4270	273	4543	2407	216	2623	6025	368	6393
कनिगिरी	4.37	0.00	4.37	1498	0	1498	1228	0	1228	3070	0	3070
कंदुकूर-I	5.99	2.08	8.08	2548	788	3336	1784	639	2423	4036	1086	5122
कंदुकूर-II	5.13	1.77	6.90	2109	772	2881	1505	549	2054	3635	933	4568
कलिगिरी	4.42	0.19	4.62	1511	56	1567	1255	60	1314	3138	102	3240
डी सी पल्ली	5.98	0.00	5.98	2157	0	2157	1735	0	1735	4337	0	4337
उप कुल	34.48	4.74	39.22	14093	1889	15982	9913	1464	11377	24241	2489	26729
महा योग	88.39	41.61	130.00	29837	13513	43350	26170	12688	38858	49799	21192	70990

**कर्नाटका में 2022-23 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार गोयर रजिस्ट्रेशन
और प्लानटेशन विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	निर्धारित फसल परिमाण (हे.)	पंजीकृत गोयर	पंजीकृत बखार	पंजीकृत क्षेत्र (मि.कि.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच.डी.कोटे-I	10.17	3855	5005.00	7007.00	5765.00
2	हुन्सूर-2	7.68	3393	4220.00	5908.00	5379.40
3	हुन्सूर-3	6.98	3179	3830.00	5362.00	4681.70
4	हुन्सूर-64	6.01	2455	3133.00	4386.20	3910.05
5	चिलकुंदा-62	13.85	5688	7362.00	10306.80	9239.00
	उप-कुल	44.68	18570	23550.00	32970.00	28975.15
पेरियपट्टना क्षेत्र :						
6	पेरियपट्टना-4	13.12	4550	6390.00	8946.00	6550.00
7	पेरियपट्टना-5	11.40	4827	6237.00	8731.80	7628.47
8	पेरियपट्टना-6	11.82	4897	6269.00	8776.60	6624.80
9	रामनाथपुरा-7	10.13	4138	5102.00	7142.80	6266.00
10	रामनाथपुरा-63	8.85	3225	4035.00	5649.00	4738.00
	उप-कुल	55.32	21637	28033.00	39246.20	31807.27
	महा योग	100.00	40207	51583.00	72216.20	60782.42

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नवीन और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतंसं), राजमहेन्द्रवरम, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यक्रमों निम्नानुसार हैं :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सककर साईड, उर्वरक)
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

फसल की उत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सककरसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

(i) एफसीवी तम्बाकू बीज :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को आईसीएआर - केतंसं, राजमहेन्द्रवरम और आईटीसी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्रवरम के द्वारा 8,744.75 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों के बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि.ग्रा. में)

राज्य	किस्म									
	कंचन (सीटीआरआई)	कंचन (आईटीसी)	सीएच3 (आईटीसी)	सिरी	एफसीआर 15	एफसीएच 222	वीटी 1158	सुलक्षणा	एन 98	कुल
कर्नाटका	278.00	217.00	883.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1384.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	251.00	3824.40	3255.80	0.00	0.50	17.25	11.80	7360.75
कुल	278.00	217.00	1,134.00	3,824.40	3,255.80	6.00	0.50	17.25	11.80	8,744.75

(ii) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ) के द्वारा उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया था। यह नवीन उर्वरक वितरण प्रणाली आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम के दौरान और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान विकसित और कार्यान्वित हुई थी। इस नवीन प्रणाली में पंजीकृत गोयारों को अपने स्वयं के लिए (उर्वरकों को) प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है। यह सदृश विधान 2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु, दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू गोयार सहकारी यूनियन लिमिटेड, ओंगोल, डी सी एम एस, ओंगोल, डी सी एम एस, नेल्लुरु और कर्नाटका में कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड (केएसएससी लिमिटेड) की सेवाओं को उपयोग करके उर्वरक वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया। तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलुओं में याने., मॉगपत्रों और अग्रिम राशियों के संग्रह से लेकर, बैंको से इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को बाहरी स्रोत अभिकरणों को मुफ्त किराया में उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था। बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय-सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे। बाहरी स्रोत एजेन्सियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता को मोनिटरिंग किये थे।

कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये :

कर्नाटका (क ह मि क्षेत्र) :

उर्वरक	निर्माणकर्ता	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	5,707.30	21,442.91	1,223.81
	जीएसएफसी	8,414.35	20,976.00	716.19
	कुल	9,121.65		1,940.00
सल्फेट आफ पोटाश	आईपीएल	5,282.30	85,000.00	4,489.96
	ट्रान्स वरल्ड	3,839.35	88,725.00	3,406.46
	कुल	9,121.65		7,896.42
डै अम्मोनियम फास्फेट	सीआईएल	3,040.55	26,527.50	806.58
महा योग		21,283.85		10,643.00

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	प्रदायक	दहमि/दकामि क्षेत्र				उहमि क्षेत्र			कुल	
		परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹ लाखों में)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	878.00	18950.40	166.38	3247.30	18950.40	615.38	4125.30	781.76	
	जीएसएफसी	642.45	18950.20	121.75	0.00	-----	0.00	642.45	121.75	
	उप कुल	1520.45		288.13	3247.30		615.38	4767.75	903.51	
डै अम्मोनियम फास्फेट	आईपीएल	693.25	26500.00	183.71	1265.10	26500.00	335.25	1958.35	518.96	
सल्फेट आफ पोटाश	आईपीएल	642.80	85900.00	552.17	2276.80	85900.00	1955.77	2919.60	2507.94	
	फ्लोरिस	0.00	-----	0.00	417.65	69000.00	288.18	417.65	288.18	
	ट्रान्स वरल्ड	0.00	-----	0.00	266.00	85600.00	227.70	266.00	227.70	
	ट्रान्स वरल्ड (फर्टिगेशन मोड)	0.00	-----	0.00	573.30	93000.00	533.17	573.30	533.17	
	उप कुल	642.80		552.17	3533.75		3004.82	4176.55	3556.99	
कालशियम नैट्रेट	कांटेनैटल	14.43	68000.00	9.81	108.55	68000.00	73.81	122.98	83.62	
महा योग		2870.93		1033.82	8154.70		4029.26	11025.63	5063.08	



(iii) सक्करसाईड :

तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मान्युवल टॉपिंग के बाद सक्करों के नियंत्रण करने कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को सक्करसाईड की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की थी और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए ग्राहकों की बिक्री प्रोसीडों से सक्करसाईड की मूल्यों को वसूली करने की व्यवस्था की है ।

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए उहमि और कहमि क्षेत्रों में गठित किसानों की समिति (सीओपी) ने सक्करसाईड की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रण/वेंडर/मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिये ।

2022-23 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 1,200/- के हिसाब से 41,115 लीटर परिमाण के सक्करआउट को योग्य पंजीकृत ग्राहकों को आपूर्ति की है ।

आन्ध्र प्रदेश में, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 1535/- के हिसाब से इच्छुक ग्राहकों को 1,02,510 लीटर सक्कर आउट और मेसर्स. हाईग्रो प्लोरिस केमिकल्स प्र. लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 1,534/- के हिसाब से 33,125 ली. सी10 सक्करसाईड और मेसर्स. एसआरएस एन्टरप्राइजेस द्वारा 2.5 ली. डिब्बा के लिए ₹ 1,535/- मूल्य में 6,120 लीटर डेकोनल सक्करसाईड की आपूर्ति की है ।



II. फार्म यांत्रिकीकरण - पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड :

बोर्ड ने फसल उत्पादन और पूर्व कटाई गतिविधियों में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए मध्यस्थता की खोज की दशा में अपने प्रयासों से स्वदेशी ज्ञान से जीआई स्टील पत्ता होल्डिंग रॉड को डिजाइन और निर्माण किया था। बखार में क्यूरिंग के लिए पत्ता होल्डिंग करने के लिए बॉस की लकड़ी पर परंपरागत एफसीवी तम्बाकू पत्ता बाँधने की प्रक्रिया में पत्ता बाँधने में कुशल श्रामिकों की आवश्यकता बहुत वर्षों से है और कुशल श्रामिकों की कमी के कारण पत्ता बाँधने में कुशल श्रामिकों की मांग बढ़ रही है। इस परिस्थितियों में पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड का निर्माण श्रामिक समस्या को निपटाने के लिए आशाजनक और पत्ता होल्डिंग की क्षमता भी बढ़ने के कारण ईंधन लकड़ी की उपयोग को कम करने में मदद करती है।

जीआई स्टील पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड और लकड़ी की मेज, जो परिचालन में आसानी के लिए स्पाईकों पर पत्तों को लोडिंग करने में एक प्लेटफार्म के रूप में काम करता है, की प्रोटोटाइप को तैयार किया गया था। पत्ता क्यूरिंग करने में इस स्पाईक रॉड का निष्पादन संतोषजनक रहा था और इसको दि.30/11/2022 को आईसीएआर - सीटीआरआई अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पणधरियों को, दि.30/12/2022 को केतंसं, राजमहेन्द्री में ब्रेडन स्ट्रामिंग सत्र में और दि.02/03/2023 को जिलुगुमिल्ली में कार्यशाला में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनियों के दौरान, के तं अं सं के विशेषज्ञों और ग्रोयर्स द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए निर्मित रॉडों का व्यापक मूल्यांकन के लिए सुझाव दिये गये और इस तकनीकी को आईसीएआर - सीटीआरआई फार्म, कंतेरु में मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया था।



इस पत्ता होल्डिंग क्लिप्पिंग स्पाईक रॉड और लकड़ी मेज को निर्माण करने से संबंधित 2022-23 फसल मौसम के दौरान ₹ 30,000/- की राशि खर्च हुई थी।

III. 2022-23 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :

बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तम्बाकू की लागतों को कम करने, उपज गुणवत्ता की वृद्धि, क्यूरिंग और पूर्व कटाई उत्पाद प्रबंध में ऊर्जा संरक्षण करने के उद्देश्य से विभिन्न विस्तार & विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

(i) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - ट्रे बीज तकनीकी और शेड नेटों की व्यवस्था :

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को मानकीकरण किया गया है, जो मिट्टी जनित बीमारी समस्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रघातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधों की उत्पादन किया जा सकें। ट्रे नर्सरी

पौधों, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधों की तुलना में, फसल में न्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता को सुनिश्चितता और इसके परिणाम स्वरूप क्यूरड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि को प्रदान करते हैं। ट्रे में उत्पादित पौधे ट्रान्सप्लानटेशन प्रघात के बिना प्रधान क्षेत्र में 100% प्रतिस्थापन की सुविधा के साथ 10-25% उत्पाद विकास से एकरूप फसल की वृद्धि को सुनिश्चित करती है। 2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में बोर्ड ने, किसान समितियों को बेहतर गुणता के लिए प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी को बढ़ाने के द्वारा सहायता दी है। 2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में इच्छुक ग्रोयर्स को ट्रे की आपूर्ति पर सब्सिडी को प्रावधान करने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	ग्रोयर्स की संख्या	ट्रे की संख्या	सब्सिडी (₹ लाखों में)
कर्नाटका	6407	1385427	63.03
आन्ध्र प्रदेश	1644	776539	23.69
कुल	8051	2161966	86.72



(ii) शेड नेटों की प्रतिस्थापन :

ट्रे नर्सरियों को प्रतिकूल वातावरण अनियमितताओं जैसे., हवा, ठंड, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक तापमान, कीट और बीमारियों की घटनाओं से रक्षा करने के लिए ट्रे में पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में रखना पड़ता है और दक्षिणी क्षेत्र के ग्रोयर्स को कम लागत वाली अस्थायी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरों को प्रतिस्थापन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से बोर्ड ने दहमि और दकामि क्षेत्रों के 288 ग्रोयर्स को 299 यूनिट शेड नेटों की आपूर्ति से संबंधित ₹ 1.58 लाख की सब्सिडी बढ़ा दी गई।



(iii) कोकोपिट :

कोकोपिट को स्वास्थ्य बीज उत्पादन के लिए एक वृद्धि साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी जनित रोगों के प्रभाव से रोकने और नमी संरक्षण में भी सहायता देती है। तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को कोकोपिट की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹ 2.29 लाख की सब्सिडी राशि बढ़ा दी।

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	कोकोपिट परिमाण (कि.ग्रा.)	सब्सिडी (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	308	1,78,967	2.29

(iv) मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - हरित खाद बीजों की आपूर्ति :

तम्बाकू की मिट्टियाँ निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं। तम्बाकू बोर्ड ने मिट्टी की स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए 2022-23 फसल मौसम के दौरान लगभग ₹ 10/- प्रति किलो और ₹ 200/- प्रति एकड़ की सब्सिडी के साथ बड़े पैमाने में स्वस्थाने हरी खाद को प्रमोट किया और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सरकारी बीज आपूर्ति एजेंसियों से सनहेम्प बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की है।

कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड (के एस एस सी लिमिटेड) से ₹ 84/- की लागत में 7,371.43 किंचंटाल सनहेम्प बीज को कर्नाटका के 23,040 ग्रोयरों को और 19,850 कि.ग्रा. परिमाण बीजों को आन्ध्र प्रदेश के 567 इच्छुक ग्रोयरों को सब्सिडी के साथ आपूर्ति की है। आन्ध्र प्रदेश के कुछ ग्रोयरों अपने खेती क्षेत्रों में हरी खाद की फसल को अपने क्षेत्रों में रैज करने के लिए हरी खाद बीज को या तो बाहरी बाजारों से या तो राज्य सरकार के

रैतु भरोसा केन्द्र (आरबीके) से सब्सिडी दरों में हरी बीजों को खरीद किये हैं। बोर्ड द्वारा सब्सिडी के साथ आपूर्ति सनहेम्प बीज और हरी खाद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र विवरण इस प्रकार है।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	ग्रोयर्स की संख्या	सब्सिडी के साथ आपूर्तित सनहेम्प बीज परिमाण (कि.ग्रा)	सब्सिडी राशि (₹)	हरित खाद फसल के अंतर्गत क्षेत्र (हें)
कर्नाटका	कहमि क्षेत्र	23,040	7,37,143	73,71,430	11,677.63
आन्ध्र प्रदेश	उहमि क्षेत्र	463	17,630	92,500	3,948.80
	दहमि क्षेत्र	66	1,160	13,100	5,844.10
	दकामि क्षेत्र	38	1,060	7,600	9,688.00
आन्ध्र प्रदेश कुल		567	19,850	11,3200	19,480.90
महा योग		23,607	7,56,993	74,84,630	31,158.53

बोर्ड ने हरी खाद की आपूर्ति से संबंधित आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 23,607 ग्रोयर्स को ₹ 74,846 लाख राशि की सब्सिडी दी।

बोर्ड के प्रयासों के कारण, पिछले वर्ष फसल मौसम की तुलना में 2022-23 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका में 14.95 गुना और आन्ध्र प्रदेश में 2.18 गुना हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ गया है।



(v) जीव उर्वरक :

पोटाशियम (के) पौधों का एक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो विकास, रूपान्तरण (मेटाबोलिज्म) और बीमारियों, कीटों और जीव तनाव के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। पोटाशियम तम्बाकू में गुणवत्ता का महत्वपूर्ण तत्व है और क्यूरेड पत्ते के वर्ण, पत्ता गुणवत्ता और पत्ता के जलने की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

तम्बाकू में 'के' का एक मात्र सिफारिश स्रोत एसओपी है और एसओपी की लागत वर्ष-द-वर्ष बढ़ रही है। कृषि में जीव उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में साबित हुआ, जो संपोषित फसल उत्पादन में सहायता करती है। एसओपी उर्वरक की अत्यधिक लागतों के कारण, कुछ ग्रोयर या तो एसओपी का उपयोग कम

कर रहे हैं या तो उपयोग से पूरी तरह दूर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में, पौधा की विकास और उपज के लिए पोटेशियम रीलीज जीवाणु (के आर बी) का प्रयोग, जो मिट्टी में मौजूद अघुलनशील पोटेशियम को घुलनशील पोटेशियम (के) के रूपों में समाधेय कर सकता है, को 2022-23 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका में पहली बार ट्रयल बेसिस पर शुरू किया गया है।

प्रथमतः 303 लीटर केआरबी संवर्धन को एनआईपीएचएम, हैदराबाद से प्राप्त किया गया और इसे प्रत्येक ग्रायर, जो 2022-23 फसल मौसम के दौरान प्राकृतिक खेती विधान में खड़ी फसल में मिट्टी को समाप्लावन (ट्रेनिंग) विधान से ऑन-परीक्षण करने के लिए आगे आये थे, को 3 लीटर के आर बी संवर्धन के हिसाब से कहमि क्षेत्र के 101 एफसीवी तम्बाकू ग्रायरों को आपूर्ति किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में उहमि क्षेत्र के 138 ग्रायरों को 1700 लीटर केआरबी संवर्धन की आपूर्ति की गयी थी। केआरबी संवर्धन का व्यय ₹ 200/- प्रति लीटर है। ग्रायरों ने इस अपने सकारात्मक फीडबैक दिये थे कि के आर बी संवर्धन के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

एफसीवी तम्बाकू में केआरबी उपयोग के प्रभाव को वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करने के उद्देश्य से “एफसीवी तम्बाकू के उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने पोषकतत्व अनुपूरण, निमटोड/बीमारी नियंत्रण के लिए बयो-कनसार्टिया का मूल्यांकन” पर एक अनुसंधान परियोजना आईसीएआर - सीटीआरआई को प्रदान किया गया और इस अनुसंधान परियोजना के निष्पादन के लिए ₹ 5.00 लाख बोर्ड से अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।



IV. तम्बाकू की उपज & गुणता में वृद्धि :

(क) संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास (आईपीएम)

संघटित कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहाँ प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण पद्धतियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि जीव नाशी रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति और एनआईपीएचएम, हैदराबाद से जीव कीटनाशक संवर्धनों की आपूर्ति की व्यवस्था की। बोर्ड ने आईसीएआर - सीटीआरआई (हुन्सूर, कन्दुकुरु और जीलुगुमिल्ली) के नर्सरियों से गेंद के पौधों की आपूर्ति की और बाजरा/जोवर बीजों को कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड से एफसीवी तम्बाकू ग्रायरों को वितरित किये गये हैं और आईपी एस योजनाओं को प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन करने के लिए इन ईनपुटों पर सव्सीडी भी दिये गये हैं।

2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी बढ़ाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

(क) फेरोमोन ट्राप :

राज्य	ग्रोयर्स की संख्या	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	876	19,853	3.51
कर्नाटका	244	1,900	0.34
कुल	1,120	21,753	3.85

(ख) पीला चिपचिपा ट्राप :

राज्य	ग्रोयर्स की संख्या	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	902	15,107	1.06
कर्नाटका	246	1,840	0.12
कुल	1,148	16,947	1.18

(ग) जैव - कीटनाशक :

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से ग्रोयर्स को जैव कीटनाशकों याने., ट्रैकोडेर्मा हार्जीयानम और सूडोमोनस फ्लोरोसेन्स की आपूर्ति किये जाते हैं, ताकि मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकें। 2022-23 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटका में 1,426 ग्रोयर्स को 1,428 लीटर जैव-कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सब्सिडी से संबंधित ₹ 1.61 लाख की राशि बढ़ायी गयी। आन्ध्र प्रदेश उहमि क्षेत्र में 1,239 ग्रोयर्स को 5,159 लीटर जैव-कीटनाशक आपूर्ति किये गये और सब्सिडी से संबंधित ₹ 5.80 लाख की राशि बढ़ायी गयी।

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञों ने उहमि और कहमि क्षेत्रों के नीलाम प्लैटफार्मों को विजिट किये और जैव-कीटनाशक की व्यापक गुणन प्रक्रिया और एफसीवी तम्बाकू कृषि में जैव-कीटनाशकों का उपयोग पर ग्रोयर्स को प्रशिक्षित किये थे। इन प्रदर्शनों के लिए संदर्शन शुल्क के रूप में एनआईपीएचएम विशेषज्ञों को ₹ 0.64 लाख राशि का भुगतान किया गया। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

मिट्टी क्षेत्र	एनआईपीएचएम विशेषज्ञों के संदर्शन तारीख	अवधि	ग्रोयर्स की संख्या
कर्नाटका में कहमि क्षेत्र	12/04/2022 13/04/2022	2 दिन	11 गाँव
आन्ध्र प्रदेश में उहमि क्षेत्र	12/09/2022 13/09/2022	2 दिन	5 गाँव



(घ) गेंदा पौधों :

गेंदा पौधों को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के अन्दर उगाया जा सकता है, जो गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं और यदि गेंदा पौधा पर अंडे और लार्वा को समय-समय पर कलेक्ट करके और इसे नष्ट किये जाने पर होलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में एक जाल फसल के रूप में सहायता करती है। बोर्ड ने, कन्दुकुरु और जीलुगुमिल्ली में स्थित केतंस अनुसंधान स्टेशनों से 9,10,000 गेंदा पौधों को प्रत्येक पौधा ₹ 0.75/- के मूल्य में प्राप्त की और इसे आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को वितरित की। इस के लिए ₹ 6.83 लाख की राशि खर्च हुई थी। कर्नाटका में ₹ 1.92 लाख व्यय में केतंस अनुसंधान क्षेत्र, हुन्सूर से 2,56,500 गेंदा पौधों को प्राप्त किये और इसे पंजीकृत ग्राहकों के बीच वितरित किये गये थे। यह गेंदा पौधा ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।



(ड.) जवार और बाजरा बीज :

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोयी जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं और हितकारी पराजीवी और परभक्षियों की आश्रय के रूप में कार्य करती हैं। बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 1,062 कि.ग्रा. बाजरा बीज ₹40/- प्रति किलो के मूल्य में और 852 कि.ग्रा. जवार बीज ₹ 80/- प्रति किलो के मूल्य में खरीदकर इसे कहमि क्षेत्र के 1,300 ग्राहकों को निःशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 1.11 लाख राशि खर्च हुई।



(च) जल में घुलनशील उर्वरकों की आपूर्ति :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, ग्रायर्स के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दक्षिणी क्षेत्र के काली और हल्की मिट्टियों के इच्छुक एफसीवी तम्बाकू ग्रायर्स को आपूर्ति करने के लिए किसानों की समिति (सीओएफ) द्वारा अधिप्राप्त जल में घुलनशील उर्वरकों (डब्ल्यू एस एफ) जैसे., 19-19-19; 13-0-45; 0-0-50 आदि., को आपूर्ति किये गये, बोर्ड ने जल में घुलनशील उर्वरकों के मूल्य को नीलामियों में ग्रायर्स की बिक्री प्रोसीडों से कटौती कर रही है।

दिसंबर, 2022 के द्वितीय सप्ताह के दौरान प्राप्त मान्डूस चक्रवात वर्षाओं से दकामि और दहमि दोनों क्षेत्रों के स्थायी फसल को भारी डामेज प्राप्त हुई और फसल द्वारा लगा गये उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जा सका, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावर बिगड़ गयी। चक्रवात के प्रभाव के कारण, अधिकांश एफ सी वी तम्बाकू ग्रायर्स के फसल को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने या तो फसल को पुनः रोपण का सहारा लिये, या तो अपने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में फसल राहत सुधारात्मक उपाय किये हैं और फसल गुणवत्ता को बचाने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किये हैं।

बोर्ड ने, दकामि और दहमि क्षेत्रों में सभी संवर्गों के योग्य ग्रायर्स को ₹ 130/- प्रति कि.ग्रा. मूल्य में 0:0:50 जल में घुलनशील उर्वरकों को 20% सब्सिडी बढ़ा दी है, ताकि मान्डूस चक्रवात की संकटपूर्ण स्थिति में किसानों के लिए कुछ सीमा तक वित्तीय राहत प्रदान किया जा सके। बोर्ड द्वारा विस्तारित मिट्टी क्षेत्र वार सब्सिडी विवरण इस प्रकार है :

मिट्टी क्षेत्र	ग्रायर्स की संख्या	डब्ल्यू एस एफ 0:0:50 का परिमाण, जिसको सब्सिडी बढ़ाया गया	सब्सिडी की राशि (₹ लाखों में)
दकामि	3,899	19,102	4.97
दहमि	3,839	22,893	5.95
कुल	7,738	41,995	10.92

V. क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होती है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईंधन की उपयोग से बचाने के लिए, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंदुरी भट्टी से बदलना आदि., ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। बोर्ड, इस ऊर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रही है। 2022-23 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इस ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹111.55 लाखों की राशि खर्च हुई।

(i) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंदुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना:

बखार में फर्नेस व्यवस्था का एक संशोधित अभिकल्प है-“वेंदुरी फर्नेस”, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण को बेहतर दहन की सुविधा देती है, ताकि प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और इससे ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के सहयोग से 2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 179 लाभभोगियों को कवर करते हुए 131 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों में पुराने फर्नेस के स्थान पर वेंदुरी फर्नेस से प्रतिस्थापन किया गया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयर्स को बोर्ड द्वारा सब्सिडी से संबंधित प्रति बखार को ₹5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 6.52 लाख राशि खर्च हुई। व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड और मेसर्स. जी पी आई लिमिटेड) इस अभिक्रम के लिए ₹5,000/- प्रति बखार को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई।

मिट्टी क्षेत्र पर वेंदुरी फर्नेस से प्रतिस्थापित बखार विवरण इस प्रकार है :

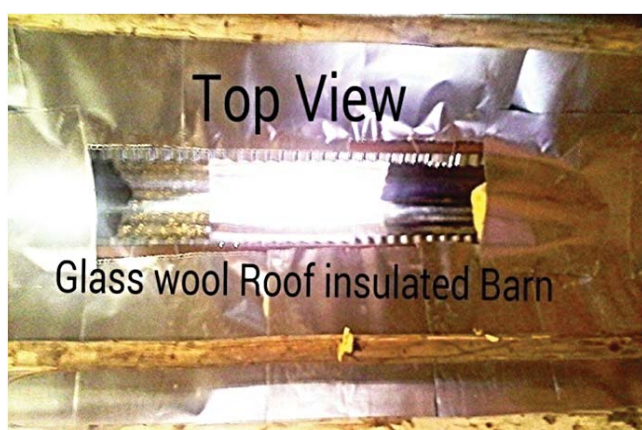
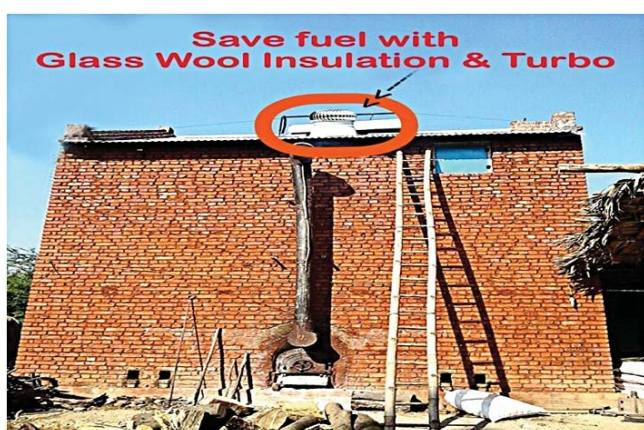
मिट्टी क्षेत्र	ग्रोयर्स की संख्या	वेंदुरी फर्नेस से प्रतिस्थापित बखारों की संख्या	सब्सिडी राशि (₹)
उहमि	30	29	1,45,000
दकामि	37	36	1,80,000
दहमि	112	66	3,27,500
कुल	179	131	6,52,500

(ii) बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटिंग :

बखारों के छत के लिए ग्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयर्स को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर को प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक लकड़ी ईंधन की बचत होती है और इस के द्वारा कृषि लागत भी कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और पत्ता सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई।

बोर्ड ने, व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड) की सहायता से दहमि/दकामि क्षेत्र में 16x20 आकार बखार के लिए ₹9,308.43/- वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को आन्ध्र प्रदेश में फोकसड मोड में कार्यान्वित की थी । व्यापारी वर्ग ने वित्तीय सहायता के रूप में प्रति बखार को ₹12,287.13/- मूल्य का योगदान दिया और बाकी पृथक्करण की लागत को लाभभोगी ग्रोयरों के द्वारा अपना गयी थी । 16x20 परिमाण के प्रति बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिटिंग करने के लिए लगभग ₹ 37,234/- प्रति बखार के लिए कुल लागत होती हैं ।

2022-23 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 380 पंजीकृत ग्रोयरों के 310 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सव्सीडी की राशि के रूप में ₹ 28.86 लाख खर्च की ।



(iii) टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू की क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटिलेटर को ग्रोयर लाभभोगियों को सव्सीडी प्रदान करने के द्वारा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य रहा है । धान तृण की पुथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹ 5,000/- प्रति बखार को सव्सीडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आईटीसी और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड) की सहायता से कर्नाटका में कार्यान्वित किया । इस तकनीकी से औसतन 30% ईंधन की बचत प्राप्त हुई ।

ग्रोयर लाभयोगियों की संख्या	बखारों की संख्या	सव्सीडी (₹ लाख)
1,446	1,484	74.20

(iv) मुक्त पत्ता बखार तकनीकी :

एफसीवी तम्बाकू की खेती और क्यूरिंग में श्रामिक उपयोगिता को कम करने के लिए मशीनीकरण के प्रयास में लकड़ी ईंधन की व्यय और श्रामिक उपयोग को कम करने में आशाजनक तकनीक के रूप में मुक्त पत्ता बखार तकनीकी प्रकट हुई । इस मुक्त पत्ता बखार से परंपरागत बखारों की तुलना में क्यूरिंग क्षमता दुगुना हुई है और यह एफसीवी तम्बाकू के कुल उत्पाद व्यय को कम करने में फायदेमंद है ।

केतंसं ने इस परीक्षण की कमियों से दूर रहने के लिए विभिन्न एफसीवी तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से डेटा रिकार्डिंग करने के साथ इस तकनीकी को परीक्षण के लिए सिफारिश की है। इस संदर्भ में, तम्बाकू बोर्ड ने लागत मितव्ययता को मूल्यांकन करने और शारीरिक श्रम रोजगारी और लकड़ी ईंधन को कम करने में तकनीकी की प्रभावकारिता को मूल्यांकन करने आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर चार मुक्त पत्ता बखारों की पृथक्करण/निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है। तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 और 2021-22 फसल मौसमों के दौरान ग्राहकों को ₹ 3.00 लाख प्रति बखार के हिसाब से 4 ग्राहकों को ₹ 12.00 लाख की राशि वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड) के सहयोग से मुक्त पत्ता बखार पृथक्करण को अपनाया है।

मुक्त पत्ता बखार तकनीकी और एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में इसकी प्रभावकारिता को मूल्यांकित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने दि.03/12/2021 को केतंसं, राजमहेन्द्री के साथ एम ओ यू में प्रवेश लिया और इस परियोजना के अंतर्गत फरवरी, 2022 की द्वितीय सप्ताह में केतंसं के कन्दुकुरु अनुसंधान केन्द्र में एक मुक्त पत्ता बखार (एलएलबी) को स्थापित किया था।

परियोजना के वित्तीय व्यवस्था के अनुसार, बखार निर्माण करने के लिए 10% निर्माण व्यय को बोर्ड द्वारा वहन करना है और मूल्यांकन करने के लिए संविदात्मक सेवाएँ को लगाने और अन्य परिचालन से संबंधित व्ययों को करने के लिए ₹ 1.00 लाख भी प्रदान करना है। तदनुसार, मुक्त पत्ता बखार निर्माण की 10% निर्माण व्यय से संबंधित ₹ 96,610/- को भुगतान किया गया था और मुक्त पत्ता बखार का मूल्यांकन व्यय से संबंधित ₹ 1.00 लाख राशि बोर्ड द्वारा आईसीईई - केतंसं को भेजी गयी थी। केतंसं ने सूचित किया कि इस बखार में 2022-23 फसल मौसम के दौरान 04 क्यूरिंग पूरी हो चुकी हैं और संस्था से परियोजना रिपोर्ट की प्रतिक्षा में हैं।



VI. पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

(i) गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पलिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) मिश्रण एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। उत्पाद अखंडता की रक्षा करने के लिए एनटीआरएम स्रोत को निष्कासन, एनटीआरएम को पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रथाओं जैसे, कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि., में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान रहा है। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए एनटीआरएम से दूर रहने कटाई,

परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 1,698 ग्रायर्स को 1,698 कान्वास टार्पालीनों को सब्सिडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत अनुज्ञप्ति ग्रायर्स को सब्सिडी बढ़ाने से संबंधित ₹ 17.46 लाख रुपये राशि खर्च हुई थी। अन्य संवर्ग के ग्रायर्स को सब्सिडी के रूप में ₹1,000/- प्रति टार्पालीन/ग्रायर और अ.जा./अ ज जा ग्रायर्स के लिए ₹ 1,400/- प्रति टार्पालीन/ग्रायर दिया गया था।

(ii) बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण को स्थापित करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाओं से किसानों को एनटीआरएम मिश्रण से रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्रायर्स को बल्किंग शेड/भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय सहायता और आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित कर रही थी।

2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में बल्क-शेड के परिमाण के अनुसार बल्किंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹16,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 14 बल्क शेड निर्माण से संबंधित कुल ₹ 1.97 लाख रुपये की राशि व्यय किये गये।

(iii) पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों की अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों की उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं। क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कड़े शर्त लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटस्पॉट के होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटस्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये। बोर्ड ने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग करना तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए आन्ध्र प्रदेश (2021-22 फसल मौसम) के सभी मिट्टी क्षेत्रों से 201 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं और 2022-23 फसल मौसम में कर्नाटका के 100 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं को एनआईपीएचएम, हैदराबाद में और उहमि क्षेत्र के 91 नमूनाओं को विशेषकर सीपीए अवशेष स्तर को पता लगाने तदनुसार दोषनिवारक कार्यवाही को अपनाने के लिए मेसर्स. यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूर में विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण प्रभार से संबंधित ₹33.37 लाख की राशि व्यय हुई।

फसल मौसम	राज्य	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹ लाख) (जीएसटी+टीडीएस सहित)	विश्लेषित केंद्र
2021-22	आन्ध्र प्रदेश	110	12.98	एनआईपीएचएम, हैदराबाद
		91	8.59	यूरोफिन्स, बेंगलूर
2022-23	कर्नाटका	100	11.80	एनआईपीएचएम, हैदराबाद
कुल		301	33.37	

(iv) निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

तम्बाकू बोर्ड ने निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड को निर्धारण करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2022-23 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटका के सभी प्लैटफार्मों से एकत्रित 113 पत्ते नमूनाओं (100 पत्ता नमूना + 13 रबी फसल पत्ता नमूना) का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रासायनिक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केतंसं, राजमहेन्द्रवरम में विश्लेषण करायी थी। इस लेखा के अंतर्गत ₹ 2.6 लाख कुल राशि व्यय हुआ था।

फसल मौसम	राज्य	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹ लाख) (जीएसटी सहित)	विश्लेषित केंद्र
2022-23	कर्नाटका	100	2.30	सीटीआरआई, राजमहेन्द्रवरम
2022-23 रबी फसल के लिए	कर्नाटका	13	0.30	
कुल		113	2.60	

VII. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

किसानों से व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म टूरलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा तम्बाकू बोर्ड समय पर सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण करने द्वारा सफलता पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

(i) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना यह विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग करने की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण, किसानों को तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को लागू करने में कुशल बनाती है, जिससे

स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है।

इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने 2022-23 फसल मौसम के दौरान, सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाली विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयर्स और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी थी। क्षेत्र कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षणों को भी अपनाये गये।

- 2022-23 में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसानों को उत्तम कृषि प्रयासों पर जानकारी पैदा करने फसल वृद्धि की विभिन्न चरणों में याने., नर्सरी प्रबंध से लेकर फसल पैदावार, क्यूरींग और ऑन-फार्म स्टोरेज आदि., तक 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 7,759 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे। दोनों राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 5.05 लाख की राशि खर्च हुई।
- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों में क्षेत्र कर्मचारियों को जीव-कीटनाशकों और जीव-उर्वरकों की गुणनात्मक प्रक्रिया और समेकित कीट प्रबंध (आईपीएम) पर बड़े पैमाने पर (तीन) गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। एनआईपीएचएम (राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था) के विशेषज्ञों को सभी कार्यक्रमों के लिए संकाय के रूप में आमंत्रित किये गये थे। इन प्रशिक्षणों के दौरान, प्रथम दिन में अवधारणाओं के सिद्धान्तों पर, दूसरे दिन कार्यक्रम में क्षेत्रों में पेस्ट तथा बीमारी के संक्रमण के लक्षण और पेस्ट नियंत्रण उपायों को समाकलित विधान में एनआईपीएचएम के विशेषज्ञों और बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्पष्ट रूप में बताये गये थे। एनआईपीएचएम से सहयोग से क्षेत्र कर्मचारी को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है :

राज्य और मिट्टी क्षेत्र	प्रशिक्षण में उपस्थित क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या	अवधि	उठाये गये व्यय जीएसटी सहित (₹)
कर्नाटका कहमि क्षेत्र	23	02 दिन (12/07/2022 & 13/07/2022)	74,310
राजमहेन्द्री उहमि क्षेत्र	32	02 दिन (17/11/2022 & 18/11/2022)	93,170
ऑंगोल दकामि & दहमि क्षेत्र	71	02 दिन (27/12/2022 & 28/12/2022)	1,55,415
कुल	126		3,22,895

संघटित पेस्ट नियंत्रण (आईपीएम) पर आईपीएचएम के सहायता से आयोजित कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित ₹ 3.23 लाख की राशि व्यय किया गया था।

- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों में कार्यरत तम्बाकू बोर्ड के आऊटसोर्स तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों (164 संख्या) को आगस्त, 2022 महीने में “नर्सरी प्रबंध से पूर्व उपज उत्पाद प्रबंध (पीएचपीएम) तक एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रयासों के मूल पैकेज” पर प्रशिक्षित किये गये थे। कार्यक्रमों के विवरण और व्यय विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	प्रशिक्षण की तारीख	संकाय का विवरण	प्रतिभागियों	प्रशिक्षण स्थान	व्यय जीएसटी के साथ (₹)
1	02/08/2022	आईसीएआर - के तं उ सं, अं.केन्द्र, हुन्सूर से विशेषज्ञ, व्यापारी वर्ग से प्रतिनिधियों, कर्नाटका में प्रादेशिक प्रबंधक और हुन्सूर-II और पेरियपट्टना-I के नीलाम अधीक्षक	कर्नाटका में कार्यरत् 91 आऊटसोर्स क्षेत्र सहायक	आईसीएआर - के तं उ सं., अं.के., हुन्सूर	34,576
2	10/08/2022	विशेषज्ञ, आईसीएआर - केतंसं, अं.केन्द्र, कन्दुकुरु, प्रबंधक (उत्पादन, विस्तार & नीलाम), प्रादेशिक प्रबंधक, ऑगोल (दकमि) & नीलाम अधीक्षक (कोंडेपी & डी.सी.पल्ली)	आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी मिट्टी क्षेत्रों में कार्यरत् 50 आऊटसोर्स क्षेत्र सहायक	प्रादेशिक कार्यालय, ऑगोल	30,715
3	18/08/2022	विशेषज्ञ, आईसीएआर - केतंसं, राजमहेन्द्री, प्रबंधक (उत्पादन & नीलाम), प्रादेशिक प्रबंधक (राजमहेन्द्री) & नीलाम अधीक्षक (गोपालपुरम & कोय्यलगूडेम)	आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्रों में कार्यरत् 23 आऊटसोर्स क्षेत्र सहायक	नीलाम अधीक्षक का कार्यालय, कोय्यलगूडेम	14,062
				कुल	79,353

3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ₹ 0.79/- लाख की राशि व्यय उठायी गयी हैं ।

उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण से संबंधित अपनाये गये विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजना :

- बोर्ड ने तम्बाकू में कीटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पणधारियों याने., व्यापारी सदस्य, ग्रायर और विशेषज्ञ, केतंसं, राजमहेन्द्रवरम के साथ बैठकें आयोजित की ।
- 2022-23 फसल मौसम के लिए उहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को नियंत्रण करने के लिए कार्यान्वित किये जाने वाली कार्यवाही पर उपाय निकालने के लिए तम्बाकू उद्योग के सभी पणधारियों के साथ दि.16/02/2023 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में एक बैठक संपन्न हुई । इस बैठक में केतंसं के विशेषज्ञों, मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक, उहमि क्षेत्र, व्यापार वर्ग से प्रतिनिधियों, ग्रायर प्रतिनिधियों, तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारी भाग लिये थे ।
- नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए विषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे ।
- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाली विज्ञप्तियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे ग्रायरों को वितरित किये गये ।

- प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयर्स को तम्बाकू में सिफारिश न किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बेन्डिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किये गये थे ।
- प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित हॉट-स्पॉट गाँवों में कार्बेन्डिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयर्स को अपील किये गये ।
- ग्रोयर्स को सीपीए की प्रबंध पर पोस्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्व-पैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री को आपूर्ति किये गये ।
- कीट नियंत्रण उपायों को सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये और ग्रोयर्स की एकत्रित स्थानों में इसे रखे गये थे ।
- केतंसं द्वारा सिफारिश किये परिमाण मात्राओं सहित सिफारिश क्रिमिनाशकों और पेस्ट नियंत्रण उपायों की सूचना को एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स के बीच विस्तृत प्रचार किया गया ।
- तम्बाकू में कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक की दुकानों को सिफारिश कीटनाशकों के विवरण पर प्लेक्सियों को प्रदर्शित किये गये थे । कीटनाशक दुकानदारों को जानकारी बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
- वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, पत्ता तम्बाकू का परीक्षण सीपीए अवशेषों को पहचान करने के लिए किया गया था, ताकि उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहमि क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गाँवों को पहचान किया जा सके ।
- ग्रोयर्स को उपायों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की स्प्रे से दूर रहना, सिफारिश परमाणों से अधिकाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमित रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशियों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढा (कानकोक्शन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित कराना ।

(ii) कार्यशाला :

- तम्बाकू बोर्ड ने नर्सरी में और फसल खेती में, नर्सरी, पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध में प्रचलित समस्याओं और ग्रोयर्स को विश्वसनीय समाधान प्रदान करने केतंसं के विशेषज्ञ, व्यापार प्रशासकों और ग्रोयर्स के विचार-विमर्श करने 2022-23 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के ग्रोयर्स के लिए 02 कार्यशाला और आन्ध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों के ग्रोयर्स के लिए 02 कार्यशालाएँ आयोजित की थी ।
- कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स और तकनीकी कर्मचारियों के लिए उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) पर दि.07/06/2022 और 13/06/2022 को रैतु भवन, कग्गुन्डी और के तं अं सं., हुन्सूर में लगातार वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में अपनाने वाले मध्यावधि सुधारों, उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) को अपनाने के द्वारा गुणवत्ता तम्बाकू का उत्पादन, पोषकतत्व प्रबंध, सांस्कृतिक प्रचालनों, संघटित पेस्ट प्रबंध, सीपीए अवशेष नियंत्रण, टॉपिंग और डीसक्करिंग प्रचालनों के महत्व और पूर्व हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध (पीएचपीएम) पहलुओं पर कार्यशालाएँ आयोजित की गई । इस कार्यक्रम में प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर और पेरियपट्टना, अध्यक्ष, केतंसं अनुसंधान केन्द्र, हुन्सूर, केतंसं, हुन्सूर से विशेषज्ञ और प्रधान कंपनियों जैसे., मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई आदि., संस्थाओं के प्रमुख भाग लिये थे ।

- दि.11/07/2022 को आईसीएआर - केतअंस अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में एफसीवी तम्बाकू की खेती में “नवीनतम उत्तम कृषि प्रयासों” पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला में माननीय कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, आईसीएआर - केतअंस के निदेशक, केतअंस अनुसंधान संस्थाओं से विशेषज्ञ, मुख्य कार्यालय से प्रबंधक और प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि और दहमि क्षेत्र, बोर्ड सदस्यों और प्रधान कंपनियों से वरिष्ठ प्रबंधक, दकामि और दहमि क्षेत्रों के अन्तर्गत सबी नीलाम प्लैटफार्मों से तकनीकी कर्मचारी और ग्राहक इस कार्यशाला में भाग लिये। केतअंस के विशेषज्ञों और बोर्ड से प्रबंधक बोर्ड द्वारा की जा रही विस्तार एवं विकासात्मक गतिविधियाँ, फसल की गुणवत्ता और परिमाण में वृद्धि के लिए प्रथाओं के पैकेज, जीव-उर्वरकों और जीव-कीटनाशकों की आपूर्ति, एफसीवी तम्बाकू खेती में मशीनीकरण, नर्सरी प्रबंध, ओरोबान्खे परजीवी प्रबंध, सूखा और अधिक वर्षा की स्थितियों में अपनाने वाली कृषि संबंधित व्यवहारों के बारे में सविस्तार रूप से बताये गये थे।



- दि.02/03/2023 को आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि) क्षेत्रों में उत्तम कृषि प्रथाओं और एफसीवी तम्बाकू कृषि में समस्याओं के संबंध में चर्चा करने एक कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला में मुख्य कार्यालय से प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री, अध्यक्ष, आईसीएआर - केतअंस अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमल्ली, प्रधान विशेषज्ञ, केतअंस., मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड से वरिष्ठ प्रबंधक नये किस्मों याने., केतअंस के एफसीजे-11, प्लास्टिक मलचिंग के हानी और लाभ, खाद और उर्वरकों को विवेकपूर्ण उपयोग, एफसीवी तम्बाकू में संघटित पेस्ट प्रबंध, एनटीआरएम निष्कासन, प्रौद्योगिकी में सुधार, खेती में रोबोटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति आदि., पर ग्राहकों को शिक्षित किये गये थे।
- ग्राहकों अपने विचार और संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यासों, पेस्ट तथा बीमारी प्रबंध, लागत बचत उपायों पर कुछ ग्राहक अपने सफल कहानियों को आपस में बाँट लिये।

4 कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए ₹ 1.98 लाख की राशि खर्च हुई थी।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	व्यय (₹ लाखों में)
कर्नाटका	मैसूर	0.25
	पेरियपट्टना	0.30
आन्ध्र प्रदेश	दहमि & दकामि	0.87
	उहमि	0.56
	कुल	1.98

(iii) आन्ध्र प्रदेश के गोयरो के लिए अध्ययन-यात्रा :

तम्बाकू बोर्ड ने दि. 03 & 04 दिसंबर, 2023 के दौरान सभी नवीनतम तकनीकियों को कवर करते हुए (प्रदर्शनी और सम्मेलन के द्वारा) तम्बाकू किसानों के हित के लिए आन्ध्र प्रदेश अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत 16 नीलाम प्लैटफार्मों से 276 किसानों को आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू), लॉम में आयोजित अग्रि-टेक 2022 प्रदर्शनी (अग्रि-एक्सपो) का दौरा का आयोजन किया था। आन्ध्र प्रदेश में सभी मिट्टी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू किसानों को इस कार्यक्रम में साझीदार बनाये गये और गोयरो को नवीनतम कृषि तकनीकियों, कृषि मेशिनरी & उपकरणों, मछली-पालन, सुस्पष्ट खेती के लिए कृत्रिम (आर्टिफिशियल) बुद्धिमत्ता का उपयोग, कृषि नैनो तकनीकी, सिंचाई स्वचालन, खाद्य प्रोसीसिंग मशीनरी, कार्बनिक खेती, भंडारण और शीतल स्टोरेज उपकरण, ग्रामीण नवाचार, उर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोफोनिक्स, आपूर्ति श्रृंखला के संभार-तंत्र, संघटित पेस्ट प्रबंध आदि., पर प्रदर्शित स्टालों के संदर्शन किये थे और कृषि में नवीन तकनीकियों पर आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिये। आईसीएआर - केतअंस के स्टालों को भी विजिट किये थे और एफसीवी तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि पद्धतियों से अवगत करवाया गया था।

आन्ध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों से अध्ययन संदर्शन से संबंधित उठाये गये व्यय विवरण नीचे दिये गये हैं:

मिट्टी क्षेत्र	दौरा की तारीख	व्यय (₹ लाखों में)
उ ह मि	03/12/2022	0.73
द का मि	04/12/2022	1.07
द ह मि	04/12/2022	1.13
	कुल	2.93



(iv) प्रचार सामग्री :

2022-23 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू खेती में विभिन्न उत्तम कृषि अभ्यासों पर ग्रोयर्स को वितरण करने 8,600 करपत्रों के मुद्रण से संबंधित ₹ 18,400/- की राशि खर्च हुई और हरित खाद फसलों से लाभ और इसकी प्राप्यता को चित्रित करते हुए प्लेक्सी की तैयारी से संबंधित ₹ 2,500/- की राशि खर्च हुई ।

(v) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयर्स को समय पर सलाह और सुझाव देने के त.अ.सं., से विशेषज्ञों, प्रधान कंपनियों याने., मेसर्स. आईटीसी, जीपीआई, एओआई, पीएसएस के क्षेत्र कार्यकारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे । तम्बाकू में संभाव्य विस्तार संभारकों को पहचान किये जायेंगे और इसे क्षेत्र मित्र दल कार्यक्रम में भागीदार बनाया जायेगा । यह क्षेत्र मित्र दल अपने संदर्शनों के दौरान क्षेत्रों में फसल स्थिति को अवलोकन करेगा और फसल की स्थिति को वृद्धि करने के लिए क्षेत्रों में अपनाते वाले विशिष्ट हस्तक्षेपों पर बोर्ड के विस्तार अधिकारियों और ग्रोयर्स को सलाह देगा । 2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य के सभी क्षेत्रों में 5 क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे और यह दल समयसारणी के अनुसार यात्रा किये थे और इस के लिए ₹ 0.79 लाख की राशि खर्च हुई ।



VIII. ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

किसानों को प्रबंध के अंतर्गत, जो नियंत्रण के रूप में किसानों की अपनी प्रथाओं की तुलना में किसानों की क्षेत्र में एक नयी तकनीकी, नवाचार या एक नवीन मध्यस्थता का परीक्षण करना ऑन-फार्म परीक्षण का उद्देश्य होता है । 2022-23 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के प्राकृतिक खेती विधान का प्रभाव, मौजूदा किस्मों की तुलना में नयी किस्मों का प्रभाव पर विभिन्न प्रकार परीक्षण और फसल गुणवत्ता और उपज पर केआरबी (पोटाशियम रीलज जीवाणु) का प्रयोग पर ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण को कार्यान्वित किया था । इस एफसीवी तम्बाकू की कृषि के प्राकृतिक खेती मोड में रसायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किये जाते हैं केवल प्राकृतिक इनपुटों का ही उपयोग किया जाता हैं ।

2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में ग्रोयर्स, जिन्होंने ट्रयलों को अपनाये और ट्रयलों के अन्तर्गत क्षेत्र विवरण इस प्रकार हैं :

परीक्षण का उद्देश्य	राज्य	गोयरी की संख्या	परीक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र	
			(हेक्टरों में)	(एकड़ों में)
प्राकृतिक खेती	कर्नाटका	101	40.4	101
	कुल	101	40.4	101
प्राकृतिक खेती	आन्ध्र प्रदेश	16	19.51	48.775
किस्मवार परीक्षण	आन्ध्र प्रदेश (द ह मि & द का मि क्षेत्र)	11	14.90	37.25
फसल गुणवत्ता और उत्पाद पर केआरबी का प्रयोग के प्रभाव पर मूल्यांकन	आन्ध्र प्रदेश (उ ह मि क्षेत्र)	5	8.21	20.525
	कुल	32	42.62	106.55
	महायोग	133	83.02	207.55

बोर्ड ने, इन परीक्षणों को अपने क्षेत्रों में आयोजित कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी गोयरी को वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने से संबंधित कर्नाटका में ₹ 11.11 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹ 3.70 लाख राशि व्यय की थी। इस क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में आन्ध्र प्रदेश में कुल 880 गोयरी और कर्नाटका में 579 गोयरी भाग लिये थे और उन्हें प्राकृतिक फार्मिंग के अवधारणा, केआरबी उपयोग और नये किस्म परीक्षणों के बारे में शिक्षित किये गये।



IX. नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 19 गाँवों में और कर्नाटका के 10 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी। मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको कंपनी और मेसर्स. आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे। इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 10.00 लाख की राशि खर्च हुई।

X. व्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा यांत्रीकीकरण पर अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ :

- तम्बाकू बोर्ड ने व्यापार वर्ग के सहयोग से अनुसंधान परियोजना “सौर थर्मल ऊर्जा आधारित एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग प्रणालियों का विकास और मूल्यांकन” के विष्पादन के लिए आईसीएआर - केतंसं को वित्तीय सहायता प्रदान की है । केतंसं ने अपनी अंतरिम रिपोर्टों में बताया है कि उहमि तम्बाकू में सौर थर्मल मध्यस्थता याने., पॉलीकार्बोनेट छत कक्ष, सौर गरम हवा संचारण, सौर गरम जल संचारण के संघटन के परिणामस्वरूप ईंधन लकड़ी का खर्च 33% तक कम हो गई और मौजूदा बखार के ऊपर सौर ताप ऊर्जा कलेक्टर के रूप में पॉलीकार्बोनेट छत कक्ष की स्थापना, जो 21% तक ईंधन लकड़ी की व्यय को कम करने में सक्षम होगा । अंतिम परियोजना रिपोर्ट संस्था द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है ।
- तम्बाकू बोर्ड ने, आईसीएआर - सीटीआरआई (केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था) और आईसीएआर - सीआईआईआई (केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था) के साथ “एफसीवी तम्बाकू पत्ते स्ट्रिंगिंग मशीन का विकास और मूल्यांकन” परियोजना पर दि.09/11/2021 को एक एमओयू को निष्पादित किया । यह प्रस्तावित परियोजना के लिए लागत ₹ 11.055 लाख को व्यापारी वर्ग की सहायता से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाया गया । पहली वर्ष में बोर्ड का हिस्सा ₹ 0.22 लाख की राशि व्यय हुई और बाकी ₹ 5.305 लाख राशि को नियम एवं शर्तों के अनुसार दूसरी वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा दिसंबर, 2022 महीने में अदा किया गया था ।



- तम्बाकू बोर्ड ने 2022-23 फसल मौसम के दौरान “कहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पोषकतत्व सम्पूरण, निमटोड/बीमारी नियंत्रण के लिए बयो-कनसार्टिया का मूल्यांकन” करने के लिए एक नया अनुसंधान परियोजना आई सी ए आर - केतंसं को प्रदान की है । तम्बाकू बोर्ड ने दि. 11/07/2022 को केतंसं के साथ एमओयू में प्रवेश लिया और इस परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक परीक्षण केतंसं अनुसंधान केन्द्र, हुन्सूर में प्रारंभ किये गये थे ।

- केतंसं, राजमहेन्द्रवरम के साथ तम्बाकू बोर्ड ने “एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में खुला पत्ता बरवार का बैज्ञानिक मूल्यांकन और इसकी क्षमता” परियोजना को निष्पादित करने के लिए दि.03/12/2021 को केतंसं, राजमहेन्द्री के साथ एमओयू में प्रवेश लिया और इस परियोजना के अंतर्गत एक खुला पत्ता बरवार को कन्दुकुरु अनुसंधान केन्द्र में स्थापित किया गया था ।

एमओयू में किये गये वित्तीय प्रावधानों के अनुसार खुला पत्ता बरवार तकनीकी के लिए संविदात्मक सेवाएँ और मूल्यांकन के लिए अन्य परिचालन व्ययों को रखने के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित ₹ 1.00 लाख राशि बढ़ाई गयी थी और आईसीएआर - केतंसं अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में मुक्त पत्ता बरवार को निर्माण करने के लिए ₹ 0.966 लाख की राशि बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया था ।

2022-23 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए ₹ 411.64 लाख कुल राशि व्यय खर्च की ।

विस्तार योजनाएँ	व्यय (₹ लाखों में)
फार्म यांतिकीकरण	0.30
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	234.62
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	111.55
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	17.46
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	1.97
किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	15.62
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	14.81
नमूना परियोजना क्षेत्र	10.00
रीसर्च प्राजेक्ट, सीआईआई, भोपाल	5.31
कुल	411.64

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 56 से 60 में दिये गये ।

2022-23 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	फार्म यांत्रिकीकरण									
क	पत्ता होलिंग स्पार्क रॉड							0.30		0.30
	उप कुल							0.30		0.30
2	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना									
क	हरित खाद बीज	567	23,040	23,607	19,850	7,37,143	7,56,993	1.13	73.71	74.84
ख	पेस्टिसाइड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण				201	213	414	21.57	14.40	35.97
	संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
ग	फोरोमेन ट्राप	876	244	1120	19,853	1900	21,753	3.51	0.34	3.85
घ	पीला चिपचिपा ट्राप	902	246	1148	15,107	1840	16,947	1.06	0.12	1.18
ड.	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	1,644	6,407	8,051	7,76,539	13,85,427	21,61,966	23.69	63.03	86.72
च	कोकोपिट की आपूर्ति	308		308	1,78,967		1,78,967	2.29		2.29
छ	बयो-पेस्टिसाइडों की आपूर्ति	1,239	1,426	2,665	5,159	1,428	6,587	5.80	1.61	7.41
ज	नर्सरी रैंजिंग करने ग्रीन हाउस/ पॉली हाउस का निर्माण	288		288	299		299	1.58		1.58
ट	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	3,813	2,311	6,124	9,10,000	2,56,500	11,66,500	6.83	1.92	8.75
ढ	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति		1,300	1,300		1,914	1,914		1.11	1.11
ड.	जल धुलनशील उर्वरक	7,738		7,738	41,995		41,995	10.92		10.92
	उप कुल	17,375	34,974	52,349				78.38	156.24	234.62
3	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
	ऊर्जा संरक्षण उपाय									
क	ग्लास वूल छत पृथक्करण / पेदी स्ट्रा इन्सुलेशन	380	1,446	1,826	310	1,484	1,794	28.86	74.20	103.06
ख	लूज लीफ बखार का स्थापना				केतअसं - असं में 1 बखार			1.97		1.97
ग	वैन्दुरी फर्नेस का स्थापन	179		179	131		131	6.52		6.52
	उप कुल	559	1,446	2,005				37.35	74.20	111.55
4	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पलीनों (कान्वास) की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	1,698		1,698	1,698		1,698	17.46		17.46
5	पीएचपीएम उपाय-बल्किंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण	14		14	14		14	1.97		1.97

2022-23 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
6	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
क	कार्यशाला	384	151	535	2	2	4	1.43	0.55	1.98
ख	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	4,682	3,077	7,759	96	60	156	3.01	2.04	5.05
ग	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/गोयरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम				4	2	6	3.25	1.41	4.66
घ	प्रचार & विस्तार साहित्य				8,600			0.21		0.21
ड.	अध्ययन यात्रा	312		312	16		16	2.93		2.93
च	क्षेत्र मित्र दल				6	2	8	0.58	0.21	0.79
	उप कुल	5,378	3,228	8,606				11.41	4.21	15.62
7	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	30	101	131	32	101	133	2.96	10.62	13.58
क	क्षेत्र दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम	880	579	1,459	16	10	26	0.74	0.49	1.23
8	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	876	654	1,530	19	10	29	5.80	4.20	10.00
9	अनुसंधान परियोजना, सीआईआई, भोपाल							5.31		5.31
	महा योग	26,810	40,982	67,792				161.68	249.96	411.64

2022-23 के दौरान विस्तार एवं विकासोन्मुख योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रेडों को कवरेज

उपलब्धियाँ																		
क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्बिडी ₹ में)				
		एस सी एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल			
1	फार्म यांत्रिकीकरण																	
क	पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड															30000		
2	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि करना																	
क	हरित खाद बीज	1340	777	5053	16437	23607	43665	27600	166210	519518	756993	435550	269500	1640100	5139480	7484630		
ख	पेरिटसाईड और रसायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण										414					3597053		
	संघटित पेट्ट प्रबंध पद्धति																	
ग	फोरेमेन ट्राप	17	29	223	851	1120	422	792	4414	16125	21753	7471	14039	78214	285917	385641		
घ	पीला चिपचिपा ट्राप	21	27	250	850	1148	348	449	3790	12360	16947	2433	3116	26384	85789	117722		
ङ	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	447	244	1844	5516	8051	103247	64316	545243	1449160	2161966	641576	392048	2053481	5584703	8671808		
च	कोकोपिट की आपूर्ति	4		80	224	308	1800		45630	131537	178967	3214		58185	167729	229128		
छ	बयो-पेरिटसाईडों की आपूर्ति	108	43	652	1862	2665	209	85	1763	4530	6587	23375	9600	198100	509450	740525		
ज	ग्रीन हाऊस/पॉली हाऊस के निर्माण	3		72	213	288	3		75	221	299	1590		39750	117130	158470		
झ	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	519	60	1479	4066	6124	102262	9000	776780	278458	1166500	76697	6750.00	582585	208844	874875		
ञ	बाजरा & जेवर बीजों की आपूर्ति	104	28	306	862	1300	125	39	444.7	1305.3	1914	7880	2280	75424	25056	110640		
ट	जल धुलनशील उर्वरक	138	1	1855	5744	7738	615	5	10359	31016	41995	15948	124	269287	806423	1091782		
	उप कुल	2701	1209	11814	36625	52349						1215734	697457	5021510	12930521	23462274		

2022-23 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रेयर्स को कवरेज

उपलब्धियाँ																		
क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)				
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल		
3	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि																	
	ऊर्जा संरक्षण उपाय																	
क	ग्लास वूल छत पृथक्करण / पेड्डी स्ट्रा छत पृथक्करण	64	47	413	1302	1826	59.25	48	410.59	1276.16	1794	240000	2417432	7320807		10305724		
ख	लूज लीफ बखार (1 बखार केतअसं - अनु के.मे) का पृथक्करण															196610		
ग	वैन्दुरी फर्नेस का पृथक्करण	6	4	43	126	179	3	2	34	92	131	10000	168000	462000		652500		
	उप कुल	70	51	456	1428	2005						250000	2585432	7782807		11154834		
4	एनटीआरएम का निष्कासन और टारपीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	93	26	370	1209	1698	93	26	370	1209	1698	36400	370000	1209000		1745600		
5	पीएचपीएम उपाय बल्किंग शेड मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण		1	13	14				1	13	14		15000	181500		196500		
6	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम																	
	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण																	
क	कार्यशाला					535					4					198025		
ख	गोयरों को नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम					7759					156					505314		

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2022 - 2023

तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम :

- (i) भारतीय सचिवालय प्रशिक्षण और विकास संस्था (आईआईएसटीडी), नई दिल्ली ने दि.13/06/2022 और 14/06/2022 को मुख्य कार्यालय, गुण्डूर में 2 दिनों के लिए “कार्यालय प्रणाली & कार्यालय प्रक्रियाओं, ई-गवर्नेंस, टिप्पण व आलेखन, रिकार्ड प्रबंध, कार्यालय स्वचलन, सामाजिक समानता तनाव के संबंध में कार्मिक अनुभाग के कर्तव्य और कार्य पर इसका प्रभाव और तनाव प्रबंध के तरीके” पर 47 बोर्ड के पदाधिकारियों को इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया है ।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय से संबंधित ₹ 2,49,570/- की राशि (जीएसटी के साथ) आईआईएसटीडी, नई दिल्ली को भुगतान किया गया था ।

- (ii) मुख्य कार्यालय, गुण्डूर में कार्यरत दो लेखाकारों को तीन दिनों (18/06/2022 से 20/06/2022 तक) के लिए राष्ट्रीय सचिवालय प्रशिक्षण और विकास संस्था (एनआईएसटीडी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होने श्रीनगर को प्रतिनियुक्त किये गये थे । प्रशिक्षण का विषय विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय / अंश	प्रतिभागी
1.	रोस्टर लेखन और अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व. और शारीरिक विकलांगों के लिए सरकार नीति में सेवाओं में आरक्षण & भर्ती नियम, सरकार विभाग, स्वायत्त संस्था & पीएसयू में समर्थता निर्माण के अन्तर्गत 'तनाव & तनाव प्रबंध' पर प्रशिक्षण	श्री एम.रोहित राज, लेखाकार
2.	सीसीएस (पेंशन) नियम को संशोधन, VIवीं वेतन आयोग रिपोर्ट के परिणामस्वरूप पुराने पेंशन योजना के और नया पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनरी लाभ & सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं & पीएसयू में समर्थता निर्माण के अन्तर्गत एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन की अनुमति	श्री पी. रविशंकर, लेखाकार



प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय से संबंधित एनआईएसटीडी, नई दिल्ली को ₹ 1,17,268.40/- (जीएसटी को मिलाकर) की राशि को भुगतान किया गया था।

(iii) कंप्यूटर प्रचालकों और लेखा अनुभाग कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक नीलाम प्रक्रिया और डिजिटलैजेशन प्रचालनों में मुख्य कार्यालय के लेखा अनुभाग में कार्यरत अनुभवी कर्मचारी और बोर्ड के साथ सम्बद्ध मेसर्स. कोफार्जी लिमिटेड संस्था द्वारा वर्चुवल विधान में प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कार्यालय, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर से वर्चुवल विधान में आयोजित कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय / अंश	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण संस्था का नाम	प्रतिभागी
1.	कंप्यूटर माइयुल्स	6-11 जून, 2022 (6 दिन)	मेसर्स. कोफार्ज लिमिटेड	मुख्य कार्यालय में कार्यरत सभी कंप्यूटर प्रचालक और 8 निश्चेलि
2.	लेखा संबंधित विषय	दि.11/07/2022 को प्रारंभ हुआ। जुलाई महीने में 8 दिन और अगस्त & सितम्बर महीनों में 4 दिन	लेखा अनुभाग, मुख्य कार्यालय, तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्म में कार्यरत तकनीकी और लेखा कर्मचारी
3.	या.भ, छुरिया, चिकित्सा, शिशु शिक्षा भत्ता आदि.,	29/08/2022	लेखा अनुभाग, मुख्य कार्यालय, तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्म में कार्यरत सभी नी अ/वश्रेअ, लेखाकार, सहायक, उश्रेलि और निश्चेलि

(iv) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्था (आईएसटीएम), नई दिल्ली के संकाय के द्वारा दि. 26-28 अक्टूबर, 2022 तक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में 30 संख्या के क & ख समूह अधिकारियों के लिए “पूछताछ अधिकारी/प्रस्तुतीकरण अधिकारी (आईओ/पीओ) के प्रशासनिक सतर्कता भूमिका” पर एक इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।



प्रत्येक भागीदारी के लिए ₹ 12,400/- के हिसाब से 30 पदाधिकारियों को पाठ्यक्रम शुल्क से संबंधित ₹ 3,72,000/- व्यय राशि को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध (आईएसटीएम), नई दिल्ली को भुगतान किया गया और आईएसटीएम, नई दिल्ली के संकाय सदस्यों को स्थानीय परिवहन शुल्क दावाओं से संबंधित ₹ 2,599/- राशि को भुगतान किया गया।

2022-23 फसल मौसम के दौरान पदाधिकारियों और कर्मचारी को समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रमों के अन्तर्गत ₹ 7,41,437.40/- की कुल राशि व्यय किया गया।

ग़ोय़र कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिशा राज्यों में लगभग 78,000 तम्बाकू ग़ोय़रों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनायी है ।

यह कल्याण योजना द्वारा प्राकृतिक और दुर्घटना मृत्यु के लिए मृत सदस्यों को मृत्यु अनुदान के रूप में और बालिका विवाह, सदस्य बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण डामेज हुए बख़ारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रावधान करती है । तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर दि.31/03/2022 तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 19,159 ग़ोय़रों को ₹ 69.73 करोड़ वित्तीय सहायता (₹ 57.21 करोड़ मूल्य के अनुदान 14,475 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 4,684 ग़ोय़रों को ₹ 12.52 करोड़ मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण) मंजूर किये गये ।

2022-23 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 5.81 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 0.88 करोड़ रुपये, कुल मिलकर ₹ 6.69 करोड़ ऋण वितरित किये गये और आन्ध्र प्रदेश में ऑगोल क्षेत्र (दकामि & दहमि) के 10,882 ग़ोय़र सदस्यों को विशेष ब्याज मुक्त फसल डामेज ऋण के रूप में मंजूर किये गये ।

2022-23 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि में ₹ 66.32 करोड़ की राशि उपलब्ध रही । 2022-23 के दौरान योजना वार दिये गये अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 66 में दिये गये ।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

(क) मिट्टी व जल विश्लेषण :

प्रति वर्ष, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग़ोय़रों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहण एवं विश्लेषण मुफ्त में कराती है । बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग़ोय़रों को सलाह देती है । 2022-23 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,300 मिट्टी नमूनाओं को और 625 जल नमूनाओं को केवीके, दर्शी और आपीएल, तिरुपति की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये ।

कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को स्थूल और सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए नमूनाओं को विश्लेषित किये गये और परिणामों को संबंधित ग़ोय़रों को सूचित किये गये थे ।

राज्य	स्थूल & सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए मिट्टी नमूना	जल नमूना
आन्ध्र प्रदेश	2,300	625
कर्नाटका	4,200	—
कुल	6,500	625

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 फसल मौसम से कर्नाटका में स्टैंडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलिसी (स्थाई अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलिसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टॉकों को कवरेज बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्राहक भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दरघटना पॉलिसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं। 2022-23 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 32,274 ग्राहकों को तथा 33,496.92 बखारों के लिए बीमा कवरेज को प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2,804 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा की गयी थी। यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 31,711 ग्राहकों को तथा 40,795.10 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 1.944 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा की गयी।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2022 - 2023

नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, ग्राहकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्राहकों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। तब से लेकर, बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रही हैं।



एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम दृश्य

1. आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

(क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2021-22 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 130 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था। इस के विपरीत, 111.45 मि.कि.ग्रा. फसल का उत्पादन होने का अनुमान था।

इस वर्ष, साधारण प्लानटेशन समय के दौरान लगातार वर्षा के कारण पूरे राज्य में ट्रांसप्लानटेशन देरी हुई। देरी से रोपण के कारण उत्पादन कम हो गयी। प्रथम चरणों के दौरान अत्यधिक वर्षा से उहमि & उकामि क्षेत्रों के कुछ भागों में फसल को नुकसान पहुँचा। फिर भी, फसल की गुणता उत्तम और अधिक चमकीला श्रेणी तम्बाकू रही थी।

(ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

नीलामियाँ 2 दशाओं में प्रारंभ हुए। प्रथम दशा में नीलामियाँ दकामि के 3 नीलाम प्लैटफार्मों में और दहमि क्षेत्रों के 4 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.14/03/2022 को और दूसरी दशा में दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों के बाकी सभी नीलाम प्लैटफार्मों में दि.28/03/2022 को प्रारंभ हुए।

(ग) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 53% : 29% : 18% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 52% : 26% : 22% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये ।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2021-22 मौसम			2020-21 मौसम		
	चमकीला %	मध्य %	निम्न %	चमकीला %	मध्य %	निम्न %
उहमि	48	20	32	55	20	25
दकामि	45	33	22	44	35	21
दहमि	61	28	11	59	32	9
समग्र	52	26	22	53	29	18

(घ) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2021-22 वित्तीय वर्ष में 14/03/2022 को प्रारंभ हुए और समापन 2022-23 वित्तीय वर्ष में दि.28/07/2022 को समाप्त हुए । नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 179.17 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 120.99 मि.कि.ग्रा. विपणन हुआ था, जिसमें दि.01/04/2022 से 28/07/2022 तक याने., 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 178.88 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 113.46 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन हुआ था । 01/04/2022 से 28/07/2022 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पुष्ट सं. 78 में दिये गये ।

(ङ) बाजार प्रवृत्तियाँ :

2021-22 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि.14 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुए और 28/07/2022 तक 112 नीलाम दिनों में समाप्त हुई ।

2021-22 फसल, जो निर्धारित फसल परिमाण याने., 130 मिलियन कि.ग्रा. के लिए ₹ 179.17 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 120.99 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2021-22 मौसम के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 179.17 प्रति कि.ग्रा, जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 31.87 प्रति कि.ग्रा. अधिक दर्ज किया था । 2021-22 मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में दर्ज किये ₹ 179.17 औसत मूल्य, जो भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में उच्चतम मूल्य रिकार्ड रही थी । आन्ध्र प्रदेश में पूर्व नीलाम मौसम के दौरान प्राप्त ₹ 193/- प्रति कि.ग्रा. के लिए 2021-22 मौसम के दौरान उच्चतम बिड ₹ 245/- प्रति कि.ग्रा. रहा था । कुल मिलाकर, पूर्व वर्ष में समाप्त 137 दिनों की तुलना में 2021-22 नीलाम मौसम के दौरान 112 नीलाम दिनों में नीलाम समाप्त हुए ।

चालू नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :

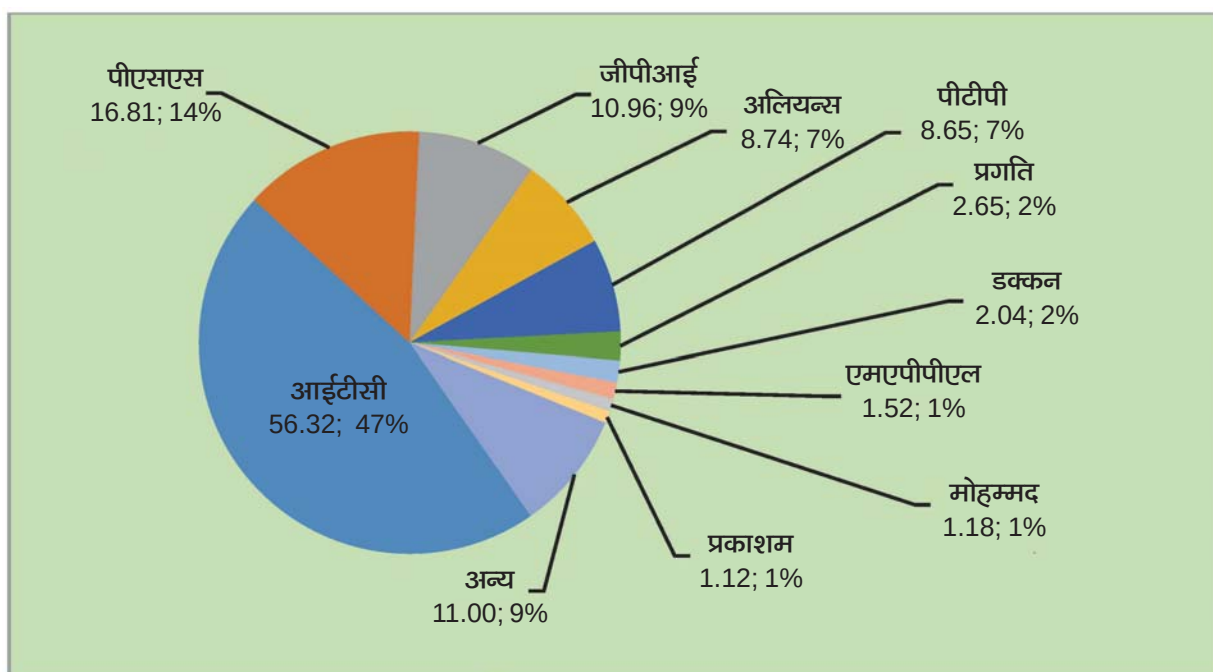
मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2021-22 नीलाम (अंतिम)		2020-21 नीलाम (अंतिम)		2020-21 नीलाम की तुलना में 2021-22 के औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.)
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
दकामि (दक्षिण काली मिट्टियाँ)	चमकीला	20.39	184.10	21.49	166.18	+17.92
	मध्यम	8.34	177.01	7.67	140.77	+36.24
	निम्न	13.81	152.39	9.98	79.53	+72.86
	कुल	42.54	172.41	39.14	139.10	+33.31
दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	15.31	184.00	14.12	168.15	+15.85
	मध्यम	11.07	177.28	11.49	144.25	+33.03
	निम्न	7.64	142.96	6.94	81.81	+61.15
	कुल	34.02	172.60	32.55	141.31	+31.29
उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	27.00	205.39	24.36	176.19	+29.20
	मध्यम	12.55	179.32	12.94	153.50	+25.82
	निम्न	4.88	138.35	3.75	75.72	+62.63
	कुल	44.43	190.67	41.05	159.86	+30.81
सभी क्षेत्र	चमकीला	62.70	193.24	59.97	170.71	+22.53
	मध्यम	31.96	178.01	32.10	147.15	+30.86
	निम्न	26.33	147.06	20.67	79.61	+67.45
	कुल	120.99	179.17	112.74	147.30	+31.87

च) क्रेता निष्पादन :

पूर्व वर्ष में भाग लिये 49 क्रेताओं के लिए 2021-22 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 41 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत प्रदत्त मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये :

क्र. सं.	संवर्ग	2021-22 नीलामियाँ			2020-21 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	67.28	55.61	180.06	77.06	68.36	157.10
2	निर्यातक	45.14	37.31	178.97	30.04	26.64	133.40
3	डीलर	8.57	7.08	173.22	5.64	5.00	87.34
कुल		120.99	100.00	179.17	112.74	100.00	147.30

2021-22 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण निम्नानुसार रहे हैं :



छ) कुल विपणित मूल्य :

2021-22 फसल मौसम के दौरान ग्राहकों द्वारा प्राप्त किये तम्बाकू फसल के कुल मूल्य ₹ 2,167.78 करोड़ था।

ज) नीलामियों में भाग लिये ग्राहकों की संख्या :

क्र. सं.	ग्राहकों का संवर्ग	मौसम	ग्राहकों की संख्या	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्राहक	फसल मौसम के दौरान	39574	12,09,84,955.2	179.17
2.	अपंजीकृत ग्राहक	फसल मौसम के दौरान	2	2519.9	179.26

II. कर्नाटका में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने, 2022-23 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के लिए 100 मि.कि.ग्रा. की एफसीवी तम्बाकू का फसल परिमाण को निर्धारित किया। इस वर्ष मई, 2022 महीने के दौरान उपयुक्त राशि में वर्षा की प्राप्ति से किसान पहले ही ट्रान्सप्लानटेशन को अपनाये थे। फसल की वृद्धि मई की द्वितीय पक्ष और जुलाई की द्वितीय पक्ष में अविराम वर्षा के कारण प्रभावित हुए। इससे फसल की वृद्धि स्तंभित और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। फिर भी, फसल की गुणवत्ता अच्छी रही और 59.78 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन का अनुमान था।

ख) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पूर्व वर्ष रहे 32% : 37% : 31% की तुलना में वर्तमान फसल के लिए 34% : 43% : 23% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

ग) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटका में नीलामियाँ 10 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.10/10/2022 को प्रारंभ हुआ था ।

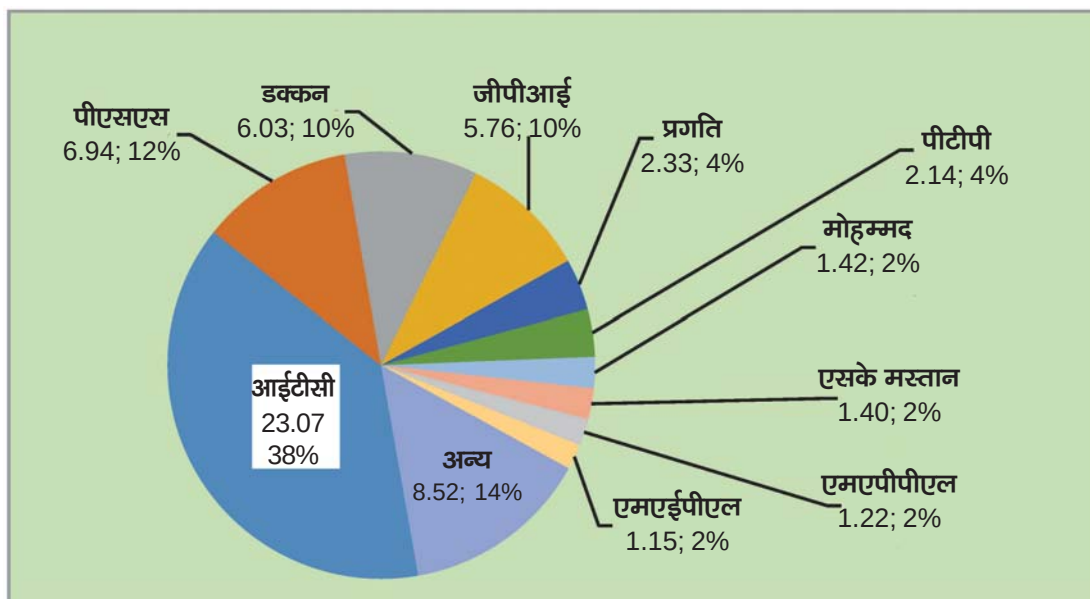
घ) बाजार प्रवृत्तियाँ :

कुल 59.98 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था और किसानों को औसत मूल्य ₹228.01 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई । 2022-23 फसल मौसम के लिए प्राप्त औसत मूल्य ₹228.01 प्रति कि.ग्रा., जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 64.90 प्रति कि.ग्रा. अधिकतम रहा था । कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू के लिए औसत मूल्य ₹ 228.01 प्रति कि.ग्रा. दर्ज हुआ था और यह भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में रिकार्ड उच्चतम मूल्य रही । 2022-23 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू के लिए दर्ज की गई उच्चतम बिड ₹ 271/- था, जो भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में एक उच्चतम रिकार्ड रहा था ।

2022-23 नीलाम मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :

क्र. सं.	श्रेणी	2022-23 नीलाम (अंतिम)		2021-22 नीलाम (अंतिम)		2021-21 नीलाम की तुलना में 2022-23 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	20.32	234.10	21.84	189.41	+ 44.69
2	मध्य	25.58	232.38	25.08	170.07	+ 62.31
3	निम्न	14.08	211.28	21.22	127.84	+ 83.44
	कुल	59.98	228.01	68.14	163.11	+ 64.90

2022-23 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण नीचे दिये गये हैं ।



ड) पूर्व 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में ग्राहकों को प्राप्त औसत मूल्य :



नीलाम बिक्रियाँ पूर्व वर्ष की 138 नीलाम दिनों की तुलना में 128 नीलाम दिनों में 27/03/2023 को समाप्त हुईं और नीलामियाँ पूरे नीलाम मौसम में बाजार में उत्प्लावकता के साथ निर्विघ्न समाप्त हुए थे ।

च) खरीददार का निष्पादन :

चालू नीलाम मौसम के दौरान निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा किये क्रय विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संवर्ग	क्रयित परिमाण (कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1.	निर्माणकर्ता	28.83	48.07	233.06
2.	निर्यातक	26.67	44.46	223.25
3.	डीलर	4.48	7.47	223.77
	कुल	59.98	100.00	228.01

2022-23 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लेटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शानेवाले विवरण अनुलग्नक-III में दिये गये ।

छ) नीलामियों में भाग लिये गये ग्राहकों की संख्या :

क्र सं.	ग्राहकों का संवर्ग	ग्राहकों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्राहक	37958	55897388.8	229.43
2.	अपंजीकृत ग्राहक	8313	4084221.9	208.52

III. आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 142 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है ।

दहमि & दकामि क्षेत्रों में 'मान्डूस' चक्रवात के कारण 23,000 हे. के क्षेत्र में प्लानटेशन प्रभावित हुआ था और कुछ किसानों ने कुल पुनः फसल प्लानटेशन को अपनाये थे । चक्रवात से प्रभावित फसल में गलत पक्वता और निम्न श्रेणी के तम्बाकू उत्पादन का अनुभव हुआ । तेजी से पकने की घटना के कारण, किसानों अतिरिक्त खर्च करके क्यूरिंग के लिए अतिरिक्त बकारों को किराया पर लेने पर मजबूर होना पड़ा । फिर भी, फसल की गुणवत्ता अच्छी रही थी और इस के लिए 162.48 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन होने का अनुमान है ।

2022-23 के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	दकामि क्षेत्र	46.12	57.11
2	दहमि क्षेत्र	43.23	50.04
3	उहमि क्षेत्र	52.65	55.33
	महा योग	142.00	162.48

2021-22 फसल की तुलना में 2022-23 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2022-23 मौसम (आकलित)			2021-22 मौसम		
	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %
द का मि	49	28	23	48	20	32
द ह मि	51	28	21	45	33	22
उ ह मि	56	29	15	61	28	11
कुल	52	29	19	52	26	22

ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

2022-23 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 16 नीलाम प्लैटफार्मों में 3 दशाओं में याने., 24/02/2023 को (4 नी.प्लै), 09/03/2023 को (7 नी.प्लै) और 23/03/2023 को (5 नी.प्लै) प्रारंभ हुए।

ग) परिमाण और मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। दि.31/03/2023 तक ₹ 196.60 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 20.29 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था। 2022-23 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 196.60 प्रति किलो, जो अनुरूप मात्रा में विपणन के लिए पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 15.03 प्रति कि.ग्रा. अधिक रही थी।

दि.31/03/2023 तक मिट्टी क्षेत्र वार प्राप्त औसत मूल्य के पूर्व वर्ष में विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में नीचे दिये गये थे :

मिट्टी क्षेत्र	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा.)
		2022-23	2021-22	
दकामि	10.29	195.82	176.39	+ 19.43
दहमि	8.01	197.16	183.23	+ 13.93
उहमि	1.99	198.39	181.91	+ 16.48
कुल	20.29	196.60	181.57	+ 15.03

घ) पिछले 10 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्राहकों को प्राप्त औसत मूल्य



ड.) दि. 31/03/2023 तक चमकीला, माध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य पूर्व वर्ष विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.)
		2022-23	2021-22	
चमकीला	16.00	197.79	183.42	+ 14.37
माध्यम	4.00	193.50	173.54	+ 19.96
निम्न	0.29	173.39	132.98	+ 40.41
कुल	20.29	196.60	181.57	+ 15.03

दि. 31/03/2023 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड पुष्ठ सं. 76 & 77 में दिये गये ।

IV) 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 193.73 मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 195.95 प्रति कि.ग्राम रहा था । विवरण पुष्ठ सं. 78 & 79 में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि.01/04/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि के दौरान निर्माणकर्ता, निर्यातक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण पुष्ठ सं. 80 & 81 में दिये गये।

**2022-23 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2023 तक नीलाम किये
एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	ऑगोल-I	20	9.54	13.90	24/02/2023	18911	200.00	2445146.5	477879431.96	195.44
2	ऑगोल-II	23	8.08	8.70	09/03/2023	10500	201.00	1396907.4	273346840.03	195.68
3	टंगुदूर-I	24	9.98	11.89	09/03/2023	13140	200.00	1723521.7	338430721.01	196.36
4	कोंडेपी	25	9.98	11.61	24/02/2023	20017	200.00	2574611.7	509077971.44	197.73
5	वेल्लमपल्ली-II	31	8.54	11.01	24/02/2023	16429	200.00	2150378.9	416313355.04	193.60
	कुल (दकामि)		46.12	57.11		78997	201.00	10290566.2	2015048319.49	195.82
6	पोदिली-I	22	10.31	10.79	24/02/2023	11249	200.00	1462210.3	288157783.82	197.07
7	कन्दुकुरु-I	26	8.88	11.40	09/03/2023	11144	200.00	1474302.2	291381086.81	197.64
8	कन्दुकुरु-II	27	7.69	10.00	09/03/2023	12105	200.00	1595357.4	314987365.06	197.44
9	कलिगिरि	28	4.99	5.25	09/03/2023	9073	201.00	1191595.9	234220090.10	196.56
10	डी.सी. पल्ली	29	6.55	7.10	09/03/2023	11309	201.00	1516936	300049940.80	197.80
11	कनिगिरि	35	4.81	5.50	09/03/2023	5745	200.00	765646.2	149645549.79	195.45
	कुल (दहमि)		43.23	50.04		60625	201.00	8006048.0	1578441816.38	197.16
12	देवरपल्ली	17	10.83	9.54	23/03/2023	2896	210.00	388647.2	76139872.95	195.91
13	जे.आर.गूडेम-I	18	10.46	12.53	23/03/2023	3575	210.00	454129.3	90626043.11	199.56
14	कोय्यलगूडेम	30	10.40	12.31	23/03/2023	3957	210.00	492263.4	97394313.69	197.85
15	जे.आर.गूडेम-II	32	10.69	11.05	23/03/2023	3006	210.00	382675.3	76286321.06	199.35
16	गोपालपुरम	33	10.27	9.90	23/03/2023	2146	210.00	275740.0	55026674.40	199.56
	कुल (उहमि)		52.65	55.33		15580	210.00	1993455.2	395473225.21	198.39
	महा योग		142.00	162.48		155202	210.00	20290069.4	3988963361.07	196.60

2022-23 कर्नाटका नीलाम - दि.31/03/2023 तक नीलाम प्लेटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

क्र. सं.	नीलाम प्लेटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (र/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (र)	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा)
1	एच.डी. कोटे	1	10.17	5.63	10/10/2022	55188	270.00	5408349.3	1267068074.00	234.28
2	हुन्सूर-I	2	7.68	5.51	10/10/2022	56901	270.00	5308204.2	1193549714.37	224.85
3	हुन्सूर-II	3	6.98	4.51	10/10/2022	48789	270.00	4644923.6	1068611123.42	230.06
4	पेरियपट्ना-I	4	13.12	6.82	10/10/2022	65890	270.00	6554870.8	1494248347.57	227.96
5	पेरियपट्ना-II	5	11.40	7.90	10/10/2022	79161	271.00	7970209.1	1797361854.14	225.51
6	पेरियपट्ना-III	6	11.82	6.61	10/10/2022	71551	270.00	7008047.9	1577231260.37	225.06
7	रामनाथपुरा-I	7	10.13	5.89	10/10/2022	62290	270.00	5902907.0	1356192883.25	229.75
8	चिलकुंदा	62	13.84	8.78	10/10/2022	94455	270.00	9116521.7	2060607399.85	226.03
9	रामनाथपुरा-II	63	8.85	4.32	10/10/2022	46368	270.00	4430032.1	1023337415.10	231.00
10	हुन्सूर-III	64	6.01	3.81	10/10/2022	37314	271.00	3637545.0	837944866.20	230.36
	महा योग		100.00	59.78		617907	271.00	59981610.7	13676152938.27	228.01

**01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2021-22 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2022 से 28/07/2022 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2022-23 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 24/02/2023 से 31/03/2023 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
I. आन्ध्र प्रदेश							
1	ऑंगोल-I	8867555.3	169.06	2445146.5	195.44	11312701.8	174.76
2	ऑंगोल-II	7276983.9	172.21	1396907.4	195.68	8673891.3	175.99
3	टंगुदूर-I	8926971.2	174.36	1723521.7	196.36	10650492.9	177.92
4	कोंडेपी	7897455.7	171.56	2574611.7	197.73	10472067.4	177.99
5	वेल्लमपल्ली-II	6640434.6	171.00	2150378.9	193.60	8790813.5	176.53
कुल (दकामि)		39609400.7	171.66	10290566.2	195.82	49899966.9	176.64
6	पोदिली-I	5798362.5	164.51	1462210.3	197.07	7260572.8	171.07
7	कन्दुकुरु-I	7399036.5	176.04	1474302.2	197.64	8873338.7	179.63
8	कन्दुकुरु-II	6071699.4	176.43	1595357.4	197.44	7667056.8	180.80
9	कलिगिरी	3012851.6	171.65	1191595.9	196.56	4204447.5	178.71
10	डी.सी. पल्ली	3795404.1	168.00	1516936.0	197.80	5312340.1	176.51
11	कनिगिरी	3784630.6	165.19	765646.2	195.45	4550276.8	170.28
कुल (दहमि)		29861984.7	171.04	8006048.0	197.16	37868032.7	176.56
12	देवरपल्ली	7296745.0	187.47	388647.2	195.91	7685392.2	187.90
13	जे.आर. गूडेम-I	9754055.2	191.47	454129.3	199.56	10208184.5	191.83
14	कोय्यलगूडेम	9349501.1	190.42	492263.4	197.85	9841764.5	190.79
15	जे.आर. गूडेम-II	9555774.5	191.54	382675.3	199.35	9938449.8	191.84
16	गोपालपुरम	8034835.5	192.11	275740.0	199.56	8310575.5	192.36
कुल (उहमि)		43990911.3	190.72	1993455.2	198.39	45984366.5	191.05
उप कुल		113462296.7	178.88	20290069.4	196.60	133752366.1	181.57

**01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2021-22 कर्नाटका नीलामियाँ 01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2022-23 कर्नाटका नीलामियाँ 10/10/2022 से 27/03/2023 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
II. कर्नाटका							
1	एच.डी. कोटे	0.0	0.00	5408349.3	234.28	5408349.3	234.28
2	हुन्सूर-I	0.0	0.00	5308204.2	224.85	5308204.2	224.85
3	हुन्सूर-II	0.0	0.00	4644923.6	230.06	4644923.6	230.06
4	पेरियपट्ना-I	0.0	0.00	6554870.8	227.96	6554870.8	227.96
5	पेरियपट्ना-II	0.0	0.00	7970209.1	225.51	7970209.1	225.51
6	पेरियपट्ना-III	0.0	0.00	7008047.9	225.06	7008047.9	225.06
7	रामनाथपुरा-I	0.0	0.00	5902907.0	229.75	5902907.0	229.75
8	चिलकुंदा	0.0	0.00	9116521.7	226.03	9116521.7	226.03
9	रामनाथपुरा-II	0.0	0.00	4430032.1	231.00	4430032.1	231.00
10	हुन्सूर-III	0.0	0.00	3637545.0	230.36	3637545.0	230.36
उप कुल		0.0	0.00	59981610.7	228.01	59981610.7	228.01
महा योग (आं.प्र. & क.)		113462296.7	178.88	80271680.1	220.07	193733976.8	195.95

**दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपनी पर
एफसीवी तम्बाकू क्रेता वार क्रय विवरण**

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2021-22 आं.प्र. फसल दि. 01/04/2022 से 28/07/2022 तक				2022-23 आं.प्र. फसल दि. 24/02/2023 से 31/03/2023 तक				2022-23 कर्नाटका फसल दि. 10/10/2022 से 27/03/2023 तक				कुल (दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 तक)		
		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा
		निर्माणकर्ता														
1	आईटीसी लिमिटेड	52038335.1	180.30	45.86	12856088.1	196.04	63.36	23073802.8	233.71	38.47	87968226.0	196.61	45.41			
2	गाइफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड	9961008.1	177.34	8.78	1511557.6	197.98	7.45	5761175.3	230.46	9.60	17233741.0	196.91	8.90			
	उप-कुल	61999343.2	179.82	54.64	14367645.7	196.24	70.81	28834978.1	233.06	48.07	105201967.0	196.66	54.30			
निर्यातक																
3	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	16061700.4	177.07	14.16	1781056.5	198.64	8.78	6940783.1	223.97	11.57	24783540.0	191.75	12.79			
4	दक्कन तम्बाकू कं.	2036744.9	179.12	1.80	262896.6	193.80	1.30	6028027.6	232.73	10.05	8327669.1	218.39	4.30			
5	एलिएन्स वन इंडिया प्रा.लि.	8150209.3	182.62	7.18	1209378.2	196.89	5.96	853451.6	228.53	1.42	10213039.1	188.15	5.27			
6	प्रीमियर टुबोको पेकर्स प्रा. लिमिटेड	8144173.0	181.88	7.18	884312.5	199.06	4.36	2133847.6	230.45	3.56	11162333.1	192.53	5.76			
7	मिहृपल्ली एगो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	1518660.8	143.14	1.34				1215279.5	190.19	2.03	2733940.3	164.05	1.41			
8	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स इ. प्रा. लिमिटेड	2605775.9	186.25	2.30	824488.9	195.64	4.06	2333461.7	211.58	3.89	5763726.5	197.85	2.98			
9	मोहम्मद एं.प्रा.लिमिटेड	1092752.2	176.65	0.96	7709.7	205.81	0.04	1422369.5	226.56	2.37	2522831.4	204.88	1.30			
10	मिहृपल्ली आदिनारायण एं.प्रा.लिमिटेड	400269.0	134.32	0.35	5886.2	194.50	0.03	1153635.1	193.14	1.92	1559790.3	178.05	0.81			
11	षेक मस्तान साहेब टोबेको एंटरप्राइजेस	16545.6	97.20	0.01	59756.6	193.65	0.29	1398107.6	215.52	2.33	1474409.8	213.31	0.76			
12	के.एस.सुब्बय्या पिह्ले & को (इं) प्रा.लिमिटेड	458591.0	212.05	0.40	59208.4	199.58	0.29	591814.0	253.53	0.99	1109613.4	233.51	0.57			

दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपनी वार
एफसीवी तम्बाकू क्रेता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2021-22 ऑ.प्र. फसल				2022-23 ऑ.प्र. फसल				2022-23 कर्नाटका फसल				कुल		
		दि. 01/04/2022 से 28/07/2022 तक				दि. 24/02/2023 से 31/03/2023 तक				दि. 10/10/2022 से 27/03/2023 तक				(दि. 01/04/2022 से 31/03/2023 तक)		
		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा
13	यार्लगड्डा एक्सपोर्ट्स प्र. लिमिटेड	486288.0	166.00	0.43						413271.8	237.49	0.69		899559.8	198.84	0.46
14	महि लक्ष्मय्य &कं. प्र.लि.	439455.4	177.23	0.39		404387.9	199.25	1.99						843843.3	187.78	0.44
15	वाणी टोबाकोस					1514.0	199.90	0.01		205198.0	245.17	0.34		206712.0	244.84	0.11
16	अनिल एंटरप्राइजेस					22409.6	190.10	0.11						22409.6	190.10	0.01
17	अविनाश टोबेकोस	136082.6	170.73	0.12						75948.2	233.24	0.13		212030.8	193.12	0.11
18	कार्टेल टोबाको									147875.1	234.33	0.25		147875.1	234.33	0.08
19	पांचजन्या टोबेको एक्सपोर्ट्स									218885.3	217.12	0.36		218885.3	217.12	0.11
20	प्रपल्था आगोस लिमिटेड	60793.0	154.86	0.05		49802.9	186.79	0.25		65957.5	224.29	0.11		176553.4	189.80	0.09
21	प्रकाशम एंटरप्राइजेस	1112383.0	185.47	0.98						939145.3	213.88	1.57		2051528.3	198.48	1.06
22	के.के. मोहन एंटरप्राइजेस	362746.4	203.65	0.32						204895.2	235.52	0.34		567641.6	215.15	0.29
23	श्री हनुमा एंटरप्राइजेस									59277.9	220.37	0.10		59277.9	220.37	0.03
24	एलैट लीफ टोबाको कंपनी									82690.2	220.35	0.14		82690.2	220.35	0.04
25	वेंकट साई टोबाको प्रा.लिमिटेड									182250.6	246.61	0.30		182250.6	246.61	0.09
	उप कुल	43083170.5	178.69	37.97		5572808.0	197.52	27.47		26666172.4	223.28	44.46		75322150.9	195.87	38.88
	अन्य (डीलर)	8379783.0	172.89	7.39		349615.7	196.54	1.72		4480460.2	223.67	7.47		13209858.9	190.74	6.82
	कुल योग	113462296.7	178.88	100.00		20290069.4	196.60	100.00		59981610.7	228.01	100.00		193733976.8	195.95	100.00

व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपये की मार्जिन राशि के साथ 1984 में व्यापार स्कंध को सृजन किया। दि.31/03/2023 तक ₹ 28.48 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लेटफार्मों में ग्राहकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार स्कंध का उद्देश्य है। 2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार स्कंध द्वारा कोई मूल्य समर्थन प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्राहकों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेसर, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पादों को निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप में, फर्म अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालनों को करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2022 के लिए तथा वर्ष 2023 के लिए (दि. 31/03/2023 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2022	2023*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	13	13
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	35	27
3	तम्बाकू निर्यातक	181	170
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	543	450
5	तम्बाकू डीलर	377	328
6	तम्बाकू पैकर	21	17
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	22	13
	कुल	1192	1018

* दि. 31/03/2023 तक

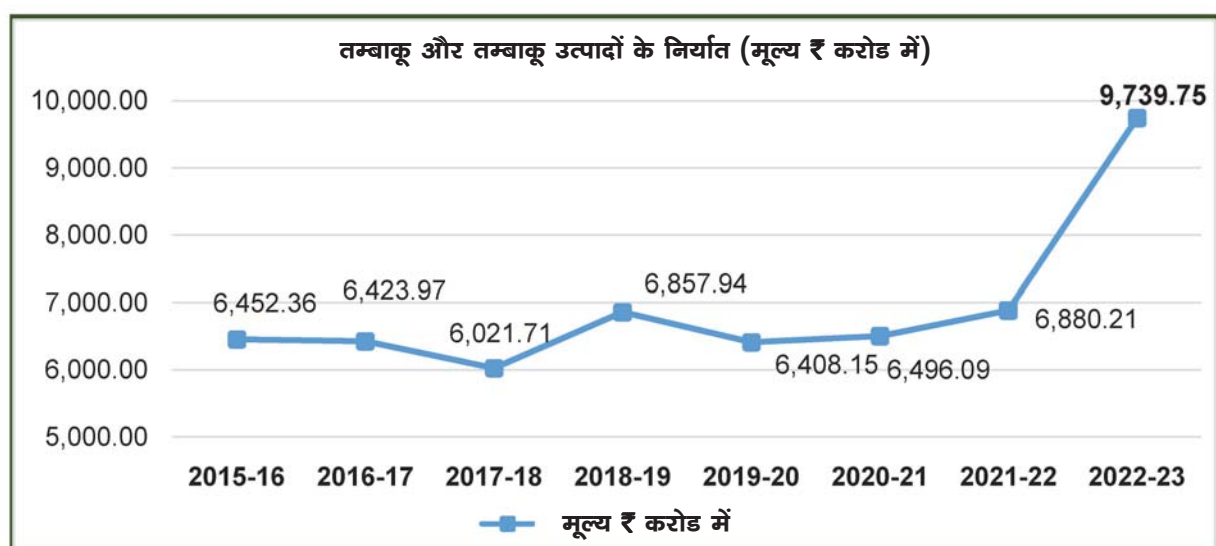
‘डिजिटल इंडिया’ पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारीवर्ग को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

तम्बाकू बोर्ड नूतन निवेशकों/व्यापारियों के लिए दि.22/09/2021 से नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली से जुड़ गया है। यह एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए निवेशकों के लिए उपलब्ध रहा है।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2022 - 2023

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2022-23 के दौरान ₹ 9,739.75 करोड (1,213.37 मिलियन यूएसडी) का उत्तुंग रिकार्ड दर्ज किये हैं। भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक और चौथा बड़ा निर्यातक है। (स्रोत : एफएओ सांख्यिकी डेटा, आईटीसी ट्रेडमॉप, 2021). भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू और अस्वीकृत तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 67.77% शामिल है।) जिसमें फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू जैसे., बर्ली, एचडीबीआरजी, सन क्यूर्ड देशी (नाटू) (एससीसी), लाल चोपडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूर्ड तम्बाकू, ओरियंटल आदि., शामिल है। तम्बाकू के सिगार, चिरुट्स, सिगरिल्लोस और सिगरेट या तम्बाकू के अनुकल्प (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 7.99% हैं), अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्प, समयुग्म या पुनःसंस्थापित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 24.21% हैं) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, स्लफ और बीडी आदि., तम्बाकू उत्पाद, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद, मानव शरीर में निकोटिन के सेवन के लिए लक्षित पदार्थ (एचएस कोड : 2404 - कुल निर्यातों के मूल्य में 0.03% हैं) अर्थात् निकोटिन और ओरल अनुप्रयोग युक्त अन्य इसमें शामिल है। भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2015-16 में ₹ 6,452.36 करोड से 2022-23 में ₹ 9,739.75 करोड के सर्वोत्तम निर्यात दर्ज हुए।



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

1. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

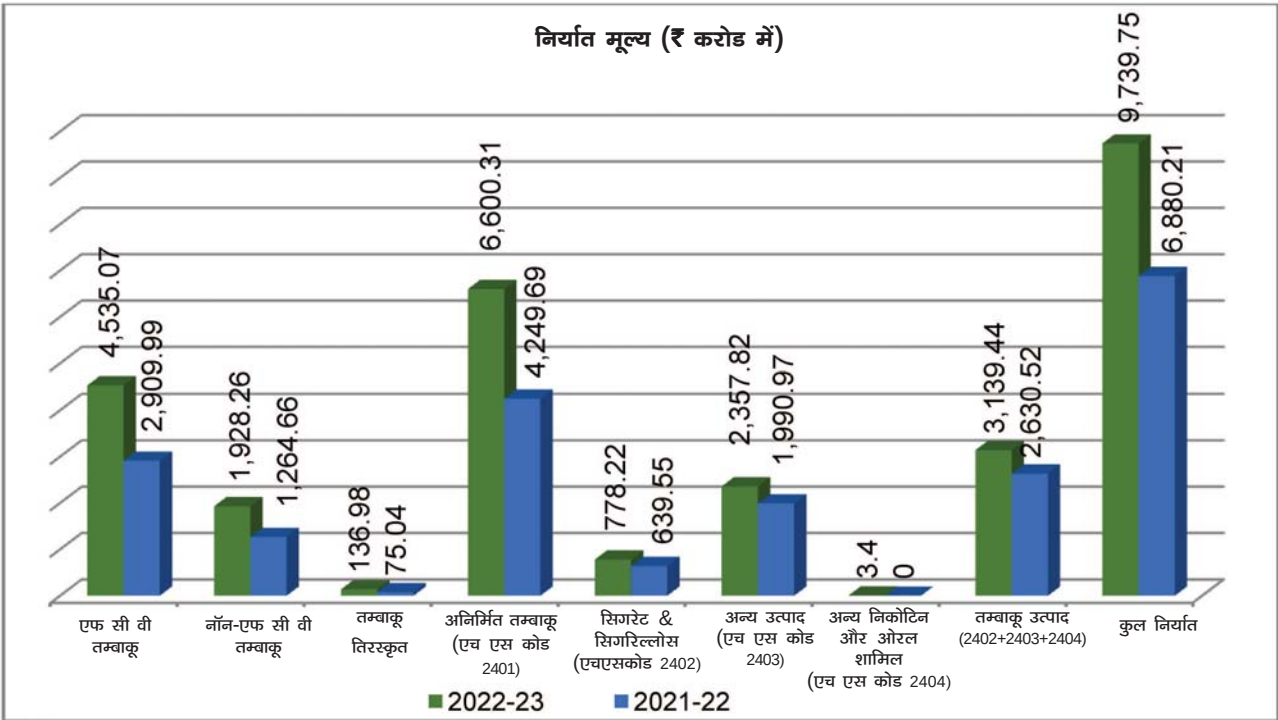
1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2022-23 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः मूल्य के शब्दों में ₹ 9,739.75 करोड (1,213.37 मिलियन यूएस डालरों) के साथ 2,91,181.74 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात, जो 2021-22 के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में परिमाण, मूल्य रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 29%, 42% और 31% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये गये।

क्रम संख्या	संवर्ग	अप्रैल 2022 - मार्च 2023			अप्रैल 2021 - मार्च 2022			मूल्य में परिवर्तन % (मि.यूएस \$)
		परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$ में	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$ में	
I	अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अस्वीकृत (एचएस कोड : 2401)							
क	एफसीवी तम्बाकू	1,34,891.54	4,535.07	565.27	1,05,209.58	2,909.99	390.51	44.75
ख	नॉन-एफसीवी तम्बाकू	91,749.91	1,928.26	239.94	72,002.83	1,264.66	169.79	41.32
ग	तम्बाकू अस्वीकृत	29,551.40	136.98	17.01	19,009.20	75.05	10.08	68.75
	कुल	2,56,192.84	6,600.32	822.23	1,96,221.61	4,249.69	570.37	44.15
II	तम्बाकू उत्पाद (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404)							
क	तम्बाकू या तम्बाकू के अनुकल्प सिगरेट, चिरुट्स, सिगारेट्टोस और सिगरेट (एचएस कोड : 2402)	10,188.66	778.22	96.98	6,952.13	639.55	85.88	12.93
ख	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्प, होमोजेनेजड या पुनःघटित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व (एचएस कोड : 2403)	24,790.35	2,357.82	293.75	21,781.32	1,990.97	267.14	9.96
ग	तम्बाकू, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद और अन्य निकोटिन वाले उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लक्षित पदार्थ (एचएस कोड : 2404)	9.88	3.40	0.42	0.00	0.00	0.00	--
	कुल उत्पाद (एचएस कोड : 2402+2403+2404)	34,989	3,139.44	391.15	28,733	2,630.52	353.02	10.80
	महा योग (एचएस कोड : 2401+2402+2403+2404)	2,91,181.74	9,739.75	1,213.37	2,24,955.06	6,880.21	923.40	31.40
	2021-22 की तुलना में % परिवर्तन (+/-)	29	42	31	2	6	5	

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

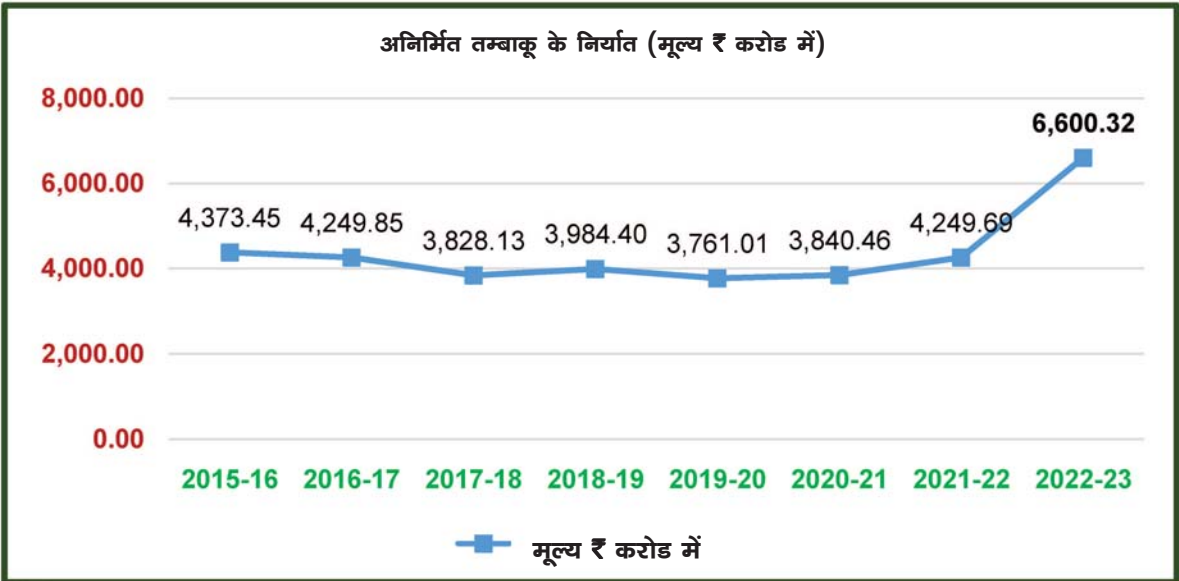
तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2022 - 2023



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

1.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात (एच एस कोड 2401)

वर्ष 2022-23 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 2,56,192.84 मेट्रिक टनों से 31%, मूल्य रुपये के शब्दों में ₹ 6,600.32 करोड से 55% तथा डालरों के शब्दों में 822.23 मिलियन यूएस \$ से 44% तक वृद्धि प्राप्त किये । यह 2021-22 के दौरान ₹ 4,249.69 करोड या यूएस \$ 570.37 मिलियन मूल्य में निर्यातित 1,96,221.61 मेट्रिक टनों के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रही है ।



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

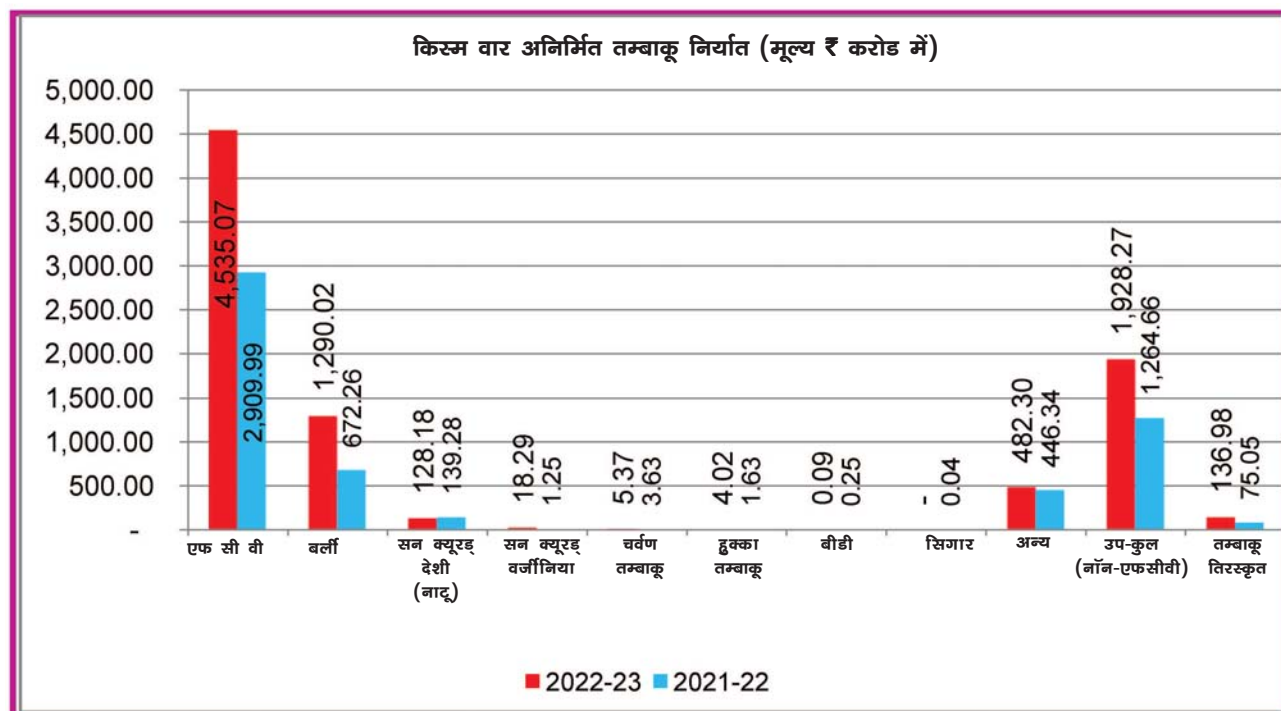
1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात : तम्बाकू अस्वीकृत (एचएस कोड : 2401)

2022-23 के दौरान, भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से परिमाण के शब्दों में 52.65% शेयर के साथ एफसीवी तम्बाकू, जबकि नॉन-एफसीवी तम्बाकू का हिस्सा 35.81% शेयर और तिरस्कृत तम्बाकू का हिस्सा 11.54% का रहा है। नॉन-एफसीवी तम्बाकू में 11.54% शेयर से बर्ली के साथ सन क्यूरेड देशी (नाटू) (2.26%), सन क्यूरेड वर्जीनिया (0.33%), चर्वण तम्बाकू (0.17%) और हुक्का तम्बाकू (0.04%) हिस्सा रहा है। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 68.71% और 29.21% के लिए नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यातों और तिरस्कृत तम्बाकू का 2.08% का हिस्सा रहा है।

(परिमाण में टनों में, मूल्य : ₹ करोड़)

तम्बाकू प्रकार	2022-23				2021-22	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूरेड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू	1,34,891.54	28.21	4,535.07	55.84	1,05,209.58	2,909.99
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
बर्ली	58,115.47	64.28	1,290.02	91.89	35,375.11	672.26
सन क्यूरेड देशी (नाटू)	5,798.28	-29.42	128.18	-7.97	8,215.48	139.28
सन क्यूरेड वर्जीनिया	842.81	990.87	18.29	1,363.20	77.26	1.25
चर्वण तम्बाकू	443.94	18.40	5.37	48.15	374.94	3.63
हुक्का तम्बाकू	110.11	111.26	4.02	147.28	52.12	1.63
बीडी	5.93	-92.32	0.09	-61.50	77.30	0.25
सिगार	-	-100.00	-	-100.00	4.57	0.04
अन्य	26,433.37	-5.00	482.30	8.06	27,826.06	446.34
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	91,749.91	27.43	1,928.26	52.47	72,002.83	1,264.66
तम्बाकू तिरस्कृत	29,551.40	55.46	136.98	82.54	19,009.20	75.05
कुल	2,56,192.84	30.56	6,600.32	55.31	1,96,221.61	4,249.69

डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2021-22 के दौरान किये 1,05,209.58 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 2,909.99 करोड (390.51 मिलियन यूएस \$) के लिए 2022-23 के दौरान 1,34,891.54 मेट्रिक टन, जिसका मूल्य ₹ 4,535.07 करोड (565.27 मिलियन यूएस \$) के क्रम में रहे थे। 2022-23 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्षों की समरूप अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों के शब्दों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 28%, 56% और 45% बढ़ गये।

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू के निर्यात			व-द-व मूल्य (₹ करोड) में परिवर्तन %
	परिमाण मेट्रिक टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
2018-19	1,01,850	2,799.49	401.77	-2
2019-20	92,026	2,538.89	353.83	-9
2020-21	93,457	2,619.63	352.85	3
2021-22	1,05,210	2,909.99	390.51	11
2022-23	1,34,892	4,535.07	565.27	56

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2018-19 से 2022-23 तक परिमाण, मूल्य रूपयों में और मूल्य डालरों के शब्दों में क्रमशः 32.44%, 62.00% और 40.69% वृद्धि हुई।

नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात (पूर्व वर्ष की) 72,002.83 मेट्रिक टन मूल्य में ₹ 1264.66 करोड (169.79 मिलियन यूएसडी) के लिए 2022-23 के दौरान, 91,749.91 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,928.26 करोड (239.94 मिलियन यूएस \$) था। 2022-23 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पूर्व 2021-22 वर्ष की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 27%, 52% और 41% की वृद्धि हुई है।

1.2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एचएस कोड : 2401)

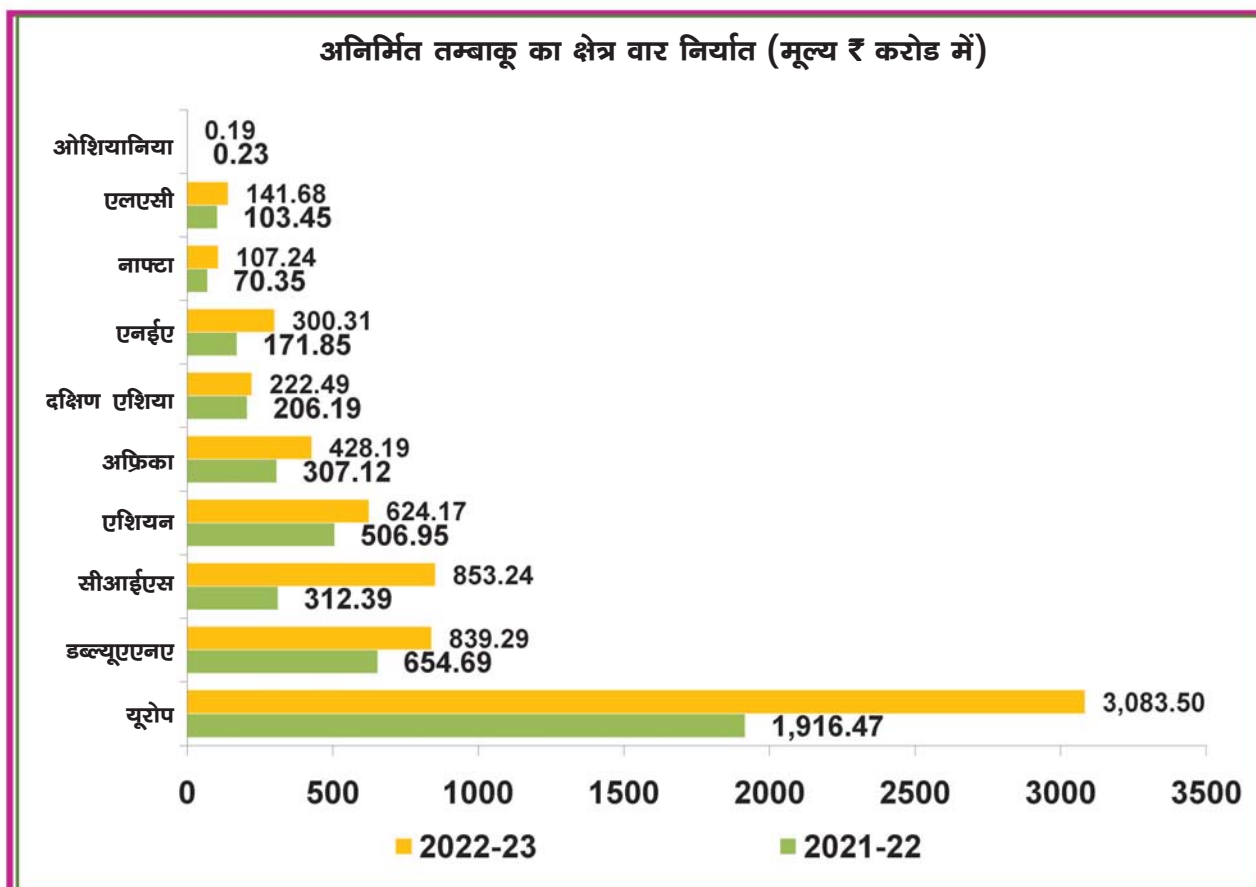
2021-22 के दौरान किये निर्यातों की तुलना में 2022-23 के दौरान ओशियानिया क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र धनात्मक वृद्धि दर्ज किये हैं।

यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 46.72% हिस्सा के साथ भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। गत वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात में 60.89% की वृद्धि हुई है। सीआईएस, एनईए, नाफ्टा, अफ्रीका, एलएसी, डब्ल्यूएनए, एशियन और दक्षिण एशिया को 2021-22 के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में 2022-23 के दौरान क्रमशः 173.13%, 74.75%, 52.43%, 39.42%, 36.95%, 28.20%, 23.12% और 7.91% की वृद्धि दर्ज हुई है। फिर भी, ओशियानिया क्षेत्र में (14.87%) गिरावट की स्थिति देखी गयी। ओशियानिया को निर्यात महत्वपूर्ण नहीं है।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2022-23				2021-22				% परिवर्तन (मूल्य)
	परिमाण	% शेयर	मूल्य	% शेयर	परिमाण	% शेयर	मूल्य	% शेयर	
यूरोप	1,09,901.36	42.90	3,083.50	46.72	79,939.74	40.74	1,916.47	45.10	60.89
डब्ल्यूएनए	42,338.74	16.53	839.29	12.72	41,539.04	21.17	654.69	15.41	28.20
सीआईएस	29,690.38	11.59	853.24	12.93	12,228.33	6.23	312.39	7.35	173.13
एशियन	25,430.14	9.93	624.17	9.46	21,906.88	11.16	506.95	11.93	23.12
अफ्रीका	13,005.65	5.08	428.19	6.49	10,248.70	5.22	307.12	7.23	39.42
दक्षिण एशिया	10,536.06	4.11	222.49	3.37	10,068.07	5.13	206.19	4.85	7.91
एनईए	9,773.27	3.81	300.31	4.55	6,699.27	3.41	171.85	4.04	74.75
नाफ्टा	8,335.61	3.25	107.24	1.62	6,661.97	3.40	70.35	1.66	52.43
एलएसी	7,175.88	2.80	141.68	2.15	6,922.38	3.53	103.45	2.43	36.95
ओशेनिया	5.75	0.00	0.19	0.00	7.22	0.00	0.23	0.01	-14.87
कुल	2,56,192.84	100.00	6,600.32	100.00	1,96,221.61	100.00	4,249.69	100.00	55.31

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता



1.2.3 अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एसएसकोड : 2401) (शीर्ष 10 बाजार) :
(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

क्र. सं.	देश का नाम	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक		अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक		₹ करोडों के शब्दों में % मूल्य परिवर्तन
		परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	
1	बेलजियम	66582.39	1948.90	50557.63	1228.73	58.61
2	यूएई	24807.04	1414.57	20392.22	1004.48	40.83
3	रूस	18499.11	555.36	4646.05	122.78	352.30
4	फिलिपैन्स	14504.44	319.60	12041.83	252.59	26.53
5	इजिप्ट एआरपी	12503.67	178.96	18390.69	262.82	-31.91
6	कोरिया आरपी	9629.87	298.99	6203.39	159.98	86.89
7	नैजीरिया	9318.12	322.33	7428.55	236.95	36.03
8	नेपाल	9294.11	231.37	8769.12	213.43	8.41
9	टर्की	8772.96	226.91	2667.58	56.99	298.13
10	युएसए	8737.22	309.64	7121.06	236.12	31.14

डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

बेलजियम, जो शीर्षस्थ आयातक देश है, को निर्यात 2022-23 के दौरान मूल्य रुपये के शब्दों में 58.61% की वृद्धि दर्ज किये हैं। अन्य प्रधान निर्यात बाजार याने., रूस (362.30%), टर्की (298.13%), कोरिया (86.89%), यूएई (40.83%), नैजीरिया (36.03%), यूएसए (31.14%), फिलिपैन्स (26.53%) और नेपाल (8.41%) महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज किये हैं। अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में ईजिप्ट (-31.91%) को गिरावट देखी गयी।

1.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) :

वर्ष 2022-23 के दौरान, सिगरेट और सिगार (एचएस कोड : 2402) के निर्यात परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 47%, 22% और 13% की धनात्मक वृद्धि के साथ 10,188.66 मेट्रिक टन के मूल्य 778.22 करोड़ (यूएस \$ 96.98 मिलियन) के क्रम में रहे थे, जब कि 2021-22 के दौरान निर्यातित 6,952.13 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 639.55 करोड़ (यूएस \$ 85.88 मिलियन) रहे थे।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403), जो 2021-22 के दौरान निर्यातित ₹ 1,990.97 करोड़ (यू एस \$ 267.14 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 21,781.32 मेट्रिक टनों की तुलना में 2022-23 के दौरान ₹ 2,357.82 करोड़ (यूएस \$ 293.75 मिलियन) के 24,790.35 मेट्रिक टन के क्रम में निर्यात रहे थे। अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403) परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 14%, 18% और 10% के साथ धनात्मक वृद्धि दिखाई गई।

तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प वाले अन्य उत्पादों, जो बिना दहन के साँस लेने के लिए निर्दिष्ट हैं और अन्य निकोटिन युक्त उत्पाद (एचएस कोड : 2404), जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लिए निर्दिष्ट हैं, के निर्यात 2022-23 के दौरान 9.88 मेट्रिक टनों के क्रम में थे, जिनका मूल्य ₹ 3.40 करोड़ (यूएस \$ 0.42 मिलियन) थी।

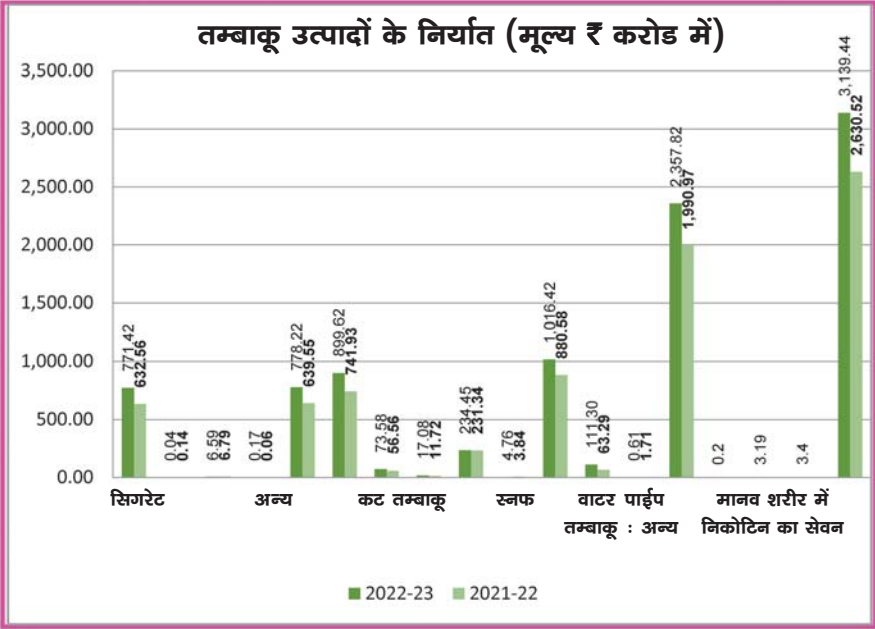
कुल तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) के निर्यात 2021-22 की निर्यातों की तुलना में 2022-23 के दौरान परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 22%, 19% और 11% की वृद्धि दिखायी गयी।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उत्पाद का सिगमेंट	2022-23			2021-22		
		परिमाण	%परिवर्तन व-द-व	मूल्य	%परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
क.	तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्पों के सिगरेट चिरुट्स, सिगारिल्लोस और सिगरेट (एचएस कोड : 2402)						
1	तम्बाकू अन्तर्विष्ट सिगरेट	10,075.10	45.71	771.42	21.95	6,914.63	632.56
2	तम्बाकू अनुकल्पों के सिगरेट/सिगारिल्लोस	0.13	-59.38	0.04	-71.43	0.32	0.14
3	सिगार, चिरुट्स और सिगारिल्लोस	112.09	205.84	6.59	-2.95	36.65	6.79
4	अन्य तम्बाकू उत्पाद	1.34	157.69	0.17	183.33	0.52	0.06
	उप कुल	10,188.66	46.55	778.22	21.68	6,952.13	639.55

क्र. सं.	उत्पाद का सिगमेंट	2022-23			2021-22		
		परिमाण	%परिवर्तन व-द-व	मूल्य	%परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
ख.	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्प, होमोजेनैजड या पुनः घटित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व (एचएस कोड : 2403)						
1	चर्वण तम्बाकू	11,177.45	29.85	899.62	21.25	8,608.05	741.93
2	कट तम्बाकू	2,989.47	27.08	73.58	30.09	2,352.52	56.56
3	पुनः घटित तम्बाकू	980.03	16.61	17.08	45.73	840.46	11.72
4	स्मोकिंग तम्बाकू	441.54	-58.38	234.45	1.34	1,060.89	231.34
5	स्नफ तम्बाकू	155.08	-11.70	4.76	23.96	175.62	3.84
6	तम्बाकू सार और तत्व	6,824.35	-3.75	1,016.42	15.43	7,089.94	880.58
7	वाटर पाईप तम्बाकू - हुक्का	2,200.11	39.94	111.30	75.86	1,572.17	63.29
8	वाटर पाईप तम्बाकू - अन्य	22.34	-72.65	0.61	-64.33	81.68	1.71
	उप कुल	24,790.35	13.81	2,357.82	18.43	21,781.32	1,990.97
ग.	तम्बाकू अन्तर्विष्ट उत्पाद, पुनः घटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेनेवाले उत्पाद, अन्य निकोटिन अन्तर्विष्ट उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लक्षित पदार्थ (एचएस कोड : 2404)						
1	दहन के बिना इनहिलेशन	0.34	-	0.2	-	-	-
2	मानव शरीर में निकोटिन का इनटेक	9.54	-	3.19	-	-	-
	उप कुल	9.88		3.4			
	महायोग	34,988.89	21.77	3,139.44	-38.21	28,733.45	2,630.52

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

प्रति वर्ष तम्बाकू बोर्ड भारतीय अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। 2022-23 के दौरान तम्बाकू चार विशिष्ट तम्बाकू अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया था।

क्र. सं.	प्रदर्शनी का नाम	प्रांत & अवधि	स्टाल का परिमाण	प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों
1	विश्व तम्बाकू यूरोप 2022	सोफिया, बल्गेरिया 18-19 मई, 2022	18 मी ²	डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव, नीअ/वश्रेअ, ओएसडी (सतर्कता दल) श्रीमति निधि शर्मा, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिये।
2	विश्व तम्बाकू एशिया 2022	सुरबाया, इंडोनेशिया 7-8 सितम्बर, 2022	15 मी ²	डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक श्री ए. जीवन कुमार, क्षेत्र अधिकारी विपणन & निर्यात अनुभाग
3	इंटरटोबाक / इंटरसप्लई, 2022	डार्टमन्ड, जर्मनी 15-17 सितंबर, 2022	18 मी ²	श्रीमती एम. अश्वनी नायडु, भा.वि.से., निदेशक (नीलाम), बेंगलूर श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव, नीअ/वश्रेअ, ओएसडी (सतर्कता दल)
4	विश्व तम्बाकू मध्य पूर्वी, 2022	दुबाई, यूएई 15-16 नवंबर, 2022	15 मी ²	डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक श्री ए. जीवन कुमार, क्षेत्र अधिकारी विपणन & निर्यात अनुभाग

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में तम्बाकू बोर्ड स्टॉलों के झलकें (छायाचित्र)



विश्व तम्बाकू यूरोप 2022 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल



विश्व तम्बाकू एशिया 2022 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल



इंटरटोबैक / इंटरसप्लाय 2022 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल



विश्व तम्बाकू मिडिल इस्ट 2022 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल

2.2 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

2022-23 वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2022 - 2023

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। 'ख' & 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफे, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा 'ग' क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम :

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जनवरी-मई, 2023 सत्र के दौरान क्रमशः प्रबोध (08), प्राज्ञ (12) और पारंगत (02) कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना, सिर्किंदराबाद द्वारा आयोजित ऑन-लाईन कक्षाओं के लिए नामित किये गये।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार :

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 20 सितम्बर, 2022 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 14 से 15 सितम्बर, 2022 तक चार मेज कार्यशालाएँ (चार अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये और हिन्दी स्मृति, हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएँ हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलिआँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर से व्यवस्थित किया गया तथा उनका उपयोग किये जा रहे हैं ।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान चार (02 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 & 20 सितम्बर, 2022 को आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। तम्बाकू बोर्ड 1991-92 से केन्द्रीय सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्राहकों के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, सामान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, “प्राधिकार शुल्क” को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करती है।

बोर्ड ने, पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारितानुसार जुर्मानाएँ लगायेगी। 2022 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के आदेशों के अनुसार पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 1/- प्रति किलो के हिसाब से अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 5% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त प्रभार लगायी हैं। 2022 कर्नाटका नीलामियों के दौरान पंजीकृत ग्राहकों से उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू से कोई अंशदान नहीं लगायी है।

II) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं।

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार स्कंध योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक के राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाता है ।

तदनुसार 2022-23 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये । बजट आकलन और संशोधित आकलन क्रमशः प्राप्तियों के लिए ₹ 8,290.00 लाख और ₹ 11,052.70 लाख और व्यय के लिए ₹ 18,642.00 लाख और ₹ 15,624.00 लाख हैं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट प्रावधान की ₹ 11,052.70 लाख के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹12,490.21 लाख की राशि वसूल हुई और बजट आऊटले के ₹ 15,624.00 लाख के लिए व्यय के रूप में ₹10,468.38 लाख राशि खर्च किये गये हैं ।

2011-12 से 2022-23 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 135 में दी गई है ।

वर्ष 2022-23 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नथा पेंशन योजना (टैयर-1), तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, दि. 31 मार्च, 2023 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखें शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। न्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखीकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क) सामान्य

क. लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब :

सदन के पटल पर रखे जाने वाली कागजातों की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश किया था कि, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के अंदर अपने लेखाओं को पूरा करना होगा और उन्हें लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध करना होगा और लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंदर रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित लेखों को संसद के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन्हें वित्त मंत्रालय अपने कार्यालय सापन सं 8(II)/ई.II-(क)/09, दि.17 नवंबर, 2009 द्वारा दोहराया गया था।

बोर्ड ने, उपरोक्त सीओपीएलओटी की शर्तों को पालन किया और अपने 2022-23 लेखाओं को दि.18 जुलाई, 2023 को स्वीकृति दे दी। इसे 04 अगस्त, 2023 को लेखा-परीक्षा को सूचित किया था। बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखाओं की प्रति को लेखा-परीक्षा के लिए दि. 17 अगस्त, 2023 को उपलब्ध कराया गया था।

आगे, वित्तीय विवरणियों में वह तारीख नहीं बतायी गयी है कि प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किये हैं। पिछले वर्ष लेखा परीक्षा टिप्पणी के बावजूद, प्रबंध ने इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया है।

ख. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया।

- v पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।
- vi हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में एक सच्चा और तटस्थ दृश्य देते हैं :

क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2023 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड के मामलों की स्थिति का; तथा

ख. जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

की तरफ से

ह/- xx xx xx

24/11/2023

(एम.एस.सुब्रह्मण्यम्)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 24 नवंबर, 2023.

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

हैदराबाद

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग के लिए कोई अलग मंजूर पद नहीं है। फिर भी, तम्बाकू बोर्ड ने सहायक प्रबंधक (लेखा) की नेतृत्व में कार्यालय कर्मचारियों के साथ आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग का गठन किया था। बोर्ड के 33 कार्यालय (आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 26 नीलाम प्लेटफार्म, ऑगोल-1, ऑगोल-2, राजमहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्टना में 5 प्रादेशिक कार्यालय, बेंगलूर में एक निदेशालय और गुण्टूर में मुख्य कार्यालय) हैं। वर्ष 2022-23 के लिए सभी नीलाम प्लेटफार्मों और प्रादेशिक कार्यालयों के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा आयोजित की गयी थी। फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप नहीं है।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन विशेष दलों को गठन करने के द्वारा कार्यालय के संबंधित नियंत्रण अधिकारियों और मुख्य कार्यालय द्वारा भी नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए उचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रगताधीन है। इसी प्रकार, अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त और अनुरूप है।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है, लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोग्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन-सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया। इस प्रकार, तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों को निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया।

ह/- xx xx xx

24/11/2023

(एम.एस.सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2023 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूंजी निधि	1	70,019	66,001
2. आरक्षण और उपरी	2		
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2,987	2,821
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1,206	1,520
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		10,470	13,466
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		22	27
ङ) तम्बाकू ग्रायोर कल्याण निधि योजना		6,632	6,417
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	12,050	11,825
कुल		1,03,386	1,02,077
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	11,170	11,156
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2,987	2,821
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1,206	1,520
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		10,470	13,466
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		22	27
ङ) तम्बाकू ग्रायोर कल्याण निधि योजना		6,632	6,417
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	70,899	66,670
5. विविध व्यय		0	0
कुल		1,03,386	1,02,077
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
(डी. वेणुगोपाल)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
(डॉ. अहंकि श्रीधर बाबू)
कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण		अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	आय			
I	विक्रियों / सेवाओं से आय	12	7,678	5,648
II	अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
III	शुल्क / चन्दे	14	774	409
IV	निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	17	14
V	रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	5	4
VI	अर्जित व्याज	17	3,270	3,122
VII	अन्य आय	18	1,036	1,826
VIII	संपूर्ण वस्तुओं के स्टकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
	कुल		12,780	11,023
2.	व्यय			
I	स्थापना खर्च	20	6,241	8,245
II	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,041	1,999
III	अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
IV	व्याज	23	0	0
V	मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	481	480
	कुल		8,763	10,724
3.	व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		4,017	299
I	विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
II	सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
III	पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0
4.	कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		4,017	299
5.	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
6.	चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
(डी. वेणुगोपाल)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
(डॉ. अहंकि श्रीधर बाबू)
कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष (तुलन पत्र)

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंघ को अनुदान सहायता) लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2,820.88	2,676.30
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	166.05	144.58
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2,986.93	2,820.88
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल भुगतान (ग)	0	0
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख + ग)	2,986.93	2,820.88

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	1,519.63	1,913.46
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	77.25	73.66
	ख) अंशदान	366.22	443.96
	ग) साभनि आग्रम की वसूली		
	घटाये :		
	क) निकासी	-756.72	-911.44
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	1,206.38	1,519.63
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1,206.38	1,519.63

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	13,466.00	16,529.63
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (एलआईसी & बचत खाता के साथ जमा पर व्याज)	831.95	1152.98
	ख) पेंशन निधि अंशदान	1,840.00	2,500.00
	घटाये :		
	क) भा जी बी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-5667.62	-6717.03
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	10,470.33	13,465.58
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	10,470.33	13,465.58

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	27.16	30.11
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बचत खाता पर व्याज)	1.12	1.39
	ख) पेंशन निधि अंशदान	229.36	225.55
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-235.69	-229.89
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	21.95	27.16
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	21.95	27.16

5 तम्बाकू गोयार कल्याण निधि योजना लेखा :

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)		पूर्व वर्ष (₹)		कुल
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	
क	अथशेष	3,968.83	2,447.88	3,868.72	2,576.16	6,444.88
ख	निधि लेखा को जोड़ :					
	क) निवेशों से आय	154.45	112.06	221.77	110.95	332.72
	(मीआदी जमा & बवैं खाता पर व्याज)					
	ख) गोयार अंशदान	17.56	17.27	12.33	12.19	24.52
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	35.12	34.54	21.61	24.38	45.99
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	175.14	202.15	182.62	206.52	389.14
	ङ) स्विपिंगों का गोयार का शेयर	25.25	8.70	14.06	9.64	23.70
	च) जुर्मानाएँ	0.13	0.01	0.34	0.00	0.34
	छ) ऋणों पर व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ज) विविध भुगतान	0.03	2.76	0.11	2.02	2.13
	ज. गोयार अंशदान	5.47	6.37	4.06	4.37	8.43
	(ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)					
	घटाये :					
	क) गोयारों को मृत्यु राहत	-238.65	-343.05	-356.80	-498.35	-855.15
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	4,143.33	2,488.69	3,968.83	2,447.88	6,416.70
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय					
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	4,143.33	2,488.69	3,968.83	2,447.88	6,416.70

(एम. रत्नबायम्मा)
प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान					(₹ लाखों में)	
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	
I. अथशेष :			I. स्थापना खर्च			
क) बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	4271.52	4466.58	
1. चालू खाताएँ	4571.30	2873.32	2. भत्ते और बोनस	29.22	19.19	
2. जमा खाताएँ	59531.40	60111.11	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	0.00	
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	1840.00	2500.00	
ख) उद्धिष्ट / धर्मस्व निधियाँ			5. पेंशन निधि को अंशदान (न पें यों)	137.34	145.70	
1. चालू खाताएँ			6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	0.00	
i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंध को अनुदान)	0.10	0.10	7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	1378.83	1819.13	
2. जमा खाताएँ	0.00	0.00	8. अन्य :			
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	3.52	2.44	
i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	21.84	3.87	ख) चिकित्सा दावें (अधिकारीगण व स्टाफ)	44.23	48.42	
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	5.03	4.90	ग) छुरिया दावें	4.74	8.69	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	3.57	7.67	घ) स्टाफ को वर्दी	1.85	2.13	
iv) तम्बाकू गोयार कल्याण नधि योजना	206.00	205.33	II. अन्य प्रशासनिक व्यय			
II. प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00	0.00	
III. निवेश और जमाएँ			2. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए या.भ.	155.62	158.79	
क) उद्धिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर)			3. बोर्ड के सदस्यों के लिए या.भ.	5.81	7.10	
			4. प्रशासनिक भवन/कर्टर्स/नी. प्लैटफार्म का रखरखाव	64.38	38.04	
			5. भवनों का किराया	83.41	91.54	
			6. मृद्गण और स्टेशनरी (कंप्यूटर लेखन सामग्री को मिलाकर)	69.81	29.61	

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार संकथ को सहायता अनुदान)	2744.52	2601.66	7. विद्युत शुल्क	110.23	117.12
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1454.90	1858.61	8. डाक और टेलीफोन शुल्क	42.11	58.00
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	13460.55	16524.73	9. बैठकों पर व्यय	10.84	3.74
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	23.53	22.39	10. विविध व्यय	100.76	82.80
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5808.01	5841.32	11. मनोरंजन व्यय	9.52	6.60
ख) निजी निधि	0.00	0.00	12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	3.07	3.54
IV. निवेश पर आय			13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों की मरम्मत	21.65	6.28
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			14. परिवहन प्रभार	4.54	3.30
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	103.99	142.86	15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	0.00	0.00
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	428.43	525.70	16. दरें और कर	16.89	22.39
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	2671.95	3652.98	17. बैंक शुल्क	0.34	0.27
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	230.48	226.93	18. कानूनी शुल्क	1.38	8.37
v) तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि योजना	934.59	947.61	19. वाहनों का भाड़ा	107.72	111.58
			20. वाहनों का रखरखाव	38.71	30.68
			21. बीमा	10.92	11.76
			22. लेखा-परीक्षा शुल्क	15.98	15.76
			23. सा.भ.नि.को व्याज योगदान	0.00	0.00
			24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	0.00
			25. ऋण वसूली व्यय	0.00	0.00
			26. पुस्तकालय किताबें	0.06	0.05
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	15.13	22.33
			28. वेबिंग स्केल के लिए सेवा शुल्क	20.91	13.25

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

₹ लाखों में)				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
ख) निजी निधि	0.00	0.00	29. मुटा श्रामिक शुल्क	343.79
ग) किराए			30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण	0.00
i) पट्टा परिसर पर किराए	16.42	14.11	31. मानव संसाधन विकास	7.03
V. प्राप्त किया ब्याज			32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन	338.10
1. बैंक में जमा राशि	3079.34	3167.44	33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस) ऑनलाइन	2.87
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	0.10	0.64	34. स्वच्छ भारत व्यय	3.84
VI. अन्य आय			35. रिटेन ऑफ लॉसेस	0.00
1. गोयर पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, वार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन)	691.07	336.38	36. एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास	2.6
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	16.35	13.42	37. वैज्ञानिक, तकनीकी & आर्थिक अनुसंधान	25.00
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	34.22	34.33	38. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन & रखरखाव	0.43
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	10.44	9.61	39. गोयरो को वित्तीय राहत (फसल/बखार डामेज)	0.00
5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क	0.66	0.53	40. किसान अध्ययन दूर : विदेश	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	3.63	1.53	41. बाजार का सर्वेक्षण	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.28	0.70	निर्यात प्रोत्साहन	
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	9.93	8.55	42. विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	0.00
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री (टीजीपीवीएस)	4.61	3.64	43. मेले और प्रदर्शनी (विदेश)	37.64
10. विविध आय	365.93	424.91	अन्य	
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	7566.27	5598.87	44. प्रसार और प्रचार	4.74
12. पंजीकृत गोयरो से @ 4% अंशदान	602.43	718.78	45. फार्म मशीनीकरण	0.30
13. अपंजीकृत & पंजीकरण गोयरो से अंशदान ₹ @ 9%	0.00	405.14	46. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	228.33
14. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-			47. क्यूरिंग प्रथाओं में सुधार	111.55
पंजीकृत अपंजीकृत गोयरो से			48. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	17.46
पंजीकृत अपंजीकृत गोयरो से			49. पीहेचपिएम उपाय-चक्रिंग शेड/नमूना भंडारण सुविधाएं	1.97
एक किलो को अंशदान ₹ 2/-			50. अन्य विस्तार कार्यक्रम	15.41
पंजीकृत अपंजीकृत गोयरो से			51. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	14.92
	80.58	77.32	52. नमूना परियोजना क्षेत्र	10.00

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तिर्वा एवं भुगतान

प्राप्तिर्वा	(₹ लाखों में)			
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष पूर्व वर्ष
16. खरीदारों की प्राधिकरण शुल्क	6.22	4.40	53. तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	69.66 63.41
17. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	1.71	11.19	54. वाणिज्य कर दंड और व्याज	0.00 0.00
18. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	55. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	13.6 2.95
VII. उधार ली गई राशि	0.00	0.00	III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए	0.00 0.00
VIII. कोई अन्य रसीदों			निधि के खिलाफ किए गए भुगतान	
1. अन्य देनदारियां	2613.32	1655.62	IV. अनुदान और सस्विडी पर व्यय	0.00 0.00
2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा	9.80	16.39	V. निवेश और जमा	
			i) उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ :	
			क) नियत जमा	
			i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन	2848.51 2744.52
			(व्यापार स्कंध के लिए अनुदान)	
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1142.88 1454.90
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	10464.71 13460.55
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	21.62 23.53
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5072.67 5808.01

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(₹ लाखों में)
			ख) अन्य भुगतान	
			i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	0.00
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	911.44
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	5667.62
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	235.69
			v) तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना	1737.8
			2. निजी निधि	0.00
			V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगताधीन कार्य	
			1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	14.64
			2. अग्रिम के रूप में :	
			क) सीपीडब्ल्यूडी	474.71
			ख) रेंट्स	0.00
			3. प्रगताधीन कैपिटल कार्यों पर व्यय	0.00
			VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	0.00
			VII. वित्तीय शुल्क (व्याज)	0.00
			VIII. अन्य भुगतान :	
			1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	3.00
			2) किसानों को ऋण और अग्रिम	0.00
			3) अन्य देनदारियाँ	120.14
			4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा	11.22

दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			IX. अन्तर्शेष क) बैंक शेष 1. चालू खाताएँ 2. जमा खाताएँ 3. बचत खाताएँ ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि 1. चालू खाताएँ i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) 2. जमा खाताएँ 3. बचत खाताएँ i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि iv) तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना	6341.85 61467.13 0.00 0.00 0.10 0.00 5.57 5.20 0.27 138.13	4571.30 59531.40 0.00 0.00 0.10 0.00 21.84 5.03 3.57 206.00
कुल	107313.50	108252.93	कुल	107313.50	108252.93

ह/- XX XX XX
(डी. वेणुगोपाल)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
(डॉ. अहंकि श्रीधर बाबू)
कार्यपालक निदेशक

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकम को अनुदान सहायता) लेखा
(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस वि आई, गुण्टूर)	0.10	0.10
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	2,744.52	2,601.66
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बचत खाता पर व्याज)	103.99	142.86
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2,848.61	2,744.62
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	2,848.51	2,744.52
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस वी आई, गुण्टूर)	0.10	0.10
	कुल भुगतान (ग + घ)	2,848.61	2,744.62

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा
(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसवीएच, गुण्टूर)	21.84	3.87
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	1,454.90	1,858.61
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बचत खाता पर व्याज)	62.21	81.74
	ख) अंशदान	366.22	443.96
	ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	1,905.17	2,388.18
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	756.72	911.44
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	1,142.88	1,454.90
	ख) बैंक के नकद (बचत खाता) (एस वी आई - गुण्टूर)	5.57	21.84
	कुल भुगतान (ग + घ)	1,905.17	2,388.18

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद		
	बचत खाता (एस बि आई, गुण्टूर)	5.03	4.90
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	13,460.55	16,524.73
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(जीवीनि & बवें लेखा के साथ जमा पर व्याज)	831.95	1152.98
	ख) पेंशन निधि अंशदान	1,840.00	2,500.00
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	16,137.53	20,182.61
ग.	भुगतान		
	क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	5,667.62	6,717.03
	ख) बैंक प्रभार	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	10,464.71	13,460.55
	ख) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	5.20	5.03
	कुल भुगतान (ग+घ)	16,137.53	20,182.61

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	3.57	7.67
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	23.53	22.39
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & बवें खाता पर व्याज)	1.12	1.38
	ख) पेंशन निधि अंशदान	229.36	225.55
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	257.58	256.99
ग.	भुगतान		
	क) एनएसडिएल, मुंबई को प्रेषित राशि		
	(पेंशन अंशदान)	235.69	229.89
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	(एनपीएस पदाधिकारियों को रिफण्ड)		
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	21.62	23.53
	ख) बैंक में नकद		
	(बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	0.27	3.57
	कुल भुगतान (ग + घ)	257.58	256.99

5. तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (₹)			पूर्व वर्ष (₹)			
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस वि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेंगलूर)	28.03	177.97	206.00	31.49	173.84	205.33	
ख.	ख) निवेश (मीआदी जमा) प्राप्तियाँ :	3816.67	1991.34	5808.01	3743.08	2098.24	5841.32	
	क) निवेशों से आय (मीआदि जमा & बैं खाता पर ब्याज)	195.17	104.96	300.13	189.65	113.65	303.30	
	ख) गोयर अंशदान	17.56	17.27	34.83	12.33	12.19	24.52	
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	35.12	34.54	69.66	21.61	41.80	63.41	
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	175.14	202.15	377.29	182.62	206.52	389.14	
	ङ) स्वीपिंग का गोयर का शेयर	25.25	8.70	33.95	14.06	9.64	23.70	
	च) जुर्माना	0.13	0.01	0.14	0.34	0.00	0.34	
	छ) ऋणों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ज) विविध भुगतान	0.03	2.76	2.79	0.11	2.02	2.13	
	झ) गोयर अंशदान (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)	5.47	6.37	11.84	4.06	4.37	8.43	
	ञ) विवाह ऋण	2.25	90.17	92.42	2.65	86.48	89.13	
	ट) शिक्षा ऋण	3.16	5.75	8.91	4.09	8.45	12.54	
	ठ) प्रधान बीमारी ऋण	1.50	0.70	2.20	0.90	1.30	2.20	
	ड) बखार डामेज ऋण	0.00	0.43	0.43	0.00	28.76	28.76	
		कुल रसीद (क + ख)	4305.48	2643.12	6948.60	4207.00	2787.26	6994.26
	ग.	भुगतान क) गोयरो को मृत्यु राहत	238.65	343.05	581.70	356.80	498.35	855.15
घ.	ख) विवाह ऋण	0.00	54.00	54.00	1.50	92.50	94.00	
	ग) शिक्षा ऋण	0.50	12.00	12.50	1.50	7.00	8.50	
	घ) प्रधान बीमारी ऋण	0.50	0.50	1.00	2.50	1.00	3.50	
	ङ) बखार डामेज ऋण	0.40	0.00	0.40	0.00	19.10	19.10	
	च) .	1088.20	0.00	1088.20	0.00	0.00	0.00	
	अन्तशेष क) निवेश (मीआदी जमा)	2946.52	2126.15	5072.67	3816.67	1991.34	5808.01	
	ख) बैंक में नकद (एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	30.70	107.43	138.13	28.03	177.97	206.00	
	कुल भुगतान (ग + घ)	4305.47	2643.13	6948.60	4207.00	2787.26	6994.26	

अनुसूची - 24 :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखों के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है ।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा ।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदस्य नया बैंक से अभिप्रेत हैं) ।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा ।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपस्कार, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेथिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया जाता है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया जाता है।

6. मूल्यह्रास :

मूल्यह्रास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यह्रास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यह्रास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यह्रास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कॉपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यह्रास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यह्रास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटर्स का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्वलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

क) बिक्रियाँ :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्राहकों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लेटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

ख) सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत - इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;

ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत - उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।

14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लेटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लेटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्राहक द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्राहक और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है। यह सेवा प्रभारों को आय और व्यय लेखा की अनुसूची-12 के अंतर्गत वसूली तारीख के अनुसार और संभूति (अक्रयल) के आधार पर प्राप्तियाँ भुगतन विवरणी में लिया जायेगा।

आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रायर्स, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यिक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन को प्रदान करने व्यापारियों से और नीलामियों में भाग लेने क्रेता प्राधिकरण शुल्क वसूल करता है। इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 23 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित ब्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित ब्याज के आय के रूप में दिखाया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रायर्स से अधिकृत/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये जाते हैं।

पंजीकृत ग्रायर्स द्वारा उत्पादित अधिकृत तम्बाकू के लिए ₹ 1/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 5% (जिसमें 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से 10% प्राधिकृत परिमाण सीमा तक अनुमति दी गयी थी। कर्नाटका में 2021 नीलाम मौसम के दौरान और आन्ध्र प्रदेश में 2022 नीलाम मौसम के दौरान पंजीकृत ग्रायर्स द्वारा प्राधिकृत 10% परिमाण की सीमा से परे उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत द्वारा उत्पादित तम्बाकू को ₹ 1/- प्रति किलो और 5% (जिसमें 1% सामान्य सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से बिक्री प्रोसीडों में अंशदान लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया था।

कर्नाटका में 2022 नीलायों के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत / अपंजीकृत ग्रायर्स द्वारा उत्पादित अधिकृत/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए 1% साधारण सेवा प्रभार लगाया है और कोई अंशदान नहीं लगाया है।

तम्बाकू बोर्ड का प्रधान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लेटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं। यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं।

पूँजी व्यय को बोर्ड की मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विघ्न आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईंधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुणदूर द्वारा किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे ।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी ।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी ।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलापों और एफ सी वी तम्बाकू की विक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों ।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संनिर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रारिथिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं ।

अनुसूची - 25

दि.31, मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आकरिमक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणी :

1. आकरिमक देयताएँ :

1.1 संस्था के खिलाफ ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये दावाएँ शून्य हैं । (पूर्व वर्ष में शून्य)

1.2 के संबंध में :

- संस्था के पक्ष में / दी गई बैंक गारंटी - शून्य (पूर्व वर्ष में ₹ 5,27,137.00)
- संस्था के पक्ष में बैंक द्वारा प्रारंभ किये साख पत्र - ₹ शून्य (पूर्व वर्ष में शून्य)
- बैंकों के साथ रियायती बिल ₹ शून्य (पूर्व वर्ष में शून्य)

1.3 विवादास्पद माँगों के संबंध में :

आयकर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष में ₹ शून्य)

बिक्री कर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष में ₹ शून्य)

निगम कर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष में ₹ शून्य)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्त वाले भवनों के लिए संपत्ति कर के संबंध में, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में संबंधित ग्राम पंचायत प्राधिकारियों द्वारा संपत्ति कर भुगतान के लिए नोटीस जारी किये गये थे । इस संबंध में, तम्बाकू बोर्ड भवनों के लिए संपत्ति कर भुगतान से छूट देने के लिए आयुक्त, पंचायत राज & ग्रामीण विकास, आन्ध्र प्रदेश सरकार, विजयवाडा को और कर्नाटका में संबंधित जिला परिषद् प्रधान कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भेजे गये थे । मामले को निपटाने के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा में हैं ।

अब, संपत्ति कर की संचित राशि को बकाया देयता राशि के बजाय आकरिमक देय राशि के रूप में लिया जाता है और लेखाओं पर नोट में राशि को उल्लिखित करने की सूचना प्राप्त होने पर सभी भवनों के लिए इसकी मात्रा निर्धारित की जाती है, ताकि इसे वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखाओं में दिया जायेगा । वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणियों में उपलब्ध बकाया व्यय खाता में राशि के लिए उत्क्रमण प्रविष्टि पारित की जाती है ।

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पार्टियों के दावाओं के संबंध में, लेकिन वर्तमान और पूर्व वर्ष के लिए निम्नानुसार संस्था द्वारा विरोध किया गया के संबंध में :

- क) याचिका-दाता श्री वलवला वेंकट श्रीधर, राजमहेन्द्री द्वारा तम्बाकू बोर्ड के खिलाफ आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में अपील, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म को पट्टे पर लिया गया था, के परिसर को निष्कासन करने के लिए एक दावा अपील किया गया था और ₹ 1,10,66,618.00 के मूल्य के लिए डामेज के लिए अपील किया था । यह मामला सूचीबद्ध किया जाना बाकी है ।
- ख) श्री के.वि. श्रीमन्नारायण, मंडुववारीपालेम द्वारा बोर्ड के खिलाफ माननीय जिला जज न्यायालय, ओंगोल में एक अपील फैल की गई थी । यह याचिका-दाता बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये परिसर को करारनामा में रहे समय के विरुद्ध जल्दी खाली करने के लिए किराये के लिए दावा किया है । दि. 31/12/2015 से 18% व्याज को और अन्य लीगल प्रभार को मिलाकर दावा किया राशि ₹ 13,37,776.00 रहा है ।
- ग) मेसर्स स्टेसालिट सिस्टम्स लिमिटेड ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(2) के अनुसार निपाटारा प्रक्रिया को समाप्त करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार मध्यस्थत कार्यवाई की सूचना और ₹ 1,38,36,400.50 राशि को दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्य सूक्ष्म & लघु उद्यम सुविधा परिषद् से संपर्क किया था । कोई सर्वसम्मति की स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए निपाटारा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और 2018 के मामला सं. 128 द्वारा डब्ल्यूबी एसएमसीएसई में मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू कर दिया गया था और यह मामला लंबित है ।
- घ) अतिरिक्त महानिदेशक, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), चेन्नई जोनल यूनिट, चेन्नई ने ₹ 183,83,73,622/- मूल्य के अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के कर योग्य मूल्य पर ₹ 24,86,69,972/- की सेवा कर को भुगतान करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अपने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटीआई/सीजड्यू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा शोकॉज नोटीस सं. 20/2019 को जारी किया है और सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹ 129,98,928/- सेवा कर राशि को वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 9,98,83,002/- राशि को विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्शाये गये ।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के अनुसार ग्राहकों से वसूल किये अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं पर सेवा कर की अनुपयोज्य के लिए आयुक्त(अपील), वस्तु और सेवा कर, गुण्डूर के समक्ष एक अपील फैल किया था । इस मामला को आयुक्त केन्द्रीय कर, गुण्डूर द्वारा समाप्त कर दिया गया था और शो-कॉज नोटीस में लगाये गये कर माँग और ₹ 26.17 करोड़ की जुर्माना राशि को पुष्टि करते हुए आर्डर-इन-ओरिजिनल सं.गुण्डूर-एक्सेस-000-सीयूएम-026/19-20-से. कर, दि.13/12/2019 को जारी किया था ।

आगे, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजिनल के खिलाफ, सीईएमटीएटी, हैदराबाद द्वारा अपील को स्वीकार करने माननीय केन्द्रीय कर अपील ट्रिब्यूनल, प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद के सामने ओआईओ में उल्लिखितानुसार ₹ 1,96,25,168/- की पूर्व जमा राशि के साथ एक अपील फैल की थी । आगे, आयुक्त

(अपील) ने अप्रैल, 2023 के दौरान याने., 27/04/2023 तक मामला के शीघ्र निपाराने के लिए सीईएसटीएटी, हैदराबाद के सामने एक अपील को दायर की है और सीईएसटीएटी द्वारा बाद में इस मामले को उठाने के लिए सुनवाई अपील को डिस्पोज किया गया था ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त/अप्राधिकृत तम्बाकू के लिए ग्राहकों द्वारा स्वेच्छा से की गई बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड की कोई दायित्व नहीं होने के कारण 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए खाता बहियों में कोई आकरिमक देयता नहीं है । अंशदान की कोई रसीद को सेवा कर नहीं लगेगा और ग्राहकों से सेवा कर वसूल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है ।

अब, उप सहायक आयुक्त (एसटी), गुण्टूर ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कर भुगतानों पर अभिलेख और डेटा मांगते हुए दि.05/10/2020 को एक प्रारंभिक नोटीस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत सभी अभिलेखों/डेटा को मूल्यांकन किया है और बोर्ड की कुछ रसीदों पर जीएसटी को भुगतान करने के लिए सूचना जारी किया है । रैज किये गैर-प्रयोज्य करों के बारे में सूचित किया है । बाद में, उक्त तीनों वर्षों के लिए दि.09/11/2022 को शो-कॉज नोटीस जारी किया गया और इस के लिए पत्र दि. 04/01/2023 द्वारा उत्तर नस्तिर किये । आगे, उन्होंने पत्र दि.30/01/2023 द्वारा कुल ₹ 23.38 करोड़ की कुल राशि के लिए ब्याज सहित जुर्माना के साथ कर भुगतान करने के लिए आदेश जारी किये थे । इस संबंध में, मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, टॉक्स कन्सलटेंट, गुण्टूर द्वारा दि.27/04/2023 को फार्म जीएसटी एपीएल-2 के अंतर्गत एक अपील नस्तिर की गई थी और अपील की स्वीकृति संबंधित दि.30/05/2023 को पावती प्राप्त की । अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

2. पूँजी वचन बद्धता : शून्य

3. लीज अनुबंध-पत्र :

आन्ध्र प्रदेश में ऑगोल-II & कोंडेपी, राजमहेन्द्रवरम के प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय और कर्नाटका में बेंगलूर में नीलाम निदेशालय का कार्यालय & पेरियपट्टना प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय तम्बाकू बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये ।

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम :

बोर्ड द्वारा प्रदत्त चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये थे ।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29 क)(घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर भुगतान में छूट-प्राप्त है ।

लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
- vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार
- vii) कर्नाटका सरकार
- viii) गुजरात सरकार;

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगाने वाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले +दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्योहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

+ परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

- क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
- ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
- ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
- घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

- क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएंगी।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा ऑकड़ों को लाखों रुपये तक पूर्ण करने (रॉउंडेड आफ) को उपनाया था।
2. लेखाओं के यूनिकार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया। दि. 31/03/2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,032.80 लाख है।
3. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-I से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया।
4. दि. 31/03/2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 16.75 लाख पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया।
5. 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹ 61,467.13 लाख हैं। लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा। सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया।

बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया।

6. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रो-रेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार हैं :

- | | |
|--|--|
| 1. भूमि-पट्टाधृति | : 360 महीनों की अवधि |
| 2. भवन : पट्टाधृति भूमि पर | : 276 महीनों की अवधि |
| 3. पूर्णधृति भवन | : 1.58% (आरसीसी छत) & 3.17% गैर - आरसीसी |
| 4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण | : 9.50% |
| साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टारपलीन, | : 9.50% |
| ट्राली, वेथिंग स्केल & क्यूबिकल्स | : 9.50% |
| 5. कार्यालय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण | : 19%, |
| वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन | : 19% |
| 6. अग्नि शामकों | : 19% |
| 7. कंप्यूटर | : 31.67 % |

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिंडरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2023 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 480.51 लाख की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

7. दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज/समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 से दौरान, सिविल, विद्युत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए ₹ 832.69 लाख सीपीडब्ल्यूडी/राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में (₹ 485.89 लाख) राशि और (₹ 346.80 लाख) राशि को प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के रूप में समायोजित किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी अग्रिम राशि के लिए कार्य पूरा होने पर ₹ 15.82 लाख की राशि वापिस कर दी गई।

8. दि.31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 99.95 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।

दि.31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 271.94 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्राहकों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं।

9. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्राहकों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 7,677.52 लाख राशि प्राप्त हुई।
10. 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।
11. दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 37.64 लाख की राशि खर्च की गयी है।
12. वर्ष 2022-23 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने के लिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹742.53 लाख की राशि रही है।
13. दि.31/03/2023 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 70,898.41 लाख की राशि उपलब्ध रही है।
14. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सब-जुडिस) रहे हैं। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही।

अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढ़े याने., 85 से 90 उम्र के हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ पर बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था।

हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्रतिक्षित है।

15. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2022-23 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था ।
16. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंतर्गत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 2,986.92 लाख राशि उपलब्ध रहा था । व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 125.00 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया । 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों के लिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2023 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 2,770.52 लाख की राशि प्राप्त हुई है ।
17. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 1,206.38 लाख की राशि उपलब्ध रही । सा.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदानों पर ब्याज सम्मिलित) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 1,192.47 लाख राशि रहा था । 2022-23 वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि. खाता में ₹ 13.91 अधिशेष राशि उपलब्ध रही है । सावधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज की अधिशेष राशि, जो पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रही है ।
18. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बहियों में ₹ 10,469.91 लाख उपलब्ध रही है । भा.जी.नि. के साथ ₹ 10,464.71 लाख राशि और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 5.20 लाख की राशि उपलब्ध रही है । तम्बाकू बोर्ड ने मौजूदा कर्मचारियों की डेटा जीवीनि को प्रस्तुत किया और भा.जी.नि ने दि.31/03/2023 तक ₹ 11,504.00 लाख राशि को एक्चूयेरिपल मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है । पेंशन देयता के लिए भा.जी.नि के पास ₹ 10,464.00 लाख जमा राशि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 1,040.00 लाख की राशि शेष रहा है, इसको दि.31/03/2023 तक लेखा बहियों में देयता के रूप में उपनाया गया है ।
19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹ 21.96 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था । इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता (तम्बाकू बोर्ड) अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है । उक्त राशि में दि. 31/03/2023 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है ।
20. तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,632.01 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 4,143.32 लाख + कर्नाटका ₹ 2,448.69 लाख) उपलब्ध रहा था ।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग्राहकों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्राहक कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया।

21. उपदान (ग्राह्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राह्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा।

इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए अवकाश वेतन, ग्राह्युटी और अर्ध वेतन भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड़ की कुल देनदारी प्रदान की गई है।

यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। निधि लेखा सृजन के लिए प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है।

आगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तम्बाकू बोर्ड ने उपदान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं के कारण बीमांकित मूल्यांकन द्वारा देयता की गणना के लिए मौजूदा कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया है। जी.बी.नि (एलआईसी) ने मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट दर और वेतन अंशदान आदि., को ध्यान में रखते हुए दि.31/03/2021 तक ₹ 4,150.69 लाख (उपदान की राशि ₹ 2,506.86 लाख और अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,643.83 लाख) राशि की देयता के साथ प्रस्ताव दिया है। इस निधि लेखा के अंतर्गत छूट और जमा राशि पर ब्याज आर्जित करना आदि., के लिए जी.बी.नि के साथ कोई रशि निवेश नहीं किया गया है।

उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन छुट्टी लेखा के लिए भुगतान देयता की गणना मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार की जाती है और इसे बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया गया, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के मृत्युदर, निकासी दर, छूट, निवेश पर ब्याज दर और निवेश के पूर्वानुमान के साथ बीमांकित मूल्यांकन द्वारा देयता को परिगणना की है अतः इसे लेखा बहियों में प्रक्षिप्त नहीं किया जाता है।

दि. 30/03/2023 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया गया और इसे दि.31/03/2023 तक सी.सी.ए.(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 3,554.93 लाख रशि (उपदान ₹ 2,034.61 लाख + अवकाश नकदीकरण = ₹ 1,520.32 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था।

22. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹ 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सीईएसटीएटी, हैदराबाद के अधीन हैं। कंपनियों से देय राशि ₹ 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।

23. दि. 31/03/2023 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
24. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपनी, गुण्डूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (घ) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्न को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के नूतन परिवर्तनों के अनुसार 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए और 2022-23 निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्ति की है ।
25. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्डूर द्वारा 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न नस्ति किया है ।
26. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है । 2008-09 तक, ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी । 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था । इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्राहकों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस पर कर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया ।
- इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूर को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे । बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था ।
- आगे, इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपील न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया । आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था । अतः पूरा कर + जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर को दि.25/11/2016 को चुकाई गई ।
- डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- की राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज

से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को एक और डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, बीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटरिम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जरिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तिन किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया। बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी बीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को दि. 30/05/2017 डिस्पोज किया था। डीसीसीटी-बीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और 2023-24 के दौरान आवश्यक कदम उठाया जायेगा क्योंकि यह मामला प्रशासनिक कारणों से पूरा नहीं हुआ है।

27. आय कर - वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
28. बिक्री कर - वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा बिक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
29. नगर निगम कर - संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमान्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। डिमान्ड नोटीस प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति कर से संबंधित देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रावधान किया जाता है।
30. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कनिगिरी नीलाम प्लैटफार्म में अग्रिशमन उपकरणों के लिए बैंक गारंटी के मुद्दे को समाशोधन के लिए लिया जायेगा, क्यों कि गारंटी की अवधि समाप्त हो गयी थी। इससे संबंधित पत्र बैंक को समायोजन के लिए लिखा गया था।

31. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नीलाम की 8वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 9वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक ग्राहकों के खाता की बिक्री प्रोसीडों को ई-भुगतान द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है ।
32. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है ।
33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया ।
34. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तुलन-पत्र के संपत्ति पक्ष में सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को दिये गये अग्रिमों के लिए पूँजी और राजस्व प्रकृति के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को अग्रिम भुगतान का ब्रेक-अप विवरण दिया गया है ।
35. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹12,490.21 लाख की प्राप्ति और ₹10,468.38 लाख राशि को व्यय किया है ।
36. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ.स. पत्र दि.28/03/2023, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2021-22/1.42/640 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में रैज किये बिन्दुओं पर रेमिडिकल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा । लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2022-23 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :
 - क) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त राज्य द्वारा तम्बाकू बोर्ड को हस्तांतरित ₹ 1000 स्कवैयर थार्ड की अतिरिक्त भूमि का पंजीकरण और भूमि का स्थानांतरण का मतलब एक सरकार की संपत्ति को दूसरे सरकारी विभाग को सौंप देना और निजी पार्टियों को संपत्ति स्थानांतरण का ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है अतः निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचितानुसार भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था ।
 - ख) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में विभिन्न स्थानों में रहे पूर्ण-स्वामित्व और पट्टा भूमि का स्थान के साथ विवरण, अधिमापन क्षेत्र के शब्दों में भूमि, बोर्ड के पक्ष में संपत्ति का अधिकार आदि., विवरण 2022-23 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में प्रक्षेपित किया गया है ।
 - ग) वर्ष 2022-23 के दौरान डिस्पोज किये गये निराकृत संपत्तियों पर नोट को 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणियों में लेखाओं पर टिप्पणी में दिया गया है ।
 - घ) पृथक लेखा शीर्षों (i) सावधिक जमा और सेवा प्रभारों पर अपार्जित आय के साथ प्राप्त आय का विभाजन को वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) किया गया है ।

- ड.) सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स के साथ अग्रिमों का समायोजन के लिए कार्यों पर व्यय को नीलाम प्लैटफार्मों का रखरखाव लेखा शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में और मौजूदा भवनों को अतिरिक्त & नवीकरण कार्यों को पूँजी व्यय के रूप में मानकर मरम्मत & रखरखाव कार्यों से संबंधित लेखा बहियों में लिये गये हैं। मूल्यह्रास को, सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स द्वारा दिये गये व्यय विवरण के संबंध में प्रत्येक कार्य समापन की तारीख से लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है। मौजूदा भवन 15 से 30 वर्षों के जीवन पूरा कर लिया है अतः नीलामियों का निर्विघ्न संचालन करने के लिए नवीकरण और अन्य पूँजी कार्यों, जो मौजूदा भवन परिसर में दिन-प्रतिदिन ग़ोयरों द्वारा लाये गये तम्बाकू को अनलोडिंग और व्यापार वर्ग द्वारा क्रयित तम्बाकू को लोडिंग कार्य को अपनाने के लिए भारी लोड लॉरियों, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि., का चलन के कारण वर्ष में 7 से 10 महीनों के अवधि के लिए तम्बाकू विपणन के लिए लगातार मरम्मत और संशोधन की आवश्यकता होती है। लेखा-परीक्षा के सूचितानुसार संपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रधान संपत्तियों का उपयोगी जीवन के अनुसार और उक्त कार्य समापन के लिए श्रामिक-घंटों की संख्या के साथ श्रामिक कार्य शामिल होती है, को वर्ष 2023-24 के लिए तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय लिया जायेगा। अब उक्त कार्य प्रगताधीन है और यह कार्य 08/2023 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
- च) बोर्ड ने, सरकारी भवनों के संबंध में संपत्ति कर भुगतान करने से छूट के संबंध में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य सरकारों के आयुक्त को पत्र लिखा था और इससे संबंधित उत्तर की प्रतीक्षा में है। अतः बकाया देनदारियों के रूप में दिखाये गये मूल्य & करों पर व्यय को लेखा-बहियों में उत्क्रमण प्रविष्टि के रूप में लिया जायेगा। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में तम्बाकू बोर्ड के परिसरों के लिए देय संपत्ति कर राशि को वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय लेखाओं पर टिप्पणी में आकारिमिक देयता के रूप में लिया जायेगा।
- छ) बोर्ड वित्त मंत्रालय के सीओपीएलओटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणियों को 2018-19 तक निर्धारित तारीख के अंदर लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था और 2019-20 और 2020-21 वर्षों के लिए, जो बोर्ड के अधिकाधिक पदाधिकारियों कोविड से प्रभावित हुए और वार्षिक लेखाओं के डेटा का संकलन करना आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 35 कार्यालयों से संबंधित है, के कारण भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, हैदराबाद को प्रस्तुत करने में देरी हुई है। वर्ष 2021-22 के लिए कार्यपालक निदेशक की अनुमति के साथ नियत तारीख के अंदर लेखा-परीक्षा के लिए हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत किये गये हैं और आन्ध्र प्रदेश में फरवरी से अगस्त तक और कर्नाटका में सितंबर से मार्च के महीनों में नीलामियों का समापन के बाद आन्ध्र प्रदेश में जुलाई/अगस्त और कर्नाटका में मार्च / अप्रैल के दौरान बाजार परिस्थितियाँ आदि., को अध्ययन करके अगले फसल मौसम के लिए फसल परिमाण निर्धारण करने वर्ष में दो बार बोर्ड की बैठकें आयोजन होने के कारण नियत तारीख के बाद बोर्ड की मंजूरी की सूचना दी है।

(एम. रत्नबायम्मा)

प्रबंधक (विवले) प्रभारी

2011-12 से 2022-23 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

		(₹ लाखों में)											
क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अधशेष (योजना & गैर-योजना)	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	60215.90
2	प्राप्तियाँ												
	क) गैर-योजना	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23	15395.93	15558.10	12777.00	11029.31	12490.21
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सहायता अनुदान												
	क) गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल (आई ई बी आर) (1 से 3)	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29	74270.09	71667.59	72706.11
5	व्यय												
	क) गैर-योजना	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81	11451.69	10468.38
	ख) योजना	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल व्यय (5)	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38	12951.20	12951.20	11451.69	10468.38
6	अन्तशेष (4-5)	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	60215.90	62237.73

संकेताक्षर

आं.प्र	आन्ध्र प्रदेश
एपीएफ/ए.पी.एफ	नीलाम प्लैटफार्म
औ.मू.	औसत मूल्य
बीएटी	ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको
बीजी	बैंक गारंटी
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीबीएस	केन्द्रीय काली मिट्टी
सीएमओ	आम बाजार संगठन
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सीपीए'एस	फसल सुरक्षा एजेंट
सीटीआरआई	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
इएलएस	पूर्वी हल्की मिट्टी
इयू	यूरोपीय संघ
एफसीवी	फ्लू कूरिड वर्जीनिया
जीआई	गाल्वनैजिड आईरन
जीआरएल	गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
जीएसपी	सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
हेचए/हे.	हेक्टर
आईएलटीडी	भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
आईपीएम	एकीकृत कीट प्रबंध
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
आईटीए	भारतीय तम्बाकू संघ
आईटीसी	भारतीय तम्बाकू कंपनी
आईटीडीए	भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
केके के.के	कर्नाटका
केएल एस	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
एलएसआई	स्थायी निर्देश के पत्र
एम.केजीएस/एम.केजीएस	मिलियन किलोग्राम
एमइपी	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एमजीपी	न्यूनतम गारंटी मूल्य
एमकेटीडी.	विपणित
एमपीए	मोडल परियोजना क्षेत्र
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एनबीएस	उत्तरी काली मिट्टी
एनएपीहेचएम	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान
एनएलएस	उत्तरी हल्की मिट्टी
एनपीवी	न्यूक्लियर पालि हेन्ड्रासिस वैरस
एनटीआरएम	गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री
ओएफटी'एस	आन-फार्म परीक्षण
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीहेचपीएम	फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध
क्यूटीवाई.	परिमाण
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएटीइएस	रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
एसएलएस	दक्षिणी हल्की मिट्टी
एसबीएस	दक्षिणी काली मिट्टी
एसटीएल	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
टीबीएस	पारंपरिक काली मिट्टी
टीओएलऐसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीक्यूसी	तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
यूएइ	संयुक्त अरब अमीरात
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएस	अमेरिका

The preferred choice world wide

CHOICEST TOBACCOS VALUE FOR MONEY

With its diverse range of tobaccos, consistent volumes and favourable quality-price ratio, Indian tobacco is the preferred choice of all world major cigarette manufacturers.

Sustainable Tobacco Production program, Natural farming initiatives for Organic FCV Tobacco Production, state-of-art processing facilities have placed India as the favoured destination of the world cigarette industry for compliant and quality tobaccos.

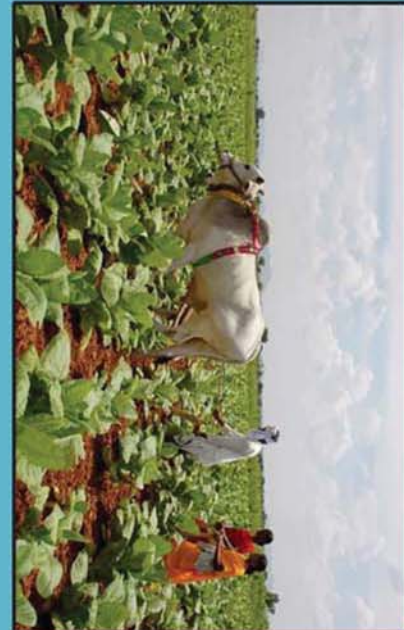


TOBACCO BOARD INDIA

Ministry of Commerce & Industry
Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A.P.) India | Ph: +91 863 2358068, 2358399

e-mail : info@tobaccoboard.co.in | exports@tobaccoboard.co.in | website: www.tobaccoboard.com



भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

पो.बो.सं 322, जी.टी. रोड, गुण्टूर - 522 004

आन्ध्र प्रदेश, भारत

फोन : 91 863 2358399,

ईमेल : info@indiantobacco.com,

वेबसाइट : www.indiantobacco.com